सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

26 जुलाई, 2024

सप्तदश विधान-सभा शुक्रवार, तिथि 26 जुलाई, 2024 ई0

द्वादश सत्र 04 श्रावण, 1946(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

बैठिए-बैठिए, प्रश्नोत्तर काल के बाद आप अपनी बात कहियेगा ।

अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे, जो बात कहनी हो, प्रश्नोत्तर काल के बाद कहियेगा । प्रश्नोत्तर काल के बाद अपनी बात शून्यकाल में कहियेगा । श्री पवन कुमार जायसवाल ।

(व्यवधान)

बैठ जाईए-बैठ जाईए । आप ही लोगों ने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि प्रश्नोत्तर काल चलने देंगे और जब चल रहा है तो आप क्यों व्यवधान पैदा करना चाहते हैं और ये सारे प्रश्न सबके लिए है । सभी माननीय सदस्यों का प्रश्न है, आपके भी माननीय सदस्यों का प्रश्न इसमें है । इसको बाधित नहीं कीजिए, प्रश्नोत्तर काल की समाप्ति के बाद अपनी बात कहियेगा । अभी बैठिए ।

माननीय सदस्य श्री पवन कुमार जायसवाल ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-13 (श्री पवन कुमार जायसवाल,क्षेत्र सं0-21,ढाका)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 151 प्रकार की आवश्यक औषधि की सूची (ई0डी0एल0) के विरूद्ध 126 प्रकार के औषधियों का दर अनुबंध किया गया है । वर्तमान में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर औसतन 71 प्रकार की औषधियां मरीजों के लिए उपलब्ध है । दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य स्तर से निरन्तर अनुश्रवण करते हुए बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना को दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने का निदेश दिया गया है ।

अध्यक्ष : उत्तर दिया हुआ है, पूरक पूछिए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर का अवलोकन किया है । माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि राज्य के सभी हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटरों पर लगभग 55 तरह की दवाईयां कम उपलब्ध है । इन दवाईओं के लिए सी0जी0एच0एस0 एवं सिविल सर्जन द्वारा बी0एम0एस0आई0एल0 को अधियाचना भेजने के बावजूद दवा उपलब्ध नहीं कराया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बी0एम0एस0आई0एल0 दवा निर्माता कम्पनियों के साथ जो अनुबंध हुआ, दवा निर्माता कम्पनी दवा उपलब्ध कराने में असफल है या बी0एम0एस0आई0सी0एल0 दवा भेजने में असफल है और दोनों में जो दोषी हों, उनके विरूद्ध माननीय मंत्री जी क्या कार्रवाई करने का विचार रखते हैं ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, दवा का जब क्रय करना होता है तो निविदा प्रकाशित की जाती है और निविदा प्रकाशन के बाद जो दवा आपूर्ति कम्पनी होता है, उसके द्वारा यदि सभी अर्हताओं को पूरा किया जाता है, तब उसके साथ रेट कॉन्टेक्ट किया जाता है। इन्होंने जवाब में लिखा है कि अभी 71 प्रकार की दवाईयां ही उपलब्ध करायी जा रही है और 126 प्रकार के दवाईयों का उपबंध अभी हुआ है । इसका मतलब यह हुआ कि अनुबंध होने के पश्चात् आपूर्ति आदेश दिया गया है और आपूर्ति आदेश में यह रहता है कि 60 दिनों के अन्दर उनको आपूर्ति करना होता है ।

(व्यवधान)

अभी विगत एक महीना में कई दवाईयों का अनुबंध कराये गये हैं तो मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगले कुछ दिनों में ये जो शेष 55 प्रकार की दवाईयों का अनुबंध हुआ है, उसकी आपूर्ति कर दी जायेगी ।

अध्यक्ष : पोस्टर हटाईए । आप अपने स्थान पर बैठिए, पोस्टर हटाईए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के केवल संज्ञान में हम देना चाहेंगे कि पूर्वी चम्पारण के सिविल सर्जन ने 1 से 9 अप्रील, 2024 के बीच में 307 दवाईयों की अधियाचना की है, 1 से 9 जुलाई के बीच में 307 दवाईयों की अधियाचना की है लेकिन मात्र 50 तरह की दवाईयां वहां पर उपलब्ध करायी गयी है । माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे, हमलोग चम्पारण से आते हैं, राज्य के अन्य जिलों की भी यही स्थिति होगी । आप इसकी समीक्षा करके इसकी आपूर्ति कराने की कृपा करेंगे ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : ठीक है महोदय, इसको देखवा लेते हैं ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-14(श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह,क्षेत्र सं0-194,आरा)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि सात निश्चय योजना के तहत 20 जिलों में पारामेडिकल संस्थानों को संचालित करने की मान्यता/अनुमति विभागीय पत्रांक-784(1), दिनांक 03.12.2021 के द्वारा प्रदान की गयी थी ।

वर्तमान में इन संस्थानों में छात्रों के पठन-पाठन का कार्य सुचारू रूप से संबंधित जिले के सिविल सर्जन द्वारा कुल 223 चिकित्सकों/शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर कराया जा रहा है ।

सात निश्चय अन्तर्गत निर्मित/उत्क्रमित पारा मेडिकल संस्थानों के लिए 1047 शैक्षणिक एवं 188 गैर-शैक्षणिक (कुल 1235) पदों का सृजन किया जा चुका है। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु नियमावली गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । नियमावली गठन के पश्चात् नियमित नियुक्ति की कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर दिया हुआ है, पूरक पूछिए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक पूछ रहा हूँ । महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो उत्तर आया है कि जिलों में 20 पारामेडिकल संस्थान खोले गये हैं । 2021, 2022, 2023, 2024 यानी 2021 से लेकर 2024 तक लगभग 9000 छात्राओं का नामांकन हुआ है । महोदय, इन्हें पढ़ाने के लिए ट्यूटर, लेक्चरर उसकी बहाली नहीं की गई, प्रकिया इतनी जटिल है महोदय ......

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : पोस्टर ले लिया जाय ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : मेरे प्रश्न पूछने का उद्देश्य यही है महोदय कि जो जटिल प्रक्रिया है, उस जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने का कोई उपाय राज्य सरकार करेगी क्योंकि लेक्चरर और ट्यूटर की कमी वहीं नहीं है, तमाम मेडिकल कॉलेजों में है और पारामेडिकल स्टाफ के कारण सारे हॉस्पीटल अभाव में जूझ रहे हैं और हॉस्पीटल एक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं । इसीलिए मैं यह जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय से कि क्या इन सब प्रक्रियाओं को आसान करके और तुरंत त्वरित रूप में कार्रवाई करना चाहते हैं ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपने स्थान पर जाकर बैठ जाईए, कोई बात आपकी नहीं सुनी जायेगी वेल में से, अपने स्थान पर जाईए, प्रश्नोत्तर काल के बाद बोलने का अवसर देंगे लोगों को । अभी आपलोग बैठिए ।

माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता बहुत जायज है और विभाग इस दिशा में क्रियाशील भी है और मैंने अपने जवाब में कहा है कि इस नियुक्ति में मूल रूप से जो दिक्कत है, उसके नियमावली के गठन का और उसकी प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है और मैं समझता हूँ कि अगले 30 दिनों में नियमावली का गठन हम कर लेंगे । किसी भी सरकारी व्यक्ति की नियुक्ति होती है, उसमें नियमावली की आवश्यकता होती है और यह नियमावली गठन के पश्चात् हम नियमावली की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे, हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहते हैं ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकारी अस्पतालों में पारामेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं है । इसलिए जो रोगी हैं, वे बाहर के और ऐसे जो होते हैं, जो पारामेडिकल स्टाफ काम करते हैं .....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : और उनके ठगी का शिकार हो रहे हैं । मैं चाहता हूँ कि इस अन्तराल में जो समय है, उस समय में कोई व्यवस्था आप कर सकते हैं क्या ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : यह पूरक प्रश्न जो माननीय सदस्य ने हमसे पूछा है, यह मूल प्रश्न से अलग है । मूल प्रश्न शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हुआ था, जिसके बारे में मैंने जवाब दिया लेकिन दूसरा भी जो पूरक प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, वह भी निश्चित रूप से आवश्यक है और जो चिकित्सा सेवा संस्थान है, वहां इसकी आवश्यकता है। हम सब लोगों ने जो चिकित्सा सेवा संस्थानों में पारामेडिकल कर्मियों के नियुक्ति का है तो पारामेडिकल कर्मी कई कोटि के होते हैं, अलग-अलग कोटि के पारामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति का है तो पारामेडिकल कर्मी कई कोटि के होते हैं, अलग-अलग कोटि के पारामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग में प्रक्रियाधीन है, महोदय ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-15(श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह,क्षेत्र सं0-221, नबीनगर)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

अल्पसूचित प्रश्न सं0-16(श्रीमती शालिनी मिश्रा,क्षेत्र सं0-15,केसरिया)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में अब तक आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 2.97 करोड़ लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है । शेष बचे लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है ।

18 जुलाई से 31 जुलाई, 2024 की अवधि में पुनः विशेष अभियान आयोजित किया गया है, जिसमें एक करोड़ कार्ड बनाने का लक्ष्य है ।

इसके अतिरिक्त लाभुक स्वयं आपना कार्ड https://beneficiary.nha.gov.in पोर्टल पर या Ayushman Mobile Application के माध्यम से बना सकते हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : उत्तर आया हुआ है, पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है और उन्होंने कहा है कि 8.71 करोड़ आयुष्मान कार्ड बिहार में बनाये जाने हैं, जिसमें से 2.97 करोड़ बना है और एक करोड़ और 18 से 31 जुलाई तक इन्होंने स्वीकारा है कि बिहार में बन रहा है और बिहार सरकार बनवा रही है तो सबसे पहले मैं उनको बधाई देती हूँ ड्राईव चलाने के लिए और साथ ही साथ यह मैं जानना चाहती हूँ कि बाकी बचे हुए 4 करोड़ 80 लाख 5063 लाभुकों का आयुष्मान कार्ड कब तक बनाना है और इसकी क्या योजना माननीय मंत्री जी ने, बिहार सरकार ने रखी है ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, विभाग लगातार इस विषय को लेकर गंभीर और सक्रिय है और मैंने माननीय सदस्या को बताया है कि जो बिहार में लगभग 8.5 करोड़ लाभुकों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हैं, उसमें अभी तक 2.97 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और शेष लोगों का बनाने के लिए विशेष अभियान लक्षित अभियान एक करोड़ लोगों को बनाने का हमने 31 जुलाई तक तय किया है । अभी आप समाचार-पत्रों में भी, माननीय सदस्या को कहूंगा, आप देखती होंगी, प्रतिदिन विभाग इसको लेकर बड़ा-बड़ा विज्ञापन भी समाचार-पत्रों में प्रकाशित करके हर परिवार के इन्ड्यूविजुअल व्यक्ति से आग्रह कर रहा है कि हरेक परिवार का हर व्यक्ति राशन दुकानदार के यहां जाकर के आयुष्मान कार्ड बनाने में सहयोग करें । वहां पर हमारे वी0एल0ई0 जा रहे हैं और उनके आयुष्मान कार्ड बनाने का

काम कर रहे हैं । मैं यहां सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, सम्पूर्ण सदन से कि यह जो हमारा महाअभियान चल रहा है, इस महाअभियान में सब सहभागी बनें और सब अपने क्षेत्रों के लोगों को राशन दुकानदार के यहां जाने के लिए प्रेरित करें ताकि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, यह जनअभियान है, महाअभियान है और निश्चित रूप से इस लक्ष्य को हमलोग बहुत शीघ्र प्राप्त कर लेंगे ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, माननीय मंत्री जी ने न्यूज पेपर्स का उल्लेख किया है तो उसी के आंकड़े से मैं कहना चाहती हूँ कि पिछले एक हफ्ते में 7 दिनों में सिर्फ 7.75 लाख आयुष्मान कार्ड बने हैं एक करोड़ के अगेंस्ट में तो अगले 7 दिनों में आपकी क्या नीति है कि 92 लाख आयुष्मान कार्ड का लक्ष्य पूरा हो जायेगा, इसके लिए आप क्या-क्या स्पेशल ड्राईव चला रहे हैं और जिलेवार मैं जानना चाहूंगी कि इसमें क्या एचीवमेंट प्रतिशत है और क्या-क्या एडिशनल ड्राईव होगा ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : विभाग के स्तर पर प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, मेरे स्तर पर भी किया जा रहा है । दो दिन पूर्व मेरे और ए0सी0एस0 के स्तर पर राज्य के सभी जिलाधिकारियों, 38 जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके एक-एक जिलों की समीक्षा की गई और जिले में किस प्रकार से हमलोग मार्केटिंग ऑफिसर के माध्यम से, हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से हम इसको करें, इस काम में हमलोग लगे हुए हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आज फिर आप टेबुल पीट रहे हैं, कल आपके टेबुल गिराने के कारण एक कर्मचारी राहुल यादव को चोट लगी है । आपने कर्मचारियों को चोटिल किया है, यह बर्दाश्त नहीं होगा । अगर आपने इस वक्त टेबुल को डिस्टर्व किया तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहियेगा । कोई मरउअत नहीं होगा, मैं इतना बता देता हूँ साफ-साफ ।

कल आपने राहुल यादव नाम के रिपोर्टर को चोटिल किया है, चोट लगाया है, यह आपने गलत काम किया है । बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, अगर टेबुल गिरा तो दंड के लिए तैयार रहियेगा ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-17(श्री अजीत शर्मा,क्षेत्र सं0-156,भागलपुर)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

टर्न-2/शंभु/26.07.24

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । आपको विषय से कोई मतलब नहीं है, जनहित के मुद्दे में कोई रूचि नहीं है केवल हंगामा करना आपका उद्देश्य है । जनता देख रही है ये टेलीकास्ट हो रहा है, सबलोग देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं । आपको मैं कह रहा हूँ कि बोलने का अवसर दूंगा । आप प्रश्नोत्तर काल के बाद बोलिये ।

क्या कर रहे हैं आप छोड़िये उसको, कोई एनार्की नहीं होनी चाहिए, यह मजाक नहीं है, अराजकता नहीं फैलाने देंगे आपको । यह सदन विमर्श की जगह है विमर्श कीजिए, अपनी बात रखिये लेकिन अराजकता फैलाने की कोशिश कीजिएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जायेगा । मैं बता देता हूँ बड़ा साफ-साफ, टेबुल अगर कोई उल्टा तो कार्रवाई के लिए तैयार रहियेगा । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-571(श्री मुरारी मोहन झा)क्षेत्र सं0-86,केवटी</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवटी, दरभंगा में वर्तमान में 06 चिकित्सक पदस्थापित हैं। उन चिकित्सकों की देखरेख में जी0एन0एम0 एवं स्कील्ड बर्थ एटेंडेंट प्रशिक्षित ए0एन0एम0 के द्वारा भी गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराया जाता है । किसी प्रकार की जटिलता होने पर ही गर्भवती महिलाओं को दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल रेफर किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिंघवाड़ा, दरभंगा में पदस्थापित डा0 हीना खुर्शीद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रसव हेतु आनेवाली महिलाओं का उपचार किया जाता है । शेष रिक्त पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी स्त्री रोग की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, हमारे केवटी विधान सभा में दो प्रखंड है और दोनों प्रखंडों में महिला जो वहां डिलेवरी के लिए आती हैं उनके लिए किसी भी डाक्टर का आज तक पदस्थापन नहीं हो पाया है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ चूंकि नीतीश जी की सरकार महिलाओं की.....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, वहां कब तक महिला डाक्टर का पदस्थापना होगा यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, मैंने अपने जवाब में उल्लेखित किया है कि डा0 हीना खुर्शीद, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रसव हेतु आनेवाली महिलाओं का उपचार किया जाता है इसके अलावा वहां पर चिकित्सकों की देखरेख में जी0एन0एम0 एवं स्कील्ड बर्थ एटेंडेंट प्रशिक्षित ए0एन0एम0 के द्वारा भी गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराया जाता है । इसके अतिरिक्त वहां जो अन्य चिकित्सकों की और आवश्यकता है महिला चिकित्सकों की उनकी नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । ये तीनों विषय अलग-अलग तरीके से माननीय सदस्य को मैंने अवगत कराया है ।

तारांकित प्रश्न सं0-572(श्री शम्भुनाथ यादव)क्षेत्र सं0-199,ब्रह्मपुर

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-573(श्री अचमित ऋषिदेव)क्षेत्र सं0-47,रानीगंज

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, उत्तर नहीं है ।

अध्यक्ष : पढ़ दीजिए माननीय मंत्री जी ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत बिशनपुर, पचीरा, विस्टोरिया तथा रानीगंज नगर पंचायत में बिजली का तार काफी जर्जर एवं पुराना होने के कारण आर0डी0डी0एस0 योजना के तहत बदलने का कार्य प्रगति पर है । फारबिसगंज ग्रीड से 33 के0वी0ए0 रानीगंज फीडर के माध्यम से रानीगंज पी0एस0एस0 में विद्युत आपूर्ति होता है जिसकी दूरी लगभग 32 कि0मी0 है । उक्त अंतराल में लगभग 07 कि0मी0 वन क्षेत्र आता है इसमें वन विभाग द्वारा कंटीला बांस लगाया गया है । इसके कारण फीडर तेज आंधी बारिश में प्राय: खराब हो जाता है जिसे कम से कम समय में रिस्टोर कर लिया जाता है । फारबिसगंज ग्रीड से ब्रेक डाउन होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अररिया ग्रीड से पावर लेकर उक्त फीडर के माध्यम से विद्युत् की आपूर्ति की जाती है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अपने स्थान पर जाकर बैठिए । वहां से बोलिये, यहां से कोई बात नहीं सुनी जायेगी । अपने स्थान पर जाकर बैठिए वहां से अपनी बात कहिये । यहां आप वेल में खड़े हैं तो बोलने की अनुमति नहीं हो सकती है । आप पहले अपने स्थान पर जाइये और प्रश्नोत्तर काल के बाद आपको अपनी बात रखने का मौका देंगे । आप अपने स्थान पर जाइये यहां से कोई बात आपकी नहीं सुनी जायेगी, वेल से कही गयी कोई बात नहीं सुनी जायेगी ।

(व्यवधान)

उठाइये-उठाइये हिम्मत है तो, बाहर कर देंगे आपको- आप उठाकर देखिए , मजाक समझा है ? आप अराजकता फैलाना चाहते हैं ? कोई अराजकता नहीं बर्दाश्त किया जायेगा । अपने स्थान पर जाइये, अपने स्थान पर बैठिए । कोई अगर टेबुल उल्टेगा तो कड़ी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बहुत हो गया ये तमाशा । सदन विमर्श की जगह है, मैं आपको बोलने का अवसर देना चाहता हूँ अपनी बात कहिये आप मैं सुनुंगा, सरकार जवाब देगी लेकिन पूरे सदन को हाइजेक करना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं ? यह अराजकता पैदा करने की जगह नहीं है, ये विमर्श की जगह है । लोकतंत्र के अंदर बहस कीजिए, विमर्श कीजिए अपनी बात कहिये । मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये क्या धमकी देते हैं, टेबुल उल्टेंगे, उलटिये । धमकी देते हैं कि टेबुल उल्टेंगे, उलट कर दिखाइये, धमकी देते हैं ? बाहर कर देंगे । चलिये बैठिए अपने स्थान पर, धमकी नहीं दीजिए, उलटकर दिखाइये, टेबुल उलटने की धमकी देते हैं, मजाक समझ लिया है । अराजकता पैदा करना चाहते हैं, उलटकर दिखाइये । कोई अराजकता बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, लोकतंत्र में विमर्श की यह जगह है अपनी बात कहिये, पूरी बात सुनी जायेगी । अपने जगह पर जाइये और अपनी बात कहिये ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-574(श्री जिवेश कुमार)क्षेत्र सं0-87,जाले</u>

श्री नीतीश मिश्रा,मंत्री : 1.स्वीकारात्मक है ।

2. दरभंगा जिला अंतर्गत गंगेश्वर स्थान मंदिर में पर्यटकीय विकास से संबंधित भूमि के संबंध में श्री घनश्याम झा पुत्र स्वर्गीय सत्यजीत झा ग्राम प्लस पोस्ट सहारनपुर दरभंगा द्वारा विभाग को आवेदन दिया गया है कि मंदिर से संबंधित भूमि उनके निजी भूमि है जिस पर पर्यटकीय विकास नहीं करने हेतु अनुरोध किया गया था। वर्णित के संबंध में जिला पदाधिकारी दरभंगा से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया प्रतिवेदन के अनुसार रैयत का नाम गंगेश्वर नाथ महादेव सेवइत हरदेव झा पिता राधाकांत झा भगवान के रूप में प्रतिवेदन है । इस संबंध में विभागीय पत्रंक 1495 दिनांक 24.7.2024 द्वारा जिला पदाधिकारी दरभंगा से खतियान की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। साथ ही विभागीय पत्रंक 1494 दिनांक 24.7.2024 द्वारा बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से पर्यटकीय विकास हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

3. स्वीकारात्मक है ।

श्री जिवेश कुमार : मेरा उत्तर आ गया है हुजूर और इस उत्तर में जो जवाब दिया गया है वह अधिकारियों ने जवाब सही नहीं बनाया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री जिवेश कुमार : माननीय मंत्री जी होमवर्क करते हैं इसमें उत्तर में आया हुआ है कि आर0एस0 खतियान का अंतिमीकरण नहीं हुआ है । हुजूर आर0एस0 खतियान के अंतिमीकरण का कागज सत्यापित कॉपी विभाग को कब का भेजा जा चुका है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री जिवेश कुमार : पूरक ही पूछा रहा हूँ हुजूर । आर0एस0 खतियान मांगी जा रही है अंतिमीकरण के लिए पत्र देना चाहता है विभाग उसका औलरेडी आर0एस0 खतियान आया हुआ है और इसको डिले कर रही है इसको लटकाना भटकाना चाह रही है सरकार और दूसरा जो जवाब आया है कि जो न्यास पर्षद् है उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं आया है । हुजूर, ये न्यास पर्षद् के रजिस्ट्रेशन का पूरा कागज है । न्यास पर्षद् ने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो अनापत्ति प्रमाण पत्र किस बात का ? न्यास पर्षद् अगर उसको अपना अंग मान रहा है तो किस बात की अनापत्ति मांग रहा है । ये विभाग के लोग केवल इसको लटकाना, भटकाना चाह रहे हैं । इस नाते माननीय मंत्री जी जवाब दें कि कब तक इसका टेंडर हो जायेगा मैं यह जवाब चाहता हूँ ।

श्री नीतीश मिश्रा,मंत्री : महोदय, मैं इसको देखवा लेता हूँ और शीघ्र ही इसकी स्वीकृति की कार्रवाई भी करूँगा माननीय सदस्य आश्वस्त रहें ।

श्री जिवेश कुमार : माननीय मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपको समय देंगे प्रश्नोत्तर काल के बाद समय देंगे, बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न सं0-575(श्री अशोक कुमार चौधरी)क्षेत्र सं0-92,सकरा

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-576(श्री राहुल तिवारी)क्षेत्र सं0-198,शाहपुर

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-577(श्री अवध बिहारी चौधरी)क्षेत्र सं0-105,सिवान

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर काल के बाद समय मैं दूंगा आपको, बैठिए ।

तारांकित प्रश्न सं0-578(श्री अजय कुमार सिंह)क्षेत्र सं0-166,जमालपुर

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान)

अवध बिहारी बाबू, आप तो यहां बैठ चुके हैं । चुप रहिये, सुनिये पहले पूरी बात । मैं अगर कह रहा हूँ कि प्रश्नोत्तर काल के बाद समय दूंगा तो दूंगा । सबको कहिये अपने स्थान पर बैठने के लिए, अब यह कौन सी बात हो गयी कि अभी दीजिए, ऐसा तो नहीं होता है । मैं तो कह रहा हूँ कि मैं समय दूंगा, पहले अपने स्थान पर बैठिए । हम देंगे प्रश्नोत्तर काल के बाद समय, पहले सबको अपने स्थान पर बैठाइये ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी सीट पर आकर बैठ गये)

तारांकित प्रश्न सं0-579(श्री राणा रणधीर)क्षेत्र सं0-18,मधुबन

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : 1.आंशिक अस्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि पोषण पुनर्वास केन्द्र में कुपोषित बच्चों की भर्ती कराने हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप विभिन्न प्रखण्डों के आँगनबाड़ी केन्द्रों से चिन्हित कर प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जांच कर भेजा जाता है, जिनका चिकित्सीय ईलाज शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा अधीक्षक, सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर के देख-रेख में कराया जाता है। जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक 139 कुपोषित बच्चों का ईलाज कराया गया, जिसमें सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर के ओपीडी से 29 तथा जिलान्तर्गत प्रखण्डों के सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 से कुल 110 कुपोषित बच्चों का ईलाज कराया गया।

2.वस्तुस्थिति यह है कि निर्धारित मानक अनुरूप चिन्हित बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती करने संबंधी राज्य स्तर से पत्रंक-6664 दिनांक-07.02.2023 पत्रंक-1012 दिनांक-18.05.2023, 2328 दिनांक-12.07.2023 पत्रंक-3344 दिनांक-30.08.2023, पत्रंक-6080 दिनांक-19.02.2024, पत्रंक- 927 दिनांक-30.05.2024 एवं पत्रंक-6384 दिनांक-06.03.2024 के आलोक में सभी सिविल सर्जन के साथ पोषण पुनर्वास केन्द्र के सुचारू संचालन हेतु समीक्षा समय-समय पर की जा रही है। इसके अतिरिक्त समेकित बाल विकास परियोजना अन्तर्गत संचालित आँगनबाड़ी केन्द्र से पोषण पुनर्वास केन्द्र में कुपोषित बच्चों को भेजने हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त होता है। इसके फलस्वरूप पोषण पुनर्वास केन्द्र, मुजफ्फरपुर में जनवरी, 2024 से जून,

2024 तक मात्र छः माह में कुल 169 बच्चों को भर्ती किया गया है, जो सुधार को दर्शाता है।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री राणा रणधीर : उत्तर मिला है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को विस्तार से और सकारात्मक उत्तर देने के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए न, मैं कह रहा हूँ कि आपको शून्यकाल में समय दूंगा ।

टर्न-3/पुलकित/26.07.2024

श्री सत्यदेव राम : महोदय, आपका आदेश हुआ है कि आपलोग बैठिये, हम बोलने का मौका देते हैं और अब हमलोग अपनी-अपनी सीट पर चले आये तो आप हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं ।

अध्यक्ष : बिल्कुल मौका देंगे । प्रश्नोत्तर काल के बाद जरूर बोलने के लिए मौका देंगे । अभी अपने स्थान पर बैठिये ।

(व्यवधान)

आप बैठिये, मुझे सहयोग की आवश्यकता नहीं है ।

माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर जी बोलिये ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, डिटेल जवाब है, सकारात्मक जवाब है । मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ ।

अध्यक्ष : धन्यवाद ।

(व्यवधान)

आप बैठिये, बोलने का समय देंगे । आप बैठ जाइये वरना थक जाइयेगा । आप तो वरिष्ठ आदमी हैं आप क्यों ऐसा करते हैं ? आप अपने स्थान पर बैठ जाइये आपको बोलने का समय देंगे ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, आप बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं । बोलने का मौका देना चाहिए ।

अध्यक्ष : बिल्कुल बोलने का मौका देंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-580 श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र सं0-166, जमालपुर)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-581, श्री रणविजय साहू (क्षेत्र सं0-135, मोरवा)

(लिखित उत्तर)

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि- दिनांक-18.09.2023 को मोहनपुर अंचल अन्तर्गत गंगा नदी में डूबने से मृतक सन्नी कुमार, विकास कुमार एवं गुड्डू कुमार का शव एस0डी0आर0एफ0 टीम द्वारा काफी खोजबीन के उपरान्त भी नहीं मिल पाया था । फलस्वरूप मृतकों के संबंध में प्रावधानानुसार दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करायी गई । तदोपरान्त कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटोरी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर मृतक गुड्डू कुमार, सन्नी कुमार एवं विकास कुमार के निकटतम आश्रितों को उनके बैंक खाता में अनुग्रह अनुदान की राशि प्रति मृतक ₹4.00 लाख (चार लाख रू0) की दर से यू0टी0आर0 द्वारा भुगतान कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । पूरक पूछिये ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, विशेष राज्य के दर्जा पर विपक्ष द्वारा लगातार तीन दिनों से बोलने के लिए वक्त मांगा जा रहा है । महोदय, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए । यह बिहार के हित का मामला है ।

तारांकित प्रश्न सं0-582, श्री भारत भूषण मंडल (क्षेत्र सं0-40, लौकहा)

(प्रश्न पूछा नहीं गया)

तारांकित प्रश्न सं0-583, श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र सं0-111, गोरेयाकोठी)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : सिवान जिलान्तर्गत सभी प्रखण्डों में रिकंडक्टरिंग योजना के तहत विगत पाँच वर्षों में 11 के0वी0 का कुल 1200.261 कि0मी0 तार बदले गये हैं एवं एल0टी0 लाईन में लगभग 973.188 कि0मी0 नंगे तार बदल कर केबल लगाये गये हैं । इसके अतिरिक्त वर्तमान में आर0डी0एस0एस0 योजना के तहत भी गोरेयाकोठी प्रखण्ड में लगभग 54 कि0मी0 एवं लकड़ी नबीगंज प्रखण्ड में लगभग 84 कि0मी0 केबल लगाये जा चुके हैं ।

वर्तमान में आर0डी0एस0एस0 योजना अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार नंगे तार को बदल कर केबल लगाने का कार्य किया जा रहा है एवं इस योजना के पूर्ण होने का लक्ष्य सितम्बर, 2025 तक है ।

श्री देवेश कान्त सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपने विधान सभा के दो प्रखण्डों से संबंधित दो पंचायतों का विषय मांगा था ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं आपलोगों को शून्यकाल के बाद बोलने दूंगा । इनका प्रश्न कुछ और है और बोल कुछ और रहे हैं । प्रश्नकाल होने दीजिए ।

श्री देवेश कान्त सिंह : लेकिन पूरे जिले का दे दिया गया है । पूरे जिले से हमारे विधान सभा में क्या हो रहा है, इसका संज्ञान कैसे होगा । मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि किसी-किसी शहरी विधान सभा को और अन्य विधान सभा को काम अधिक कर दिया गया है । इसलिए हम अपनी पंचायत का हिसाब मांग रहे हैं लेकिन हमें पूरे जिले का हिसाब दिया जा रहा है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : बैठिये । आपका पूरक क्या है ?

श्री देवेश कान्त सिंह : महोदय, मैंने अपनी पंचायतों का हिसाब मांगा है और मुझे पूरे जिले का हिसाब दिया जा रहा है । मुझे मेरे प्रखण्ड का हिसाब कैसे मिलेगा ।

अध्यक्ष : बैठिये, ऊर्जा मंत्री जी आपके प्रखण्ड का हिसाब आपको भिजवा देंगे ।

(व्यवधान)

आपका प्रश्न क्या है और आप बोल क्या रहे हैं ? आपको प्रश्न पर बोलना चाहिए था, आप पूरक पूछते ? मैं आपको बोलने का समय देता । आपने प्रश्न पर पूरक पूछा ही नहीं । आपका प्रश्न कुछ और है और आपका पूरक कुछ और पूछ रहे हैं ?

<u>तारांकित प्रश्न सं0-584, श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र सं0-113, एकमा)</u>

(प्रश्न पूछा नहीं गया)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-585, श्री अनिल कुमार (क्षेत्र सं0-24, बथनाहा (अ0जा0))</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1- अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत 36 समर्पित (डेडिकेटिड) 11 के0वी0 फीडरों के माध्यम से प्रखंड/जिला मुख्यालय अथवा अन्य स्थानों पर स्थापित 33/11 के0वी0 विद्युत शक्ति उप-केन्द्रों से कृषि कार्य हेतु विद्युत संबंध प्रदान किये जा रहे हैं ।

2 एवं 3 अस्वीकारात्मक । स्थापित 33/11 के0वी0 विद्युत शक्ति उप-केन्द्र मेजरगंज से निकलने वाली 11 के0वी0 कोआड़ी मदन फीडर को कुल लंबाई 14

कि0मी0 है । वर्तमान में लो-वोल्टेज की समस्या नहीं है । उक्त फीडर से प्रतिदिन औसतन 18 से 20 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । पूरक पूछिये ।

श्री अनिल कुमार : पूछता हूं । महोदय, उत्तर डिटेल्स में माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया गया है । महोदय, उत्तर तो स्वीकारात्मक नहीं दिया लेकिन मैं मंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि मेजरगंज प्रखण्ड की आठ पंचायत एवं बथनाहा प्रखण्ड की लगभग पांच पंचायत, जिसका विद्युत का परिचालन किया जा रहा है । महोदय, बॉर्डर एरिया भी है, बगहा, मेजरगंज, कोआड़ी, डुमरी, मऊद इत्यादि में आए दिन ट्रान्सफॉर्मर का जलना, लो-वोल्टेज, तार इत्यादि का टूट जाने की समस्या हमेशा रहती है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अनिल कुमार : महोदय, मैं माननीय मंत्री से मिला हूं, नए सब-स्टेशन के निर्माण हेतु माननीय मंत्री जी से हमने मुलाकात की । सैयारा में नए सब-स्टेशन के निर्माण हो जाने से विद्युत लो-वोल्टेज इत्यादि की समस्या खत्म हो जाएगी । महोदय, हम माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करते हैं कि उक्त स्थान पर जल्द से जल्द सब-स्टेशन का निर्माण कराया जाए ताकि विद्युत की समस्या खत्म हो जाए । वहां दो प्रखण्ड है बथनाहा और मेजरगंज में विद्युत की समस्या दूर हो सके ।

अध्यक्ष : अब हो गया ।

श्री अनिल कुमार : मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ ।

तारांकित प्रश्न सं0-586, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र सं0-216, जहानाबाद)

(प्रश्न पूछा नहीं गया)

तारांकित प्रश्न सं0-587, श्री विनय कुमार (क्षेत्र सं0-225, गुरूआ)

(प्रश्न पूछा नहीं गया)

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं0-588, श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (क्षेत्र सं0-240, सिकन्दरा (अ0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : स्वीकारात्मक । विभागीय पत्रांक-1476, दिनांक-23.07.2024 के द्वारा जिला पदाधिकारी, जमुई से उक्त स्थल के सौन्दर्यीकरण हेतु विभागीय प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग की गयी है ।

वर्तमान में उक्त स्थल पर कोई योजना स्वीकृत नहीं है ।

अध्यक्ष : उत्तर दिया हुआ है । मांझी जी, पूरक पूछिये ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : महोदय, पूछता हूं । महोदय, उत्तर में स्वीकारात्मक जवाब आया है लेकिन नीचे फिर जवाब आ गया कि कोई योजना स्वीकृत नहीं है । हम यह जानना चाहते हैं कि अगर पयर्टन को बढ़ावा देना है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : यह कब तक सौन्दर्यीकरण का काम पूरा किया जा सकता है ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत सदन की कार्यवाही चलेगी और मैंने कहा है कि प्रश्नोत्तर काल के बाद बोलने दिया जाएगा। आपको विश्वास करना चाहिए । आप बार-बार, थोड़ी-थोड़ी देर में वेल में आ जाइएगा इसका क्या मतलब होता है ? कोई अर्थ नहीं होता है । हाईजेक मत कीजिए विधान सभा की कार्यवाही को । हाईजेक नहीं होने वाला है । सदन की कार्यवाही का काम नियम, कानून से होगा । बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अनुसार बिल्कुल काम होगा, कहीं कोताही नहीं होगी।

माननीय सदस्य का जो प्रश्न था, माननीय सदस्य उस प्रश्न पर पूरक नहीं पूछ रहे थे । माननीय सदस्य कुछ और बोल रहे थे । प्रश्नोत्तर काल में प्रश्न पर पूरक ही तो पूछेंगे या फिर कुछ और बोलेंगे ।

माननीय मंत्री, पयर्टन विभाग ।

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने उत्तर में कहा कि वर्तमान में कोई योजना स्वीकृत नहीं है लेकिन माननीय सदस्य ने जिस विषय को उठाया है, जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन हमलोगों ने मांगा है, प्रतिवेदन प्राप्त होते ही इस पर समुचित कार्रवाई विभाग करेगा ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : धन्यवाद ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-589, श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र सं0-190, पालीगंज)</u>

(प्रश्न पूछा नहीं गया)

तारांकित प्रश्न सं0-590, श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र सं0-54, किशनगंज)

(प्रश्न पूछा नहीं गया)

तारांकित प्रश्न सं0-591, श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र सं0-217, घोसी)

(प्रश्न पूछा नहीं गया)

तारांकित प्रश्न सं0-592, श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र सं0-219, गोह)

(प्रश्न पूछा नहीं गया)

तारांकित प्रश्न सं0-593, श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र सं0-121, परसा)

(प्रश्न पूछा नहीं गया)

तारांकित प्रश्न सं0-594, श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र सं0-147, बखरी (अ0जा0))

(प्रश्न पूछा नहीं गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : वेल से कोई बात सुनी नहीं जाती । आप तो पुराने सदस्य हैं, आज के सदस्य नहीं हैं। अपने स्थान पर जाकर बैठिये, प्रश्नोत्तर काल के बाद आपकी बात सुनी जायेगी ।

आप तो वेल में मत आइये, आप तो अपने स्थान पर रहिये । क्यों वेल में आ रहे हैं आप ?

तारांकित प्रश्न सं0-595, श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र सं0-214, अरवल)

(प्रश्न पूछा नहीं गया)

तारांकित प्रश्न सं0-596, श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र सं0-165, मुंगेर)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि सदर अस्पताल, मुंगेर 100 बेड के अस्पताल के रूप में स्वीकृत तथा कार्यरत है । उक्त अस्पताल के कई हिस्सों को तोड़कर वर्तमान में नये भवन के निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसे जनवरी, 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा । सदर अस्पताल भवन से लगभग 600 मीटर की दूरी पर 100 बेड का Pre-Fabricated Building अवस्थित है जिसमें ओ0पी0डी0 का कार्य हो रहा है। साथ ही सदर अस्पताल परिसर में ही 32 बेड का पी0आई0सी0यू0 भी निर्मित है जिसे शीघ्र क्रियाशील किया जाएगा ।

सदर अस्पताल, मुंगेर में चिकित्सकों के कुल स्वीकृत 32 पदों के विरुद्ध वर्तमान में 20 चिकित्सक तथा स्टाफ नर्स के स्वीकृत 50 पदों के विरुद्ध वर्तमान में 39 स्टाफ नर्स पदस्थापित एवं कार्यरत हैं ।

उक्त अस्पताल में सभी आवश्यक उपस्कर यथा एक्स-रे, अल्ट्रासाउण्ड, सिटी स्कैन, मशीन आदि अधिष्ठापित एवं क्रियाशील है । इसके अतिरिक्त उक्त अस्पताल में डायलिसीस सेन्टर, 148 प्रकार के पैथोलोजिकल जाँच की सुविधा भी उपलब्ध है । साथ ही इस अस्पताल के शल्य कक्ष में भी सभी आवश्यक उपकरण यथा वेन्टीलेटर आदि उपलब्ध है । इस अस्पताल में फिजियोथेरेपी सेन्टर भी क्रियाशील है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

(व्यवधान जारी)

एक मिनट ठहरिये । आप प्रश्न पर बोल रहे थे क्या ? हम रिकॉर्ड निकाले ? अगर आप प्रश्न पर बोल रहे होंगे तो आप जो कहेंगे मैं वह सुनने को तैयार हूँ । लेकिन आप पूछ क्या रहे हैं ? आपका प्रश्न कुछ और है और आप पूछ कुछ और रहे हैं? कोई बात वेल में से नहीं सुनी जाएगी, अपने-अपने स्थान पर जाइये ।

श्री प्रणव कुमार, पूरक पूछिये ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, जवाब में मिला है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : ऐसा कहीं होता है क्या ? गलत है ।

श्री प्रणव कुमार : महोदय, 32 बेड का पी0आई0सी0यू0 निर्मित है । यह कब चालू हो जाएगा ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैंने जवाब में लिखा है इसे शीघ्र क्रियाशील कर दिया जाएगा ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, जवाब में लिखा है कि शल्य कक्ष में भी सभी आवश्यक उपकरण यथा वेन्टीलेटर आदि उपलब्ध है । लेकिन एक भी सर्जन सदर अस्पताल में नहीं है । सदर अस्पताल बंद पड़ा हुआ है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री प्रणव कुमार : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बिना सर्जन के, शल्य चिकित्सक के शल्य कक्ष किस काम का है ? कब तक शल्य चिकित्सक उपलब्ध करायेंगे ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैंने जवाब में लिखा है कि वहां 100 बेड का अस्पताल स्वीकृत है और उसके निर्माण का कार्य चल रहा है । कई हिस्सों को तोड़कर वर्तमान में नये भवन के निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसे 2025 तक पूर्ण कर लिया

जाएगा । मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह जब नया सदर अस्पताल, मॉडल अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा तो वहां सभी प्रकार की अपेक्षित सुविधाएं सदर अस्पताल में हैं वह वहां की जनता को उपलब्ध करवा दिया जाएगा ।

श्री प्रणव कुमार : माननीय मंत्री जी आप जवाब दिये हैं अंतिम में, जो शल्य कक्ष है, वह पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित है लेकिन चिकित्सक नहीं रहने के कारण बंद पड़ा हुआ है ।

अध्यक्ष : प्रणव जी, मंत्री जी ने बताया कि उसकी बहाली हो जाएगी । बैठिये ।

तारांकित प्रश्न सं0-597, श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र सं0-72, सिंहेश्वर (अ0जा0))

(प्रश्न पूछा नहीं गया)

तारांकित प्रश्न सं0-598, श्री आलोक रंजन (क्षेत्र सं0-75, सहरसा)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि सदर अस्पताल, सहरसा में पदस्थापित दो विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग) यथा डॉ0 राजेश कुमार रंजन एवं डॉ0 उमेश प्रसाद द्वारा हड्डी रोग से संबंधित माइनर ऑपरेशन किया जा रहा है । उदाहरणस्वरूप अप्रैल 2024 में 479, मई 2024 में 537, जून 2024 में 493 एवं दिनांक-24.07.2024 तक 373 मरीजों को प्लास्टर एवं अन्य चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी गयी है । गम्भीर मरीजों को ही मेजर ऑपरेशन/बेहतर इलाज हेतु उच्चतर संस्थान में रेफर किया जाता है।

सदर अस्पताल, सहरसा में हाईटेक जाँच मशीन, सिटी स्कैन, एक्स-रे, Fully Automatic Analyser machine से जाँच संबंधी कार्य किया जा रहा है ।

सदर अस्पताल, सहरसा में मेजर ऑपरेशन हेतु C/ARM मशीन को एक माह के अन्दर उपलब्ध करा दिया जायेगा। C/ARM मशीन उपलब्ध होने के पश्चात उक्त अस्पताल में हड्डी रोग से संबंधित मेजर ऑपरेशन का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया जाएगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । आप पूरक पूछिये ।

श्री आलोक रंजन : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दो-दो ऑर्थोपेडिक सर्जन रहने के बावजूद, दोनों वहां पर अपना प्राइवेट क्लिनीक चलाते हैं लेकिन हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं करते हैं । वहां पर हॉस्पिटल में डॉक्टर और वहां दलाल का नेक्सस बना हुआ है और जो भी मरीज आते हैं उसके प्राइवेट क्लिनीक में भेज दिया जाता है। इसलिए इसको कब तक प्रारम्भ करा दिया जाएगा । माननीय मंत्री जी ने C/ARM

मशीन के बारे में कहा है । हम यह भी जानना चाहते हैं कि किन-किन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में सहरसा में C/ARM मशीन है, जहां पर सर्जरी की जाती है ? महोदय, यह भी मंत्री जी जांच करा दें ।

टर्न-4/हेमन्त/26.07.2024

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो चिकित्सक वहां पदस्थापित हैं उनके द्वारा अंतिम चार महीने में कितना उपचार किया गया है वह संख्या मैंने लिखी है । अप्रैल में 479, मई में 537, जून में 493, ये तीन महीने की अद्यतन जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध करायी है । जहां तक सीआर मशीन की बात है मैंने जवाब में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सदर अस्पताल में एक माह के अन्दर उपलब्ध करा दी जायेगी ।

श्री आलोक रंजन : महोदय, माननीय मंत्री जी ने दिया है, लेकिन हम यह जानना चाह रहे थे कि वहां ऑपरेशन की बात हमने की है । वहां एक भी ऑपरेशन नहीं होता है ।

अध्यक्ष : वह बता दिये कि वहां इतना हुआ है । वह दिखवा लेंगे ।

श्री आलोक रंजन : महोदय, वह ऑपरेशन नहीं है, वह प्लास्टर है और एक जानकारी भी हम देना चाहते हैं माननीय मंत्री जी को कि माननीय मंत्री जी जब इससे पूर्व में मंत्री थे, कम डॉक्टर के बाद भी हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज ठीक से करते थे । महोदय, अभी चार-चार सर्जन हैं और वहां एक भी ऑपरेशन नहीं होता है, यह हम जानकारी देना चाहते हैं माननीय मंत्री जी को ।

अध्यक्ष : हो गया, बैठिये ।

श्री आलोक रंजन : महोदय, जो वहां पर हाईटेक मशीन है, समय-समय पर उसको खराब कर दिया जाता है ताकि लोग बाहर जाकर करायें । इसकी भी जांच करा लेंगे माननीय मंत्री जी ।

अध्यक्ष : आलोक जी, आपकी पूरी बात मंत्री जी ने सुनी है । आप तो अकेले भी बात करते रहते हैं । आपकी बात को उन्होंने गंभीरता से ली है । बैठिये ।

श्री प्रहलाद यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या-599 (श्री प्रहलाद यादव, क्षेत्र सं0-167, सूर्यगढ़ा)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि लखीसराय जिला सदर अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर एवं कंसटेटर उपलब्ध है, जिसके द्वारा मरीजों को आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है ।

अस्पताल परिसर में अधिष्ठापित ऑक्सीजन प्लांट का ऑक्सीजन प्यूरिटी निर्धारित मानक से कम रहने के कारण ऑक्सीजन प्लांट का उपयोग नहीं हो रहा है । ऑक्सीजन प्लांट के नियमित रख-रखाव हेतु निविदा आमंत्रण की जा चुकी है । निविदा के आधार पर चयनित सेवा प्रदाता के द्वारा एक माह में कार्य कर लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है पूरक पूछिये ।

श्री प्रहलाद यादव : महोदय, पूरक पूछ लेते हैं ।

माननीय मंत्री जी की तरफ से जवाब आया है कि वहां ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है । जो यह जवाब आया है वह गलत है, इसकी जांच करा लें और दूसरी बात है कि जो ऑक्सीजन प्लांट वहां पर मौजूद है,

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये ।)

कहना है कि ऑक्सीजन प्लांट का जो मानक होता है प्यूरिटी का, वह उपलब्ध उसमें नहीं होता है, तो हम माननीय मंत्री जी से एक ही बात जानना चाहते हैं कि क्या पूरे बिहार में और लखीसराय में आपके पास ऑक्सीजन प्लांट...

अध्यक्ष : प्रहलाद बाबू, आपका प्रश्न केवल लखीसराय अस्पताल के बारे में है, उसी के बारे में पूछिये ।

श्री प्रहलाद यादव : हुजूर, सुना जाय । ऑक्सीजन प्लांट चलाने के लिए आदमी होना चाहिए । उसको चलाने के लिए आज तक आदमी ही नहीं है, तो फिर ऑक्सीजन प्लांट चलेगा कहां से ? इसलिए माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तो पर्याप्त सिलेंडर की बात हुई है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री प्रहलाद यादव : और दूसरा कि वह मानक प्यूरिटी के अनुसार नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऑक्सीजन प्लांट आप नहीं चला पाइयेगा उसके लिए कहते हैं कि सिलेंडर पर्याप्त है, तो आप जांच करवाकर देख लीजिए ।

अध्यक्ष : आप बैठियेगा तब न जवाब देंगे मंत्री जी । आप बैठिये न । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बहुत जायज है और मैं स्वास्थ्य मंत्री के नाते भी उनके इस गंभीर विषय को लेकर चिंतित हूं और जब यह प्रश्न मेरे सामने आया तो मैंने इस विषय की विस्तृत समीक्षा की है । न केवल लखीसराय, बल्कि संपूर्ण राज्य की समीक्षा की है । पहला जो विषय है माननीय सदस्य का, मैं फिर से उनको कहना चाहता हूं कि ऑक्सीजन आपूर्ति की दो व्यवस्थाएं अस्पतालों के अंदर होती हैं । एक ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से होती है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर दो तरह के होते हैं । हम सब लोग देखते होंगे बी टाईप और डी टाईप, बड़ा और छोटा उसके अलावा कोरोना काल के समय से पूरे राज्य के सभी...

अध्यक्ष : पूरे राज्य की बात कहां है, यह तो लखीसराय की बात है ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : मैं लखीसराय की ही बात कर रहा हूं । मैंने जो विस्तृत समीक्षा की उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं । तो लखीसराय सहित सभी जिलों में जो ऑक्सीजन की अनुपलब्धता पहले होती थी उसके लिए हमने ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर की व्यवस्था तीन वर्ष पूर्व राज्य के सभी अस्पतालों में लखीसराय सहित करवायी थी । यदि सिलेंडर नहीं रहता है, तो वह मशीन होती है, जो कि बिजली से चलती है और ऑक्सीजन वहीं जनरेट होती है और वह मरीज को दी जाती है, तो वह मशीन भी वहां उपलब्ध है और तीसरी जो चिंता ऑक्सीजन प्लांट को लेकर है वह बहुत सही है । मानवबल की कमी विभाग में होने के कारण उसको चलाने में कठिनाई थी । इसीलिए हमने जवाब दिया है, उसके लिए निविदा प्रकाशित की गयी है और उस पूरी व्यवस्था को हम आऊटसोर्स कर रहे हैं ताकि जो भी कंपनी इसको चलाने की जिम्मेवारी लेगी, मानवबल उसका होगा, प्यूरिटी ठीक रहे इसकी वह देख-रेख करेगी और यह कार्य एक महीने के अंदर शुरू कर दिया जायेगा यह मैंने जवाब में स्पष्ट रूप से लिखा है । अब प्रहलाद जी की बात कैसे नहीं मानेंगे हम ।

अध्यक्ष : प्रहलाद जी, अब इससे बढ़िया जवाब कौन दे सकता है ? बताइये । हम जब स्वास्थ्य मंत्री थे, तो इतना बढ़िया जवाब नहीं देते थे ।

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-600(श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्र सं0-194, आरा)</u>

(मुद्रित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि देश के सभी राज्यों में राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम लागू है । टी0बी0 मरीजों के उपचार के लिए सभी प्रकार की दवायें केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त होती रही हैं । कतिपय कारणों से केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, भारत सरकार से यक्ष्मा निरोधी दवाओं को भेजने में विलम्ब होने की स्थिति में स्थानीय क्रय कर दवा आपूर्ति करने हेतु जिलों को तथा बिहार चिकित्सा सेवायें-सह-आधारभूत संरचना निगम को राशि आवंटित की गयी है।

2- राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम अन्तर्गत टी0बी0 एवं ड्रग रेजिस्टेंड टी0बी0 रोगियों के उपचार के लिए बिहार चिकित्सा सेवायें-सह-आधारभूत संरचना निगम द्वारा कुल 12 प्रकार की दवाओं का अनुबंध है तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 4 प्रकार का विशिष्ट पैक (कौम्बी पैक) एवं 5 प्रकार की अन्य टी0बी0 निरोधी दवाएं कुल 9 प्रकार की औषधियों को Essential Drug List में शामिल करने पर अंतिम टेक्निकल कमिटी की बैठक में सर्वसम्मति से समावेशित करने का निर्णय लिया जा चुका है एवं बी0एम0एस0आई0सी0एल0 के माध्यम से कुल 9 प्रकार की यक्ष्मा अवरोधी दवाओं का दर निर्धारण प्रक्रियाधीन है ।

3- केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, भारत सरकार से टी0बी0 की दवाएं मिलना प्रारंभ हो गयी हैं ।

अध्यक्ष : अमरेन्द्र बाबू, पूरक पूछिये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, पूरक की पूछ रहा हूं । महोदय, जवाब में माननीय मंत्री ने कहा है कि 12 प्रकार की दवाओं का अनुबंध तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 4 प्रकार का विशिष्ट पैक (कौम्बी पैक) एवं 5 प्रकार की अन्य टी0बी0 निरोधी दवाएं कुल 9 प्रकार की औषधियों को एसेंशियल ड्रग लिस्ट में शामिल करने पर अंतिम टेक्निकल कमिटी का निर्णय लिया जा चुका है एवं बी0एम0एस0आई0सी0एल0 के माध्यम से कुल 9 प्रकार की यक्ष्मा अवरोधी दवाओं का दर निर्धारण प्रक्रियाधीन है। महोदय, यह आश्चर्य का विषय है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये । आप तो पुराने आदमी हैं, आप तो मंत्री भी रहे हैं । पूछिये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, वही पूछ रहा हूं आपके माध्यम से कि एसेंशियल ड्रग लिस्ट में अब तक शामिल नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष : माईक पर बोलिये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : एसेंशियल ड्रग की लिस्ट में अब तक शामिल नहीं है और अभी उसको टेक्निकल कमिटी से और सर्वसम्मति से उस पर निर्णय लिया गया है, तो मेरा यही कहना है, फिर भारत सरकार के द्वारा भी जो उपलब्ध कराया जाता रहा है और अभी भी कराया जाता है, तो उसमें भी कभी-कभी महीनों दवा उपलब्ध नहीं होती है ।

अध्यक्ष : क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : हम पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार अपनी कुछ व्यवस्था खड़ी करना चाहती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से अपने उत्तर के प्रथम पैरा में लिखा है कि जो टी0बी0 बीमारी होती है, इस टी0बी0 की बीमारी के इलाज के लिए देश के सभी राज्यों में राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, भारत सरकार के माध्यम से दवाइयां हम सब लोगों को हमेशा से मिलती रही हैं और चूंकि दवाइयों की आपूर्ति लगातार भारत सरकार से होती रहती थी । इसलिए जब ईडीएल की लिस्ट बिहार में बनी, तो उसकी जरूरत हमको महसूस नहीं हुई, चूंकि जब भारत सरकार लगातार दवाइयां दे ही रही है और देती रही है, लगातार यह आपूर्ति होती रही है । कुछ तकनीकी कारणों से विलंब हुआ जिसकी आपूर्ति अब फिर भारत सरकार से शुरू हो गयी है । इसी बीच में जैसे ही आपूर्ति बाधित हुई हमने तुरंत ईडीएल के अंदर उन 9 दवाइयों के नाम को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी और मैंने लिखा है कि उन 9 प्रकार की औषधियों को शामिल करने का टेक्निकल कमिटी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय भी लिया जा चुका है और बी0एम0एस0आई0सी0एल0 को 9 प्रकार की दवाई क्रय करने का निर्देश भी दे दिया गया है, जिसकी क्रय की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है, तो माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा कि सरकार क्या करना चाहती है, तो हम जो करना चाहते हैं वह तो हमने कर दिया । हमने ईडीएल में शामिल भी कर दिया, क्रय का आदेश भी दे दिया, दवाई आने वाली भी है, भारत की सरकार से भी दवाई आ गयी, दवाई जानी शुरू भी हो गयी, तो माननीय सदस्य की चिंता जो इस प्रश्न के माध्यम से थी उसका समाधान करने का हमने प्रयास किया है । माननीय सदस्य हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, अभिभावक तुल्य हैं । उनका तो कोई भी प्रश्न आता है, तो हम बहुत गंभीरता से लेते हैं ।

अध्यक्ष : श्रीमती नीतु कुमारी ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-601 (श्रीमती नीतु कुमारी, क्षेत्र सं0-236, हिसुआ)</u>

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

श्री आलोक रंजन ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-602 (श्री आलोक रंजन, क्षेत्र सं0-75, सहरसा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : 1- स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

सदर अस्पताल, सहरसा में अधिष्ठापित ऑक्सीजन प्लांट में लगे तांबे के पाईप की चोरी की घटना के संदर्भ में सदर थाना, सहरसा में प्राथमिकी (प्राथमिकी सं0-705/24, दिनांक- 16.07.2024) दर्ज की गयी है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि ऑक्सीजन प्लांट का अधिष्ठापन PM Cares Fund के अंतर्गत DRDO के द्वारा कराया गया है । ऑक्सीजन प्लांटों के नियमित रख-रखाव के कार्य हेतु केन्द्रीयकृत रूप से निविदा आमंत्रित की जा चुकी है । एक माह में ऑक्सीजन प्लांट चालू करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री आलोक रंजन : महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वहां ऑक्सीजन प्लांट बंद है । हमने तो एक साल लिखा, दो साल से बंद है और ऑक्सीजन प्लांट वाला जो पाईप है, उसकी चोरी नवंबर माह में पिछले साल...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये आलोक जी ।

श्री आलोक रंजन : महोदय, पूरक ही पूछ रहे हैं । महोदय, प्राथमिकी दर्ज की गयी है 16.07.2024 को....

अध्यक्ष : पूरक पूछिये । मंत्री जी भी समझते हैं बात को और मंत्री जी ने अभी ऑक्सीजन प्लांट के बारे में विस्तार से जवाब दिया है । पूरक पूछिये, जवाब मिलेगा आपको ।

श्री आलोक रंजन : महोदय, 16.07.2024 को प्राथमिकी दर्ज की गयी, वहां पर जो तांबे का पाईप चोरी हुआ 11वें महीने में पिछले साल चोरी हुई....

अध्यक्ष : यह कोई पूरक नहीं हुआ । भाषण की अनुमति नहीं है । पूरक पूछिये ।

श्री आलोक रंजन : नहीं, महोदय हम भाषण नहीं दे रहे हैं । महोदय, यह अभी एफ0आई0आर0 करायी गयी है जब हमने प्रश्न किया । इतने माह से एफ0आई0आर0 नहीं हुई । गार्ड के द्वारा दो चोरों को पकड़ कर दिया गया, उसको भी छुड़ा दिया गया ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये न ।

टर्न-5/संगीता/26.07.2024

श्री आलोक रंजन : उस पदाधिकारी पर जो यह प्राथमिकी दर्ज नहीं कराया उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय ?

अध्यक्ष : बैठिए । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, कार्रवाई करने के लिए ही तो एफ0आई0आर0 होता है और फिर उसकी कानूनी प्रक्रिया होती है । पुलिस है, चोर को खोजेगी, पकड़ेगी और ऐसे आपको बताएं आपने ठीक ही कहा माननीय सदस्य से रोज बात होती है और इस विषय पर मेरे से भी बात हो चुकी है, मेरे ए0सी0एस0 से भी पूरा डिटेल में कल ही बात हुई है...

अध्यक्ष : यह तो बड़ा गड़बड़ बात है आलोक जी, आप अकेले में भी बात कर लेते हैं और फिर यहां भी सवाल खड़ा करते हैं...

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : पूरा विस्तृत चर्चा हुआ है, विस्तृत चर्चा के बाद जितना कुछ हुआ है सब उनको मालूम है और वे संतुष्ट भी हैं ।

अध्यक्ष : चलिए धन्यवाद ।

श्री आलोक रंजन : महोदय...

अध्यक्ष : अब बैठिए आप । आपकी बात हो गई, समय किल मत करिए बाकी मेंबर्स का ।

तारांकित प्रश्न संख्या-603 (श्री ऋषि कुमार, क्षेत्र संख्या-220, ओबरा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-604 (श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, क्षेत्र संख्या-224, रफीगंज)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-605 (श्री अवध बिहारी चौधरी, क्षेत्र संख्या-105, सिवान)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-606 (श्रीमती निशा सिंह, क्षेत्र संख्या-66, प्राणपुर)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-607 (श्रीमती प्रतिमा कुमारी, क्षेत्र संख्या-127, राजापाकर) (अ0जा0)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-608 (श्री प्रहलाद यादव, क्षेत्र संख्या-167, सूर्यगढ़ा)

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, प्रहलाद बाबू ।

श्री प्रहलाद यादव : महोदय, पूरा पढ़े ही नहीं हैं ।

अध्यक्ष : पूरा नहीं पढ़े हैं ?

श्री प्रहलाद यादव : नहीं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग । प्रहलाद बाबू ने अपना उत्तर नहीं पढ़ा है, पढ़ दीजिए।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : उत्तर नहीं मिला है क्या ?

अध्यक्ष : नहीं, उत्तर पढ़े नहीं हैं, नहीं गया है ऐसा नहीं कह रहे हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अब नहीं पढ़े हैं तो इसकी जवाबदेही किसकी है ?

अध्यक्ष : आप पढ़ दीजिए । आपके पुराने मित्र हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1. -आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि 33/11 KV कोर्ट एरिया विद्युत शक्ति उपकेन्द्र से 11 KV मननपुर फीडर द्वारा किउल नदी के पार खुटुकुपार पंचायत में विद्युत आपूर्ति की जाती है । जिसमें आवश्यकतानुसार वृक्षों की छंटाई कर अनुरक्षण एवं मरम्मती का कार्य किया जाता है ।

पिछले वर्ष बरसात के मौसम में किउल नदी में तेज धार होने के कारण विद्युत लाईन का DP संरचना क्षतिग्रस्त हो गया था जिसे विस्थापित कर नदी क्षेत्र के किनारे अधिष्ठापित कर विद्युत संरचना को सुदृढ़ कर लिया गया है एवं संबंधित क्षेत्रों में सुचारू रूप से विद्युत्त आपूर्ति की जा रही है ।

अध्यक्ष : प्रहलाद जी, पूरक पूछिए ।

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां का प्रश्न हम किए हैं वहां का यह उत्तर नहीं है । ये मननपुर ग्रिड की बात कर रहे हैं और ये 4 पंचायत में जहां का हम प्रश्न किए हैं, वह लखीसराय का जो कोर्ट एरिया है, वहां से विद्युत की आपूर्ति होती है और किउल नदी बीच में पड़ता है हसनपुर गांव के बगल में और वहीं से यह बिजली जाती है । वहां गाछ रहने के कारण, हल्का बारिश होने के कारण तार टूट जाता है और बराबर विद्युत आपूर्ति बाधित रहता है । हम तो कह रहे हैं कि यह जो उत्तर दे रहे हैं वह उत्तर दूसरी जगह का है और जिस जगह का यह प्रश्न है वहां का उत्तर ही नहीं आया है । इसलिए आपसे आग्रह होगा कि इस प्रश्न के अनुसार जो कोर्ट एरिया से हसनपुर गांव होकर के जो किउल नदी से पार करता है, वहां पर दो टावर की जरूरत है ।

अगर टावर लग जाता है तो जो दिक्कत होती है वर्षा से या आंधी से वह दिक्कत दूर होगी और 4 पंचायत को आवाद रूप से...

अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

श्री प्रहलाद यादव : बिजली मिलेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, ऊर्जा विभाग । माननीय मंत्री जी इनका कहना है कि अभी जहां से बिजली आपूर्ति हो रही है वह नदी के उस पार है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय सदस्य एक डिटेल लिखकर दे दें, इस पर देखेंगे ।

अध्यक्ष : आप एक बार लिखकर फिर से दे दीजिए, करायेंगे मंत्री जी कह रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-609 (श्री बीरेन्द्र कुमार, क्षेत्र संख्या-139, रोसड़ा (अ0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक । वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर के अंजानपीर स्थित NH-19 पर निर्माणाधीन ओवरब्रीज के समीप में ट्रांसमिशन टावर के स्थानांतरण का कार्य NHAI द्वारा Monopole पर किया जा रहा है ।

2. अस्वीकारात्मक ।

3. NHAI से प्राप्त सूचना के अनुसार अंजानपीर स्थित NH-19 पर निर्माणाधीन ओवरब्रीज से उच्च विभव के बिजली के पोलों को विस्थापित करने का कार्य प्रगति पर है तथा यह कार्य नवम्बर, 2024 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, बीरेन्द्र जी । उत्तर संलग्न है ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : महोदय, बिजली सड़क बनाने के क्रम में जब एन0ओ0सी0 मिलता है फिर भी सड़क के मध्य या किनारे में बिजली का खंभा लगा रहता है । ओवरब्रिज बन रहा है हाजीपुर में वर्षों से लेकिन बिजली का पोल नहीं हटाने के कारण कार्य बाधित है । श्रीमान, ऐसा कई सड़कों पर दिखता है । मेरे यहां 10 नंबर सड़क बनायी गई है, परशुराम गांव में...

अध्यक्ष : आपके यहां की बात कहां हो रही है, यह तो हाजीपुर ओवरब्रिज की बात हो रही है ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : उसके साथ-साथ दिया गया है ये जो निर्माणाधीन सड़क पर...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, NHAI इसको बना रही है और पोल का शिफ्टिंग भी कर रही है । कार्रवाई जल्दी पूरी होगी ।

अध्यक्ष : कार्रवाई होगी । अब बैठ जाइए ।

तारांकित प्रश्न संख्या-610 (श्री संजय सरावगी, क्षेत्र संख्या-83, दरभंगा)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : 1. अस्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में आयुष यथा आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक औषधालयों/अस्पतालों में प्रतिवर्ष आयुष औषधियों के क्रय हेतु आवंटन उपलब्ध करायी जाती है । जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा आयुष दवाओं का क्रय कर रोगियों के बीच आवश्यकता के अनुसार वितरित किया जाता रहा है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में आयुष औषधियों के क्रय हेतु 3,56,58,000/- (तीन करोड़ छप्पन लाख अंठावन हजार) रूपये आवंटित की गयी है ।

राज्य आयुष समिति, बिहार द्वारा भी होमियोपैथिक दवाओं का क्रय कर वितरण किया गया है । पूर्व में भी उपाधीक्षक, दस शैय्यायुक्त राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल, पटना द्वारा लगातार होमियोपैथिक दवाओं का क्रय कर रोगियों के बीच आवश्यकता के अनुसार वितरित किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए और माननीय दिलीप जायसवाल जी जो उच्च सदन के सदस्य हैं, इनका मैं हार्दिक अभिनन्दन, हार्दिक स्वागत करता हूं ।

अध्यक्ष : बधाई हो । आप पूरक पूछिए ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, मैं आयुष अस्पतालों में दवाओं के अभाव के बारे में पूछ रहा था..

अध्यक्ष : आप इनके मंत्री पद से हटने का बधाई दे रहे हैं कि अध्यक्ष बनने के लिए बधाई दे रहे हैं ? यह पहले बता दीजिए...

श्री संजय सरावगी : नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं इसकी मैं बधाई दे रहा हूं ।

अध्यक्ष : आगे बढ़िए । पूछिए, पूछिए ।

श्री संजय सरागवी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बोला है कि आयुष अस्पतालों में 3 करोड़ 56 लाख 58 हजार की दवाई वित्तीय वर्ष में राशि का प्रावधान किया गया

है । मैं पूछना चाहता हूं कि राज्य में जो आयुष चिकित्सक हैं, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में 1399 हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 533 हैं और जिला अस्पतालों की संख्या 36 है । इनमें भी बड़ी संख्या में आयुष चिकित्सक हैं तो ये 3 अस्पताल जो मैंने बताया इन तीनों अस्पतालों में जो देशी दवाएं हैं उसमें कितनी राशि कर्णांकित की गई और कितनी दवाई उपलब्ध करायी गई यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने...

अध्यक्ष : आयुष दवाओं की आपूर्ति करने का विचार रखती है केवल यह प्रश्न आपका है, राशि आवंटित की गई यह प्रश्न में कहां है ?

श्री संजय सरावगी : महोदय, दवा के लिए राशि...

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, ये दवाओं की संख्या पूछ रहे हैं तो वह भी प्रश्न में है ।

अध्यक्ष : ठीक है, आप बता दीजिए ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की जो चिन्ता है वह वाजिब है । जो आयुष चिकित्सक हैं वे आयुष दवाइयां ही लिखें यही उनका काम भी है और यही सोच कर विभाग उनको नियुक्त भी करता है और इस वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ 56 लाख 58 हजार रुपया इस कार्य में आवंटित किया गया है । मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न के जवाब में अभी 3 करोड़ 56 लाख 58 हजार रुपये की राशि की जानकारी मैंने उन्हें दी है । कल पुनः इस विषय की समीक्षा दुबारा मैंने विभाग में की और फिर जब दुबारा विभाग में समीक्षा की उसके उपरान्त फिर हमने तय किया कि और 7 करोड़ रुपया अगले 3 महीने के अंदर इस काम के लिए विभाग देगा और 7 करोड़ इसके अतिरिक्त और राशि आयुष दवाईयों के क्रय हेतु खर्च किया जाएगा और जो राज्य की आयुष समिति है वह लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेगी कि जो हमारे आयुष चिकित्सक हैं वे इन दवाइयों को लिखें और उनकी आपूर्ति भी जो हमारे मरीज हैं उनको उपलब्ध किया जाय और उनको दवाइयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न है । माननीय मंत्री जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने 7 करोड़ और दिया लेकिन मेरी चिन्ता देशी चिकित्सालयों की नहीं हैं, मेरी चिन्ता है जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो सदर पी0एच0सी0 हैं और जो जिला अस्पताल हैं, वहां जो आयुष चिकित्सक

हैं, क्या माननीय मंत्री जी वहां भी दवा उपलब्ध करायेंगे यह मेरी चिन्ता है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, उन्हीं तीन स्तर के चिकित्सा सेवा संस्थानों में चिकित्सकों की नियुक्ति की जाती है तो स्वाभाविक रूप से जहां चिकित्सक रहेंगे वहीं दवा लिखेंगे और वहीं दवाइयों की आपूर्ति भी होगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-611 (डॉ0 रामानुज प्रसाद, क्षेत्र संख्या-122, सोनपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-612 (श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र संख्या-20, चिरैया)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चिरैया प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों में विद्युत आपूर्ति विद्युत शक्ति उपकेन्द्र चिरैया से की जाती है । उक्त विद्युत शक्ति उपकेन्द्र की वर्तमान क्षमता (1x10x1x5)=15MVA है जिससे पूरे प्रखण्ड में सामान्य रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

भविष्य में लोड बढ़ने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस विद्युत उपकेन्द्र के क्षमता वृद्धि हेतु 5MVA ट्रान्सफर्मर को 10MVA ट्रान्सफर्मर से बदलने का प्रस्ताव RDSS के Modernisation योजना के तहत भेजा गया है । केन्द्रीय नोडल एजेंसी REC Ltd द्वारा उक्त योजना की स्वीकृति उपरान्त यह कार्य कराया जाएगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, लाल बाबू जी ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जो जवाब आया है उससे संतुष्ट हूं । अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को पहले बधाई देता हूं कि जो जवाब मिला है वह सही है लेकिन हम चाहते हैं कि 23 पंचायत का हमारा चिरैया प्रखंड है वह बड़ा प्रखंड है इसलिए सही बिजली का आपूर्ति नहीं हो पाता है इसलिए हम चाहते हैं कि शिकारगंज में एक उपकेन्द्र लग जाए तो सभी लोगों को सुविधाजनक बिजली मिले । चूंकि सरकार की भी मंशा है कि बिजली की सप्लाई अच्छी हो तो वहां एक उपकेन्द्र लग जाए तो हमारी चिरैया प्रखंड 23 है उसमें 8 एक जगह कर दिया जाए और 15 एक जगह तो बहुत अच्छा होगा ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइए । आपका सुझाव...

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : कब तक खुलेगा ?

अध्यक्ष : ठीक है आप बैठिए न ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आपूर्ति की जो राशि है नए सबस्टेशन की जरूरत है । 5 के बदले में 10 का प्रस्ताव भेजा गया है, जल्द ही उसकी स्वीकृति हो जाएगी ।

अध्यक्ष : चलिए होने वाला है । बढ़िया है ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । प्रश्न किया गया है ठीक है लेकिन वह दूर पड़ जाता है इसलिए जाते-जाते वहां के लाईट वाले को, न पंखा चल पाता है न टी0वी0 चलता है, वोल्टेज मिलता ही नहीं है, बहुत लंबा-चौड़ा क्षेत्र है इसलिए वहां हो जाने से सुविधा हो जाएगी लोगों को ।

टर्न-6/सुरज/26.07.2024

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी चिंता करेंगे कि सबको लाईन मिले और वोल्टेज मिले, बैठिये ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-613 (श्री मोहम्मद अनजार नईमी, क्षेत्र संख्या-52, बहादुरगंज)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-614 (श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र संख्या-20, चिरैया)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के पताही प्रखण्ड के बखरी पंचायत के वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6 में LT Bare Conductor line से विद्युत आपूर्ति हो रही थी जिसे RDSS योजना के तहत AB Cable (Covered Conductor) से बलदने का कार्य वार्ड नं0-5 में पूरा किया जा चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है । कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य अगस्त-2024 है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : महोदय, मंत्री जी से जो सवाल किये थे, उसका उत्तर सही मिला है इसलिये मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई ।

तारांकित प्रश्न संख्या-615, (श्री श्रीकान्त यादव, क्षेत्र संख्या-113, एकमा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-616 (श्रीमती रश्मि वर्मा, क्षेत्र संख्या-3, नरकटियागंज)

अध्यक्ष : पूरक पूछिये रश्मि जी ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं है । कृपया मंत्री जी उत्तर जरा पढ़ देंगे ।

अध्यक्ष : उत्तर नहीं देखी हैं ?

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, उत्तर नहीं मिला है । मैंने अभी भी पता किया है उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत नरकटियागंज विधान सभा क्षेत्र में निर्वाध एवं सुरक्षित विद्युत आपूर्ति हेतु पुराने ट्रांसफॉर्मर के स्थान पर नये सी0एस0एस0 अधिष्ठापन करने की वर्तमान में कोई योजना स्वीकृत नहीं है ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, मेरा पूरक है माननीय मंत्री जी से कि माननीय मंत्री जी ये अपनी नियमावली में चेंजेज जरूर लायें । नरकटियागंज बाजार बहुत ही कंजेस्टेड और डेंस्ड हैं, आये दिन हादसे होते रहते हैं और रिसेंटली आग भी लगी और लोगों ने अपने सामने ट्रांसफॉर्मर बदलवाने और लगवाने का विरोध भी किया है । अभी रिसेंटली विरोध भी किया है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वह सी0एस0एस0 कम से कम नरकटियागंज में लगवाने का । जैसे स्मार्ट सिटी में लग रहे हैं तो कम से कम नरकटियागंज बाजार में जरूर सी0एस0एस0 लगाने का कोई न कोई प्लानिंग करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उनके सुझाव पर विचार कीजियेगा ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-617 (श्री अजय यादव, क्षेत्र संख्या-23, अतरी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-618 (श्री विनय बिहारी, क्षेत्र संख्या-5, लौरिया)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-619 (मो0 आफाक आलम, क्षेत्र संख्या-58, कसबा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-620 (डॉ0 सुनील कुमार, क्षेत्र संख्या-172, बिहारशरीफ)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-621 (श्री जय प्रकाश यादव, क्षेत्र संख्या-46, नरपतगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फूलकाहा के अर्द्धनिर्मित भवन के संबंध में निर्माण एजेंसी (भवन निर्माण विभाग)

से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी है । इसके प्राप्त होने के पश्चात इस अर्द्धनिर्मित भवन के निर्माण की दिशा में कार्रवाई प्रस्तावित है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब प्राप्त है । मेरे यहां 3 यूनिट ए0पी0एच0सी0 का भवन बना हुआ है बिगत 10 वर्षों से लेकिन छत ढ़लाई के बाद से ही अधूरा पड़ा हुआ है । मंत्री जी का जवाब आया है कि निर्माण एजेंसी से प्रतिवेदन मंगाया जा रहा है और उसके बाद उन पर निर्णय लिया जायेगा, प्रस्तावित है । मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि अगर सरकार गंभीर है तो जवाब एक सप्ताह में आकर के फिर अग्रिम कार्रवाई हो सकती है तो कितने दिनों में यह कार्रवाई पूर्ण होगी ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, यह योजना 15 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुई थी और उस वक्त विभाग के द्वारा जो अस्पतालों का निर्माण कराया जाता था, वह भवन निर्माण विभाग के द्वारा कराया जाता था । बाद के वर्षों में वर्ष 2012 से स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही कॉरपोरेशन बना, जिसके माध्यम से भवनों का निर्माण कराया जाता है चूंकि ये 15 वर्ष पुरानी योजना है और जब माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को सामने लाया तो उसकी तस्वीर भी मैंने मंगायी है, उसकी तस्वीर भी मैंने देखी है । निश्चित रूप से वह अर्द्धनिर्मित भवन है चूंकि अंतर विभागीय मामला अब हो गया है । अब स्वास्थ्य विभाग के साथ यह भवन निर्माण विभाग का भी मामला हो गया है इसलिये भवन निर्माण विभाग को हमने लिखा है कि आप उसकी अभी जो वर्तमान स्थिति है, उसका प्रतिवेदन दीजिये और मैं माननीय सदस्य को संतुष्ट करना चाहता हूं कि उसका प्रतिवेदन मैं शीघ्र अतिशीघ्र मंगवाकर उस अर्द्धनिर्मित उनके ए0पी0एच0सी0 को बनवाने का काम करूंगा । यदि वह भवन निर्माण विभाग करने को तैयार होगा तो उसके माध्यम से नहीं तो बी0एम0एस0आई0सी0एल0 के माध्यम से ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-622 (श्री बीरेन्द्र कुमार, क्षेत्र संख्या-139, रोसड़ा(अ0जा0))</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को उक्त मामले की जांच करते हुये एक पक्ष के अंदर

जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक-965(2) दिनांक-22.07.2024 द्वारा निदेशित किया गया है । वांछित जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूरी पर सिंघिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है । जांच के क्रम में जाने पर रजिस्टर देखने के बाद मिलता है, प्रभारी भी वहां मौजूद थे । ड्यूटी रात में है और हाजिरी दिन में बना ली जाती है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : महोदय, पूरक ही पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष : आपका पूरक प्रश्न क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं ?

श्री बीरेन्द्र कुमार : यानी कि जो कर्मचारी रात में ड्यूटी को जायेंगे, ड्यूटी रात में है तो उनकी हाजिरी दिन में बनी रहती है और विगत 8 वर्षों से वहां का प्रभारी अनियमितता फैलाये हुये है ।

अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं ?

श्री बीरेन्द्र कुमार : उनको हटाया जाय और अच्छा प्रभारी वहां पर दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, ये बहुत ही गंभीर विषय की ओर माननीय सदस्य ने हमारा ध्यान आकृष्ट कराया है और मैंने तुरंत क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को इसकी जांच का निर्देश दिया है और जांच प्रतिवेदन उनको एक पक्ष के अंदर समय सीमा भी निश्चित कर दी है । एक पक्ष के अंदर जांच प्रतिवेदन उनसे मंगाया है और उसके बाद जो दोषी होंगे उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-623 (श्री जितेन्द्र कुमार, क्षेत्र संख्या-171 अस्थावां)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नालन्दा जिलान्तर्गत अस्थावाँ विधान सभा के बिन्द प्रखंड के ग्राम उतरथू में हेल्थ एण्ड वेलनेंस सेन्टर (प्री-फैब संरचना) के निर्माण की स्वीकृति राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक-3879, दिनांक-03.10.2023 के द्वारा दी गयी है । प्रश्नगत स्थल पर निर्माण कार्य एक माह में प्रारंभ किया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये जितेन्द्र जी ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, विनम्रता पूर्वक एवं आग्रह पूर्वक माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कृषि विद्युत योजना के तहत हमारे विधान सभा क्षेत्र के अस्थावां, सरमेरा, बिंद एवं कतरीसराय प्रखंडों में दर्जनों गांवों में करीब वर्षों से अधूरे कार्य पड़े हैं । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उक्त जो अधूरे कार्य हैं यथाशीघ्र करवाने की कृपा करने चाहेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आर0डी0एस0एस0 कार्यक्रम के तहत सभी कार्य कराये जायेंगे, सितम्बर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है ।

अध्यक्ष : पूरा हो जायेगा 2025 तक बैठिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या-624 (श्री अरूण सिंह, क्षेत्र संख्या-213, काराकाट)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-625 (डॉ0 निक्की हेम्ब्रम, क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया(अ0ज0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि कटोरिया प्रखंड के मनिया पंचायत के सलैया गांव में 63 के0भी0ए0 का ट्रांसफॉर्मर अधिष्ठापित है । अधिक लोड के कारण लो वोल्टेज का निराकरण हेतु एक अतिरिक्त ट्रासफॉर्मर लगाने के लिये सर्वे का कार्य कराकर आर0डी0एस0एस0 योजना में शामिल कर लिया गया है, जिसे पूर्ण करने का लक्ष्य अगस्त 2024 है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, निक्की जी ।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है । इसमें सर्वे हो चुका है और समय-सीमा भी निर्धारित है इसलिये माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-626 (श्री कुंदन कुमार, क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय सदर प्रखंड के खम्हार, रजौड़ा एवं बंदवार में भूमि उपलब्ध हो गया है । निविदा निष्पादन के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ की जायेगी । कैथ में भूमि उपलब्ध नहीं है । कैथ में उपयुक्त भू-खण्ड प्राप्ति के उपरांत निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

वीरपुर प्रखंड के जगदर एवं नौला में भूमि उपलब्ध हो गया है तथा निविदा निष्पादन के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ की जायेगी । गाड़ा में निर्माण एजेंसी

BMSICL द्वारा कार्य संवेदक को आवंटित कर दिया गया है एवं अगले 15 दिनों में कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये कुंदन जी ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है उसमें कहा गया है कि बेगूसराय सदर प्रखंड के खम्हार, रजौड़ा, बंदवार एवं वीरपुर प्रखंड के जगदर, नौला एवं गाड़ा में निर्माण कार्य शुरू कराया जायेगा और निविदा की प्रक्रिया में है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि निविदा की प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, निविदा की प्रक्रिया कब पूर्ण कर ली जायेगी इसका स्पष्टतः जवाब नहीं दिया जा सकता है चूंकि उसका टेक्निकल बीड खुलता है, फाईनेंसियल बीड खुलता है फिर एग्रीमेंट होता है लेकिन मैंने माननीय सदस्य को बताया है...

अध्यक्ष : ये सब बात उनको मालूम है टेक्लिनक बीड क्या होता है, फाईनेंसियल बीड क्या होता है ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, इस विषय पर मेरी, उनकी पूरी बात हो चुकी है पूरे प्रोसेस की फिर भी सदन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि गाड़ा में निर्माण एजेंसी BMSICL के द्वारा जिस संवेदक को कार्य आवंटित किया गया है, उसको 15 दिनों में कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दे दिया गया है और माननीय सदस्य के द्वारा भी मुझे व्यक्तिगत रूप से भी जानकारी दी गयी थी कि जगदर एवं नौला में भूमि उपलब्ध है तो वहां भी BMSICL को निर्देशित किया है कि जल्दी से निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करके वहां कार्य प्रारंभ करायें ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री कुंदन कुमार : सकारात्मक जवाब के लिये मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-627 (श्री मनोज यादव, क्षेत्र संख्या-163 बेलहर)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बांका जिलान्तर्गत फुल्लीडूमर प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनकुरिया का निर्माण कार्य रु0 7.09 करोड़ की लागत से की जा रही है । वर्तमान में भवन में Finishing का कार्य प्रगति पर है तथा लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण है ।

भवन के निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों यथा गिट्टी, बालू, ईंट इत्यादि की जांच समय-समय पर सरकारी संस्थान/NABL प्राधिकृत

संस्थान से करवायी जाती है । जिसके जांचफल प्रतिवेदन में सामग्रियों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप है ।

उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, मनोज जी ।

श्री मनोज यादव : महोदय, उत्तर में दिया गया है कि भवन के निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों यथा गिट्टी, बालू, ईंट इत्यादि की जांच समय-समय पर सरकारी संस्थान/NABL प्राधिकृत संस्थान से करवायी जाती है । मैं खुद उस जगह पर गया था, जब मैं गया तो देखा कि न ही ईंट सही था, बालू बहुत ही निम्न स्तर का था और जो सीमेंट यूज किया गया था वह भी बहुत निम्न स्तर का था तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उच्च स्तरीय जांच आप कराना चाहते हैं पटना के टीम के द्वारा ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि आप जिस स्तर के अधिकारी का नाम बतायें मैं उस स्तर के अधिकारी से जांच करवा देता हूं ।

अध्यक्ष : आप जिससे चाहे उससे जांच करवा देंगे माननीय मंत्री जी ।

श्री मनोज यादव : धन्यवाद ।

श्री कृष्ण कुमार मंटू : महोदय, एक पूरक है मेरा ।

अध्यक्ष : आपका इसमें कहां से आ जायेगा ?

श्री कृष्ण कुमार मंटू : महोदय, इसमें एक पूरक है मेरा ।

अध्यक्ष : बेलहर में आप कहां से आ जायेंगे ?

श्री कृष्ण कुमार मंटू : महोदय, स्वास्थ्य का एक पूरक है मेरा ।

अध्यक्ष : स्वास्थ्य का नहीं, यह बेलहर का है बांका जिला का है आपका नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-628 (श्री भीम कुमार सिंह, क्षेत्र संख्या-219, गोह)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों...

(व्यवधान)

बैठिये, बैठिये ।

जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाएं ।

अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 26 जुलाई, 2024 के लिये निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सुचनाएं प्राप्त हुई हैं । श्री महबूब आलम, श्री सत्यदेव राम, श्री महा नंद सिंह, श्री संदीप सौरभ, श्री रामबली सिंह यादव, श्री अरूण सिंह, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री गोपाल रविदास एवं श्री बीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता ।

दूसरा, श्री अख्तरूल ईस्लाम शाहीन, श्री मुकेश कुमार यादव, श्री अजय कुमार, श्री राम रतन सिंह, श्री जितेन्द्र कुमार राय, श्री शकील अहमद खाँ, श्री सुरेन्द्र राम, श्रीमती अनिता देवी ।

तीसरा, श्री अजीत शर्मा ।

आज सदन में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य निर्धारित हैं, जिसमें गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे । अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 19(1)एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

टर्न-7/राहुल/26.07.2024

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : महोदय, पढ़ने का मौका दीजिये, परंपरा मत तोड़िये ।

अध्यक्ष : अमान्य हो गया तो कैसे सुन लें ? अमान्य हो गया न ।

(व्यवधान)

इधर जो आ जाते थे तो कैसे पढ़ियेगा ? इधर आना बंद करिये तो पढ़ने देंगे।

श्री सत्यदेव राम : दीजिये, नहीं आयेंगे । अब देना होगा ।

अध्यक्ष : पूरे सदन के सामने वादा कर रहे हैं आप । आप सदन के सामने वादा कर रहे हैं ।

श्री सत्यदेव राम : आप दीजिये हम नहीं आयेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य श्री महबूब आलम, अपनी सूचना पढ़िये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, जाति आधारित सर्वेक्षण के उपरांत राज्य के तकरीबन 95 लाख महागरीब परिवारों को लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपये की सहायता राशि की सरकारी घोषणा, आय प्रमाण पत्र के झमेले और ऑनलाईन आवेदन के प्रावधानों के कारण एक क्रूर मजाक बन कर रह गयी है । इस राशि के लिए 72 हजार से कम वार्षिक आमदनी के आय प्रमाण की शर्त लगा दी गयी है जबकि प्रशासन एक लाख

रुपये से नीचे के प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है । जब सरकार के पास पहले से 95 लाख महागरीब परिवारों का डाटा उपलब्ध है तो फिर आय प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है । सरकार की ओर से जारी लघु उद्यमों की सूची में पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण क्रियाकल्प शामिल ही नहीं हैं जो गरीबों के जीवन, जिंदगानी का सबसे बड़ा सहारा है। सभी महागरीब परिवारों को बिना शर्त एकमुश्त दो लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाने तथा लघु उद्यमों की सूची में पशुपालन को जोड़ने के अति लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का कार्य स्थगित कर हम बहस की मांग करते हैं ।

अध्यक्ष : श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, बिहार भारत का सबसे कम प्रतिव्यक्ति आय वाला राज्य है । राज्य में 96 प्रतिशत जोत, सीमांत और छोटे किसान हैं वहीं 32 प्रतिशत परिवारों के पास अपनी जमीन नहीं है । राज्य के 38 जिलों में से 15 जिले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं तथा शेष सभी जिले प्रतिवर्ष सुखाड़ में प्रभावित रहते हैं । यहां प्रतिवर्ष बाढ़ में अरबों की संपत्ति, जान-माल का नुकसान होता है । साथ ही, बुनियादी ढ़ांचे की भी क्षति हो जाती है जिसमें अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता बनी रहती है । राज्य में औद्योगिक विकास भी नहीं के बराबर हुआ है। इन कारणों से राज्य के विकास के सभी मानकों में बहुत पीछे है । विदित हो कि 5वें वित्त आयोग द्वारा विशेष राज्य का दर्जा हेतु निर्धारित मापदंड को बिहार पूरा करता है । महागठबंधन की सरकार दिनांक-22.11.2023 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा था लेकिन भारत सरकार द्वारा इसे खारिज करने से पूरे राज्य की आम जनता में काफी आक्रोश है एवं अपने को ठगा-सा महसूस करती है । अतः दिनांक-26.07.2024 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श हो । अध्यक्ष महोदय, यह अतिमहत्वपूर्ण सवाल है ।

अध्यक्ष : श्री अजीत शर्मा ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आज के लिए सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित कर राज्य में बदहाल हो चुकी विधि व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हो । उल्लेखनीय है कि राज्य में प्रत्येक दिन दर्जनों हत्या, लूट, बलात्कार, छिनतई, डकैती आदि की घटनाएं घट रही हैं। इस तरह की प्रशासनिक शिथिलता के कारण घट रही घटनाओं की वजह से बिहार के लोगों के मन में भय समा गया है और वे अपने को घरों में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । विधि व्यवस्था पर नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो चुका है । अतः आज के

लिए सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित कर राज्य में बदहाल हो चुकी विधि व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करायी जाय ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम, 2024 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या- एस0ओ0-67 एवं 68, दिनांक-15.03.2024 तथा बिहार वित्त सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024 से संबंधित अधिसूचना संख्या-2650, दिनांक-14.06.2024 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के तहत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 158 एवं 159, दिनांक 15.04.2024, एस0ओ0- 189, दिनांक-27.05.2024 एवं एस0ओ0-190 एवं 191, दिनांक-20.06.2024 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के तहत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 158, 159, दिनांक-15.04.2024, एस0ओ0-189, दिनांक 27.05. 2024 एवं एस0ओ0-190, 191, दिनांक-20.06.2024 की एक-एक प्रति 30 दिनों तक सदन पटल पर रखी रहेगी ।

प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली, 2010 के नियम-21(3) के तहत बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 133 याचिकाएं प्राप्त हुए हैं ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, एक मिनट...

अध्यक्ष : अब क्या है ?

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग...

अध्यक्ष : वह हो गया । पढ़ दिये हैं वे । पूरा पढ़ दिये हैं । पूरा पढ़ने की अनुमति दी गयी है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, यह पूरे राज्य के हित में है । समग्र रूप से पूरे बिहार की जनता की यह मांग है और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में हम सभी लोगों ने यहां से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी और विशेष राज्य का दर्जा मिलने से यहां पर टैक्स रिलेक्सेशन होता, इंडस्ट्रीज आती, इंप्लॉयमेंट बढ़ता, यहां की उत्पादकता बढ़ती । ये तमाम चीजें होती, विशेष पैकेज...

अध्यक्ष : आलोक जी, ये पूरी बात उन्होंने रख दी है । अब उस पर डिस्कशन नहीं हो सकता है। आप भी जानते हैं कि क्यों नहीं मिला और इधर के लोग भी जानते हैं । आप सब लोग जानते हैं । इसपर डिस्कशन नहीं हो सकता । अपने स्थान पर बैठिये ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, विशेष दर्जा के बावजूद विशेष पैकेज हो सकता था । इसलिए मांग है कि यह समग्र रूप से समग्र विकास के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग पर पूरे सदन को साईन करने चाहिए और केन्द्र सरकार को इसके लिए मजबूर करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : बैठिये । माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय आलोक मेहता जी ने जो बातें कही हैं । प्रथम पाली की जब शुरुआत हुई थी उस समय भी हमने देखा था कि विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अलग-अलग तख्तियां लेकर कुछ अपनी बात जोर-जोर से नारे लगाकर कह रहे थे । उसमें हमने कई बातें देखी थी । उसमें हमने यह भी देखा था कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार बंद करो । महोदय, विशेष राज्य के दर्जे या विशेष पैकेज या विशेष मदद की बात अनेकों बार यहां हो चुकी है । हम तो सिर्फ यह कहना चाह रहे हैं कि यहां पर आप लोग कहते हैं कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार बंद करो और वहां आपके पूरे इंडिया ब्लॉक के लोग संसद में नारे लगाते हैं कि केवल बिहार और आंध्रा की थाली में जलेबी और समोसा दिया गया है बाकी राज्यों को छोड़ दिया गया है । महोदय, इनके सभी दलों के केन्द्रीय नेतृत्व मानते हैं कि बिहार की थाली में प्रधानमंत्री और केन्द्र सरकार ने जलेबी और समोसा दिया है । यह इनके केन्द्रीय नेतृत्व बोलते हैं और यहां ये लोग कहते हैं सौतेला व्यवहार । ..क्रमशः..

टर्न-8/मुकुल/26.07.2024

क्रमशः

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसलिए केन्द्र ने बिहार के साथ सौतेला नहीं, बल्कि विशिष्ट व्यवहार किया है, इसके लिए हमलोग धन्यवाद देते हैं ।

श्री शकील अहमद खां : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : हो गया ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब डिस्कशन नहीं हो सकता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे । श्रीमती भागीरथी देवी । अब आपलोग बैठ जाइये, डिस्कशन नहीं हो सकता है ।

(व्यवधान जारी)

मैंने दोनों पक्ष को बोलने का अवसर दे दिया है, अब आपलोग बैठ जाइये ।

<u>शून्यकाल</u>

श्रीमती भागीरथी देवी : हुजूर, बेतिया जिला अंतर्गत प्रखण्ड गौनाहा में मनमानी बिजली बिल की वसूली की जा रही है । मैं सरकार से मांग करती हूं कि गरीबों का सही से बिल लिया जाए ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आज 12.30 बजे तक के लिए ही हाउस है, अभी शून्यकाल और ध्यानाकर्षण भी है । अब आपलोग बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, कोरोना वायरस कोविड-19 नियंत्रण हेतु रखे गये लैब टेक्नीशियन आर0टी0पी0सी0आर0 टेक्नीशियन की सेवा राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक-1480, दिनांक-01.07.2024 द्वारा रोक लगाया गया है उसको निरस्त कर इन टेक्नीशियनों की सेवा 60 वर्ष उम्र तक करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, पूर्वी चम्पारण के ढाका में 04 मजदूरों के बेहोश होने और अस्पताल में उपचार न होने से मौत हो गयी, आमजनों ने विरोध किया प्रशासन झूठा मुकदमा कर एकतरफा तौर पर मुस्लिमों को परेशान कर रहा है जबकि मृत एवं विरोध में दोनों समुदाय के लोग थे । उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पकड़ीदयाल अनुमण्डल परिसर में न्यायिक कोर्ट शुरू करने हेतु भवन सहित सभी सुविधाएं मौजूद हैं । अत: सदन के माध्यम से पकड़ीदयाल अनुमंडल में न्यायिक कोर्ट शुरू कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत विद्युत अवर प्रमण्डल, बहादुरगंज में विद्युत आपूर्ति बिल्कुल चरमराया हुआ है । गुणवत्ताहीन उपकरणों, लम्बी दूरी पर पी0एस0एस0, ग्रिड, अप्रशिक्षित कर्मियों एवं आवश्यकता अनुसार विद्युत सप्लाई का अभाव समस्या का कारण है । मैं सरकार से नियमित विद्युत आपूर्ति की मांग करता हूं ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत बलरामपुर विधान सभा में बिजली आपूर्ति अभाव में हाहाकार मचा हुआ है । दो घंटों के लिए भी बिजली नहीं मिलती । विद्यार्थियों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है । अत: स्मार्ट मीटर के विरोध में गरीबों को 200 यूनिट मुक्त बिजली 24 घंटे देने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, वाल्मीकिनगर 0 आर0डी0 से इनरवा 307.5 आर0डी0 तक दोन कैनाल तक पूर्व से सड़क बना है जो अत्यंत ही जर्जर स्थिति में है, जिससे लगभग चार विधानसभा के लोगों का आवागमन प्रभावित होता है । अत: 0 आर0डी0 से 307.5 आर0डी0 तक दोन कैनाल पर जर्जर सड़क को बनवाने हेतु मांग करता हूं ।

डॉ0 मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों का सर्वेक्षण कर जिन विद्यालय में चारदीवारी एवं गेट नहीं है अथवा अर्धनिर्मित चारदीवारी है उन सभी में राज्य सरकार चारदीवारी एवं गेट का निर्माण कार्य अविलंब पूर्ण करवाये ।

डॉ0 रामचन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के हायाघाट में बहेड़ी अंचल में हजारों की संख्या में किसानों की जमीन का परिमार्जन, एल0पी0सी0, जमाबंदी एवं दाखिल-खारिज नहीं होने के कारण किसान सरकारी लाभों से वंचित रह जाते हैं । अत: उक्त अंचल में लंबित परिमार्जन, एल0पी0सी0, जमाबंदी एवं दाखिल-खारिज पंचायतों में कैम्प लगाकर निपटारा करावें ।

श्री उमाकान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चंपारण जिला में जिला परिषद से नियुक्त वेंडरों ने सामग्री मूल्यों की कीमत बाजार एवं कंपनी के दर से 50 प्रतिशत कम रखा है । जिससे सारे त्रिस्तरीय पंचायत के कार्य बाधित हैं । मैं सरकार से वेंडरों के दर में सुधार कराने की मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर थानान्तर्गत ग्राम–महमदपुर सकड़ा, वार्ड–09 में संचालित फिनो पेमेन्ट बैंक सी0एस0पी0 को अपराधियों ने लूटकर, दो लोगों की हत्या कर दी, जिसका केस नं0–203/24, तिथि–30.06.2024 है । अतः अपराधियों को गिरफ्तार करने एवं मृतक के आश्रितों को 20 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग करता हूं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, डुमरांव नगर के बीच से गुजरने वाली एन0एच0–120 सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है । आए दिन दुर्घटनाओं में नागरिकों के घायल होने की सूचना मिलती रहती है । अतः इस सड़क की शीघ्र मरम्मती की मांग करता हूं ।

श्री महानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने नगर निकाय प्रतिनिधियों को योजना चयन कमिटी से बाहर रखा है । यह जनता के चुने प्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकार की कटौती है । सरकार द्वारा इस तरह के लिए गए निर्णय वापस लेने एवं नगर निकाय प्रतिनिधियों के पूर्व के अधिकार लागू करने की मांग करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सिकटा–मैनाटांड के बल्थर, मुड़ली, इनरवा, के गरीब मुशहर परिवारों को प्रशासन ने उजाड़ दिया । फिर धर्मपुर, सिकटा जैसे गांवों के गरीबों पर बुल्डोजर चलाने की नोटिस है । पुर्नवास करने सरकारी घोषणा के विपरीत बिहार में बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगाने की मांग करता हूं ।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, राज्य में कृषि विभाग के अधीन कार्यरत किसान सलाहकार लगभग 14 वर्षों से कृषि विभाग के सभी योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित कर रहे हैं । उनका मानदेय 13000/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित है । जो महंगाई दर के अनुरूप नहीं है । किसान सलाहकारों का मानदेय बढ़ाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री अरूण कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बरूराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों, नगर पंचायत, नगर परिषद के सभी श्मशान घाटों की घेराबंदी, मिट्टी भराई, ग्रामीणों को बैठने के लिए शेड का निर्माण एवं जल आपूर्ति की व्यवस्था की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जायेंगी।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री अजीत कुमार सिंह, संदीप सौरभ एवं अन्य छः सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (ऊर्जा विभाग/जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अजीत कुमार सिंह अपनी ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़ें ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिला सहित पूरे बिहार में वर्षा कम होने के कारण सुखा की स्थिति बनती जा रही है । किसी तरह किसान धान का विचड़ा तैयार कर लिए हैं और अब धान की रोपनी की तैयारी कर रहे हैं । ऐसे में नहरों के अंतिम छोर पर पानी व कृषि फीडर में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की सख्त जरूरत है । ताकि किसान धान की रोपनी सरलता पूर्वक कर सकें ।

अतः किसानों के हित व धान की रोपनी को ध्यान में रखते हुए बक्सर सहित पूरे राज्य में 24 घंटे निर्बाध बिजली और नहरों के अंतिम छोर तक पानी की आपूर्ति कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं ।

टर्न-9/यानपति/26.07.2024

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कहां गए तिवारी जी, बक्सर के माननीय सदस्य, समय बर्बाद करने के लिए वेल में आते हैं, अब जब सवाल खड़ा हो रहा है तो जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, कैसे होगा ? ऐसा हो सकता है क्या ?

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, यह पूरे बिहार का सवाल है । यह पूरे बिहार के सभी सदस्यों का सवाल है ।

अध्यक्ष : जब जनता के हित की बात करते हैं तो सरकार उसके लिए क्या कर रही है वह सुनना भी चाहिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूरे बक्सर जिला सहित पूरे बिहार में बेहतर ऊर्जा प्रबंधन हेतु डेडिकेटेड कृषि फीडरों में प्रतिदिन अनवरत 8 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है परंतु कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि 26.07.2024 से डेडिकेटेड फीडर में 14 घंटे यानी सुबह 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बिजली की आपूर्ति की जायेगी ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, मेरा पूरक है, पूरक यह है कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 14 घंटे किया गया, पिछली बार भी माननीय मंत्री जी ने 16 घंटे किया था, मैं आग्रह करता हूं कि इसको बढ़ाकर कम से कम 20 घंटा किया जाय । दूसरा मेरा

पूरक है कि कृषि फीडर में जितना ट्रांसफर्मर लगा है उसकी गारंटी की जाय कि 12 घंटे के अंदर बदल जाय, एक-एक हफ्ता, दस-दस दिन तक ट्रांसफर्मर नहीं बदलता है । और तीसरा जो एक सवाल मेरा है इसमें.....

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, रात में कोई किसान खेती करता है, हम भी किसान के बेटा हैं । 5 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक डेडिकेटेड फीडर में बिजली रहेगी ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, रात में पटवन होता है । हमलोग किसान के घर से आते हैं, रात में 12 बजे, 1 बजे तक हमलोग पटवन करते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक बार में एक माननीय सदस्य खड़े हों ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, इस पूरक में मेरा एक और सवाल है कि नहरों के अंतिम छोर तक पानी का, इसका भी जवाब दिया जाय सरकार की तरफ से ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जहांतक नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की बात है, एक तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो कहा है कि कल ही मुख्यमंत्री जी के स्तर पर किसानों को सिंचाई, खरीफ का मौसम जो मुख्य होता है, इसमें पानी पहुंचाने के लिए नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का निर्देश दिया गया है और अभी जो धनरोपनी, विचड़ा तैयार करने से लेकर धनरोपनी का है, अलग-अलग जिलों में उस क्षेत्र में थोड़ी पानी की कमी है और कमी का कारण है कि हमारे सभी माननीय सदस्य इससे अवगत हैं कि हमारा जो सोन नहर प्रणाली है उसमें वाणसागर से सोन का पानी आता है और रेहांद का पानी आता है । और उसमें तीनों राज्यों के बीच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 1973 के समझौता से ही हमलोग चल रहे हैं । लेकिन महोदय, होता यह है कि यह नदी से जुड़ी हुई योजना है और नदी में पानी वर्षा के बाद ही आता है । किसी दूसरे स्रोत से नदी में पानी नहीं आता है । तो जब अल्पवृष्टि का मौसम होता है या ऐसा समय आता है तो नदियों में भी पानी की कमी हो जाती है और वहां जो वाणसागर डैम है, आपलोगों को पता होगा कि उसमें जबतक 836 फीट से ऊपर पानी नहीं होता है तबतक मध्य प्रदेश वाले लोग पानी नहीं देते हैं लेकिन फिर भी हमने कल तक जो पानी कम आ रहा था तीन दिन पहले से वह उससे कुछ ऊंचा गया है, तब लगभग 10 हजार क्यूसेक हमलोग कल-परसों से बढ़वा रहे हैं जिससे आप सही कह रहे हैं, सरकार मानती है कि चूंकि वर्षा आधारित ही नदी में जल आता है और नदी के जल से ही सोन नहर प्रणाली में पानी आता है तो अल्पवृष्टि के

कारण पानी की कमी है । महोदय, हमलोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत वाणसागर से अधिक रेहांद से होती है । जो रेहांद नदी से पानी उत्तर प्रदेश से आना चाहिए, उनलोगों ने समझौता से अलग जाकर उस पर एक हाइडल प्रोजेक्ट बना दिया है और नदी के बीचों-बीच हाइडल प्रोजेक्ट बना देने से जब वह हाइडल चलाते हैं तभी पानी नीचे आता है । हमलोगों ने अभी 10-15 दिन पहले से अपना एक-एक अधिकारी वाणसागर में भी और रेहांद पर भी वहां हमलोगों ने प्रतिनियुक्त कर दिया है जिसके कारण थोड़ा पानी बढ़ा है और कल से हमलोगों को और पानी अभीतक जो 7600 क्यूसेक ही वाणसागर से मिलता था अब आज से 10000 क्यूसेक हमलोगों ने उनसे बात की है, उसको बढ़वा रहे हैं और रेहांद से तो अभी चार-पांच दिन पहले तक पानी बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था तो उन्होंने भी कल ही यह कमिट किया है कि उसमें भी ढाई हजार क्यूसेक से अधिक देंगे । तो हमको लगता है कि चार-पांच दिन के अंदर स्थिति थोड़ी और सामान्य की तरफ बढ़ेगी ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, सोन नहर से जितनी शाखा नहरें निकलती हैं, एक तो माननीय मंत्री जी की बात वाणसागर समझौता से है वह तो ठीक है, हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला कि हमारे यहां 1700 क्यूसेक पानी की डिमांड है लेकिन मात्र 1200 या 1000 क्यूसेक ही पानी आ पाता है, तो पानी तो पहुंचेगा नहीं । महोदय, दूसरी बात कि नहरों का प्रतिस्थापन और उसकी सफाई का काम लंबे समय से लंबित है जिससे पानी में अवरोध पैदा होता है, हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमारे यहां सोन नहर प्रमंडल में जो डुमरांव लास्ट में पड़ता है, टेल एंड में पड़ता है कम से कम नहरों का प्रतिस्थापन और उसकी सफाई के लिए अलग बजट का प्रावधान करने की जरूर कृपा करें ताकि किसान सही तरीके से रोपनी कर सके ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, डुमरांव वाला हमलोग दिखवा लेंगे । डुमरांव लौक पर हमलोग अलग से हर लौक पर अधिकारी भेज देंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । अब नहीं, हो गया, विस्तार से जवाब आ गया । माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार ।

(व्यवधान)

बैठिए । समय नहीं है । आज साढ़े 12 बजे तक ही हाउस है ।

सर्वश्री जिवेश कुमार, श्री मोती लाल प्रसाद एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्री जिवेश कुमार : मैं निम्नलिखित लोक महत्व के विषय पर विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 104 के तहत सदन में सरकार को ध्यानाकर्षण सूचना देता हूं :-

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप कहां बीच में आ गए ? बैठिए, समय कहां है ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में माध्यमिक शिक्षा पास करने वाले बच्चों में से केवल 19 प्रतिशत बच्चे ही उच्च शिक्षा तक पहुंच पाते हैं, 81 प्रतिशत बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं । इसका मुख्य कारण माध्यमिक की तुलना में बिहार में उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थानों का अभाव है, जबकि शैक्षणिक सत्र-2024-25 में कई विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की स्वीकृति के बाद भी नए महाविद्यालयों में नामांकन हेतु पोर्टल नहीं खोला गया है ।

अत: मैं उच्च शिक्षा में बच्चों का दाखिला बढ़ाने हेतु तथा माध्यमिक की तुलना में उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट घटाने हेतु नए महाविद्यालय खोलने के साथ-साथ सिंडिकेट से स्वीकृत बिहार के सभी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नामांकन शुरू कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 धारा 21/2 डी के आलोक में राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक 1098, दिनांक-19.04.86 यथा संशोधित पत्रांक-2196, 14.12.2017 द्वारा निर्गत परिनियम के निहित प्रावधानों के आलोक में विश्वविद्यालय से महाविद्यालय का प्राप्त संबंधन का प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाता है । विभिन्न विश्वविद्यालयों से सिंडिकेट और सिंडिकेट की स्वीकृति के उपरांत शैक्षणिक सत्र-2024-25 के लिए कुल 28 महाविद्यालयों के संबंधन का प्रस्ताव ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिक्षा विभाग को प्राप्त था । उक्त 28 प्रस्तावों में से 19 महाविद्यालयों के संबंधन के प्रस्ताव पर विभाग द्वारा सहमति प्रदान करते हुए संसूचित किया जा रहा है । शेष महाविद्यालयों के संबंधन के प्रस्ताव पर विभाग द्वारा एक सप्ताह के अंदर अधिनियम और परिनियम के अनुरूप समीक्षोपरांत निर्णय ले लिया जायेगा ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, कब तक ? आसन कस्टोडियन है, सवाल यह है कि बिहार जो है, बिहार अग्रणी राज्य है और बिहार इंटरमीडियट का रिजल्ट देने में, मैट्रिक का रिजल्ट देने में अग्रणी राज्य है, अब इस महीने में, जुलाई के महीने में एडमिशन हो

रहा है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक हफ्ते में इसको करेंगे, जब एडमिशन क्लोज हो जायेगा, बच्चे जब सड़क पर भटकते रह जायेंगे तो सरकार की इस प्रक्रिया का बच्चों को क्या लाभ होगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिहार के अंदर अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है उसमें 78948 हमारे पास मिडिल स्कूल है और हाईस्कूल 7755 है उसकी तुलना में कॉलेज केवल 875 है और जो प्राइवेट पार्टनरशिप में जो कॉलेज खोलना चाह रहे हैं, सिंडिकेट ही यह तय करती है कि कॉलेज की अनुमति के लिए क्या-क्या होना चाहिए । तो सिंडिकेट की प्रत्याशा में सरकार क्यों नहीं पोर्टल खोल देती है अगले दो दिन के अंदर, क्यों इतना समय मांग रही है सरकार ।

अध्यक्ष : जिवेश जी, आप भी मंत्री रहे हैं, अगर माननीय मंत्री जी कह रहे हैं एक सप्ताह में कर देंगे, इससे बढ़िया जवाब हो सकता है क्या ? मान जाइये ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-26 जुलाई, 2024 के लिए माननीय सदस्यों द्वारा दी गई शून्यकाल की शेष बची सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है एवं उन्हें शून्यकाल समिति को सुपुर्द किया जाता है ।

पढ़ी हुई मानी गयीं शून्यकाल की सूचनाएँ

श्री आलोक रंजन : अध्यक्ष महोदय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय के अधीन एकमात्र अंगीभूत विधि महाविद्यालय रविनंदन मिश्र स्मारक विधि महाविद्यालय जिसमें 2019 से नामांकन पर रोक लगी हुई है । जिसके कारण विधि के छात्रों को काफी परेशानी होती है ।

मैं सरकार से इस महाविद्यालय के शीघ्र संचालन की मांग करता हूं ।

श्री सुनील मणि तिवारी : महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज एवं पहाड़पुर प्रखंडान्तर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का सेविका सहायिका द्वारा सुचारू रूप से संचालन किया जाता है, परंतु पोषाहार की राशि केंद्रों पर आते ही उक्त दोनों प्रखंड के CDPO एवं LS द्वारा वसूली होने लगती है ।

अतः दोषियों पर कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, नरपतगंज नगर पंचायत के हॉस्पिटल चौक से पश्चिम की ओर बजरंगबली मंदिर चौक, रघुनंदन बहरदार टोला, मंडल टोला होते हुए एनएच57 तक जाने वाली जर्जर एवं गड्ढानुमा सड़क के पुनर्निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, सारण मुख्य नहर से निकलने वाली हथुआ शाखा नहर को 1000 क्यूसेक क्षमता के बावजूद मात्र 300 क्यूसेक ही पानी मिला है । सिवान

उपशाखा, भवराजपुर गोपालपुर उपवितरणी, गुठनी वितरणी से धान की रोपनी नहीं हो पा रही है । सभी खेतों को तत्काल पानी पहुंचाने की मांग करता हूं ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, फारबिसगंज विधानसभा सहित राज्य भर में संसदीय चुनाव में वृहद पैमाने पर वर्तमान मतदाताओं का नाम बगैर जांच पड़ताल के मतदातासूची से विलोपित कर दिया गया, जिससे हजारों की संख्या में मतदाता मताधिकार से वंचित रहे, जांचोपरांत मतदातासूची में सुधार एवं दोषी पर कार्रवाई की मांग सदन से करता हूं ।

श्री गोपाल रविदास : महोदय, बिहार के 6 हजार से नीचे सभी गरीबों को सरकार के नियमानुसार 2-2 लाख रुपये (राशि) देने की घोषणा है । लेकिन व्यवहार में अंचलाधिकारी द्वारा एक लाख से कम का आय प्रमाण पत्र नहीं निर्गत किया जा रहा है ।

अत: अंचल स्तर पर बहत्तर (72) हजार से कम का आय प्रमाण पत्र बनवाये ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, बेगूसराय जिला के बखरी प्रखण्ड स्थित ब्रह्मदेवनगर निशहर के बीच चन्द्र भागा नदी एवं शंकरपुर बैरबा बागमती नदी पर आर0सी0सी0 पुल नहीं रहने से रेल पुल पार करने में दर्जनों बच्चे दुर्घटना के शिकार होते हैं ।

अत: जनहित को देखते हुए पुल बनाने की मांग करता हूं ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत नहर में पानी की कमी के कारण किसानों को कृषि कार्य में परेशानी हो रही है, अधिकारी सोन नदी में ऊपर से पानी नहीं आने का बहाना बना रहे हैं, नहरों में निचले छोर तक पानी पहुंचाने की सदन के माध्यम से मांग करता हूं ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, बिहार राज्य में प्रत्येक विधवा महिलाओं, वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों के जीवनयापन करने के लिये मिलने वाले पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी कर प्रति माह-3000 रुपए (तीन हजार रूपये) निर्धारित किये जाने हेतु, मैं सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, पटना जिलांतर्गत पालीगंज विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई की समस्या को देखते हुए सभी नहरों में अंतिम छोर तक पानी सुनिश्चित किया जाय । सभी बंद पड़े नलकूपों को चालू करवाया जाए तथा कृषि कार्य के लिए बिजली आवंटन की अधिकतम सीमा को 8 घंटे से बढ़ाकर प्रतिदिन 20 घंटे किया जाय ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, अल्पवृष्टि का जिला जहानाबाद की कृषि बिजली पर निर्भर है, लेकिन किसानों द्वारा बिजली कनेक्शन के आवेदन के बावजूद महीनों तक ट्रांसफार्मर

नहीं लगता तथा कृषि फीडर से अधिकतम 8 घंटे ही बिजली मिलती है । किसानों का ट्रांसफार्मर शीघ्र लगाने तथा प्रतिदिन 16 घंटे बिजली देने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती कविता देवी : महोदय, कोढ़ा विधान सभा क्षेत्र में अवस्थित बंजारा समुदाय को अनुसूचित जाति एवं बंगाली मंडल जाति को आदिवासी किसान में शामिल कराने की मांग करती हूँ ।

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, बिहार राज्य में विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले को मात्र 1600/- सौ रूपये भत्ता के रूप दिया जाता है जो एक दैनिक मजदूरी से बहुत कम है।

अत: विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले को नियमित रूप से 15000/- (पंद्रह हजार) रूपये देने हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : महोदय, नोनिया, बिन्द, बेलदार, कुम्हार (प्रजापति) एवं लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने की मांग सदन से करता हूँ ।

ई0 ललन कुमार : महोदय, प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी तथा सहकारिता पदाधिकारी कल्याण पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी, कनीय अभियंता इत्यादि की स्थापना और वेतन भुगतान अनुपस्थिति विवरणी का कार्य जिला के बजाय इनके पदस्थापना कार्यालय स्थान प्रखण्ड स्तर पर करने की सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखण्ड के हरिपुरकला पंचायत, वार्ड नं0-11 एवं 12 ग्राम बरमोतरा में उपभोक्ताओं की संख्या और बिजली की मांग अधिक होने के कारण वोल्टेज कम रहता है । उक्त दोनों वार्डों में गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता हेतु एक-एक नया ट्रांसफॉर्मर लगाने की मांग मैं सरकार से करता हूँ ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : महोदय, ग्राम खाताहाट, थाना-जलालगढ़, जिला पूर्णियां में सैकड़ों मुस्लिमों समाज के लोगों द्वारा हिन्दुओं को डराया धमकाया जा रहा है एवं गौरव कुमार पिता नरेश गौस्वामी को मार-पीट कर घायल कर दिया गया है । विधान सभा समिति के द्वारा जाँच करवाने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत डी0बी0 कॉलेज जयनगर अनुमंडल का एक मात्र डिग्री कॉलेज है, जिसका सभी वर्ग कक्ष जर्जर एवं ध्वस्त हो चुका है । छात्रों का पठन-पाठन एवं वर्ग संचालन बाधित है । शीघ्र भवन निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री पवन कुमार यादव : महोदय, भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखण्डन्तर्गत सनोखर में बिहार सरकार की पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, उक्त भूमि पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सनोखर का अपना भवन निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री प्रणव कुमार : महोदय, मुंगेर शहर के पटेल चौक से गांधी चौक तक टाली वालों द्वारा बार-बार अतिक्रमण कर सड़क को बाधित किया जाता है ।

अत: सदन के माध्यम से सरकार से उक्त सड़क को अतिक्रमण करने वाले टाली चलकों को दंडित अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग करता हूँ ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, सीतामढ़ी जिला के मौना ग्राम निवासी राजेश कुमार साहू CSC संचालक को 19.06.2024 को अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने के कारण गोली मारकर निर्मम हत्या कर दिया । जिसका महिन्दवारा थाना कांड संख्या 77/24 है ।

अत: घटना में शामिल अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करता हूं ।

श्री जनक सिंह : महोदय, हमारे तरैया विधान सभा सहित सारण जिला के RWD के PMGSY एवं MMGSY पथों के निर्माण कार्य में PCC, MSS एवं SDBC की Thickness एवं इसकी गुणवत्ता कार्य निर्धारित मानक के अनुसार नहीं कराई जा रही हैं । अत: इसकी जाँच की मांग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक अंतर्गत रामपुर पंचायत बेलवा महादलित टोला में अज्ञात बिमारी से एक ही परिवार के तीन लोग अखिलेश ऋषि, मिथुन ऋषि एवं उनकी दादी की मृत्यु से पूरे परिवार का भविष्य अंधकारमय है । अत: मैं मृतक परिवार के आश्रितों को आपदा सहायता राशि देने की मांग करता हूं ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, बिहार सरकार द्वारा अस्थाई स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के अंतर्गत एस0सी0/एस0टी0 वर्ग के पदाधिकारी/कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पद का रोस्टर को स्थगित करते हुए एस0सी0/एस0टी0 जाति का 17 प्रतिशत पद सुरक्षित रख लेने से एस0सी0/एस0टी0 जाति वर्ग के कर्मी उच्चतर पद के प्रभाव से वंचित हो गये हैं ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, जे0पी0 आंदोलन के दौरान भूमिगत या आंदोलन में योगदान करने वाले सारण जिला सेनानियों को जिला स्तर पर गठित त्रिसदस्यीय समिति के अनुशंसोपरांत सलाहकार पर्षद द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह् नहीं दिया गया है। अतएव आंदोलन के भागीदारों को प्रशस्ति पत्र एवं सेनानी पेंशन दिलाने की मांग करता हूं ।

श्री रामप्रवेश राय : महोदय, बिहार राज्य में 2018 में नियुक्त 4257 अतिथि शिक्षकों की सेवा पुनः बहाल करने एवं आगामी सक्षमता परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान करने के संबंध में सरकार से आग्रह करता हूं ।

श्री अनिल कुमार : महोदय, 24, बथनाहा विधान सभा में 12 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरकार द्वारा चयनित किये जा चुके हैं । वही 3 स्टेडियम बनाने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है । परंतु स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण इन कार्यों में विलंब हो रहा है । अतः अविलंब लंबित योजना कार्य कराने की मांग करता हूं ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, दरभंगा जिलांतर्गत वाजितपुर थाना कांड संख्या-12/24 में निर्दोष व्यक्तियों पर कार्रवाई न हो इसके लिए सदन के माध्यम से सरकार से जांच की मांग करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के उत्तर एवं दक्षिण तरफ पथ निर्माण विभाग के सड़क नाला निर्माण कार्य 2024-15 में लगभग 26 करोड़ की लागत से प्रारंभ हुआ, परंतु अधूरा नाला निर्माण से जल जमाव बना रहता है । पथ निर्माण विभाग के अर्द्धनिर्मित नाला निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, नरकटियागंज नगर परिषद् में कनीय अभियंता का पद सृजित है । परंतु उक्त पद पर पदस्थापित कनीय अभियंता दूसरे विभाग से प्रभार पर कार्यरत है। जिससे विभागीय कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पा रहा है ।

अतः नगर परिषद् नरकटियागंज में विभागीय कनीय अभियंता का स्थायी पदस्थापन करने की मांग करती हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, नवगछिया सहायक अभियंता अभिषेक कुमार के द्वारा 2019-20 में एन0आई0सी0 सॉफ्टवेयर द्वारा निर्गत विपत्रों में किये गये अनुचित समायोजनों के कारण सतहत्तर लाख रुपये की राजस्व हानि हुई है । अभियंता अभिषेक कुमार को निलंबित कर पुनः किस परिस्थिति में उन्हें बहाल किया गया । जांच की मांग करता हूं ।

अब सभा की कार्यवाही, 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-10/अंजली/26.07.2024

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

गैर सरकारी संकल्प

क्रमांक-1 : श्रीमती गायत्री देवी, स0वि0स0

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंडान्तर्गत पथ निर्माण विभाग की कुम्भा बेला सड़क किनारे परिहार एवं मानिकपुर मुशहरनिया गाँव में नाला का निर्माण करावे ।''

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत कुम्भा बेला पथ की कुल लंबाई 21.75 किलोमीटर है । पथ ओ0पी0आर0एम0सी0 पैकेज नंबर-03ए अंतर्गत संधारित है । प्रश्नगत स्थल पर 1139.50 मीटर में नाला निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । शेष नाला निर्माण तकनीकी संभाव्यता संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जाएगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, यह मेरे समय का मामला है और अब मैं जानता हूं कि जो काम हम नहीं कर पाए वह आप जरूर कर दीजिएगा । मेरा आग्रह होगा कि इसको बनवा दिया जाय, सिर्फ आग्रह है ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है, कह भी रहे हैं कि करा देंगे । क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, आने-जाने में बड़ी कठिनाई होती है । इसी वित्तीय वर्ष में आग्रह करते हैं कि इसको बना दिया जाय । बहुत कठिनाई है, बाजार है, ब्लॉक है, गांव है, आवागमन बंद है, रोड़ बन गया है, नाला नहीं बना है...

अध्यक्ष : बैठिये न, माननीय मंत्री जी खड़ा हो रहे हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमलोग दिखवा लेते हैं, प्राथमिकता के आधार पर इसको करवायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने सारी स्थिति स्पष्ट की है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ? लीजिए ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव वापस लेते हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद । इसी वित्तीय वर्ष में करा दीजिए ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-2 : श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0</u>

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 1917 में स्थापित बिहार का पहला और भारतीय उपमहाद्वीप का सातवां सबसे पुराना और गौरवशाली विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे ।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि बिहार राज्य में पूर्व से दो केंद्रीय विश्वविद्यालय यथा दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया एवं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी संचालित है। साथ ही, वर्तमान में भागलपुर जिलान्तर्गत ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निकट केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के संबंध में विभाग द्वारा समीक्षोपरांत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने हेतु नियम संगत कार्रवाई की जाएगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, हमने पटना विश्वविद्यालय के बारे में कहा और ब्रिटिश राज्य में यह बना था, पूरब का कैम्ब्रिज कहा जाता है ।

अध्यक्ष : वह तो आप कह चुके हैं । माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री संदीप सौरभ : और यह बिहार की अस्मिता का सवाल है, बिहार की गौरवशाली विरासत का सवाल है और दो अलग-अलग केंद्रीय विश्वविद्यालय हाल-फिलहाल में बने, इसका

यह कतई मतलब नहीं है कि 100 साल से पुराना विश्वविद्यालय को उसी की हालत पर छोड़ दिया जाय महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय के जवाब के आलोक में क्या अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री संदीप सौरभ : सरकार इसको लेकर अगर गंभीर है, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। पटना विश्वविद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर प्रधानमंत्री जी से मांग की थी, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी ।

अध्यक्ष : आप प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे ना कहें ।

(व्यवधान)

श्री संदीप सौरभ : महोदय, ऐसे नहीं होगा । ऐसे कैसे होगा महोदय । अभी बात हो रही है ।

अध्यक्ष : हो तो रहा है । हो जाता है । आप बैठ जाइए न । बैठिये ।

श्री संदीप सौरभ : वोटिंग करवाइए इसमें साफ-साफ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं फिर से लेता हूं । आप बैठिये न । आप निर्देश दीजिएगा क्या ?

श्री संदीप सौरभ : महोदय, एक लाइन कहने दीजिए ।

अध्यक्ष : नहीं आप बैठिये । प्लीज, आप बैठ जाइए ।

श्री संदीप सौरभ : सरकार करना चाहती है कि नहीं, हम यह जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : बैठ जाइए न । सरकार ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है ।

श्री संदीप सौरभ : सरकार कितने विश्वविद्यालय की बात कह रही है ?

अध्यक्ष : सरकार ने जवाब दिया है । माननीय मंत्री जी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैंने जो उत्तर दिया है, माननीय सदस्य को तो संतुष्ट होना चाहिए । ये सवाल उठा रहे हैं पटना विश्वविद्यालय के बारे में नियम संगत कार्रवाई करने के लिए सरकार चाहती है, तो इनका पॉजीटिव जवाब है महोदय, इनको तो मान जाना चाहिए । माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेना चाहिए ।

श्री संदीप सौरभ : तो क्या बगैर नियम संगत हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांग की थी प्रधानमंत्री जी से पटना विश्वविद्यालय कार्यक्रम में, शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री जी ने मांग

की थी तो अब नियम संगत होगा तब हम मांग करेंगे तब देखेंगे तो विचार करेंगे ? हम यह नहीं चाहते हैं...

अध्यक्ष : प्रस्ताव हो ही गया, प्रस्ताव जायेगा ।

श्री संदीप सौरभ : यह बिहार की पहचान से जुड़ा हुआ सवाल है महोदय । इतना पुराना विश्वविद्यालय पूरे देश में कोई नहीं है जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला है । एकमात्र यूनिवर्सिटी बची हुई है एक सौ साल पुराना, तो नियम संगत क्या इसमें मैं आऊँगा ।

अध्यक्ष : हो गया न ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो प्रस्ताव रखा ही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव रख दिये तो यह जो प्रश्न है वह तो जाएगा ही और यह अलग से विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया चल रही है, महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव स्वीकार होकर भेजा जा चुका है भारत सरकार को । आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

वापस लेने का कहां सवाल है ? सुनिये, आप पहले बात सुनिए । वापस लेने का कहां सवाल है जब जा ही रहा है तब फिर वापस क्या लेंगे ?

क्रमांक-3 : डॉ0 सी0एन0 गुप्ता, स0वि0स0

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत छपरा नगर निगम के जगदम कॉलेज ढ़ाला के पास रेल लाईन पर फ्लाई ओवर का निर्माण करावे ।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाए रखिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत जगदम कॉलेज ढ़ाला के पास रेल लाईन पर फ्लाई ओवर निर्माण हेतु...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपस में बात नहीं कीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : विभगाीय पत्रांक-3265 (B), दिनांक-15.07.2024 द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे से अनुरोध किया गया है ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस हुआ...

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने इनका स्वीकार कर लिया है इसलिए वापस लेने की जरूरत कहां है ?

अध्यक्ष : ठीक है । आपका यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-4 : श्री अचमित ऋषिदेव, स0वि0स0

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के गुणवंती पंचायत के वार्ड नं0-।। डहरा महादलित टोला में रजवैली माईनर वि0द्0-8 वीरवान बनकट्टा पर सी0डी0 (क्रॉस ड्रेनेज) का निर्माण करावे ।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय मंत्री जी अभी कॉउंसिल में हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आयेंगे तब इसका जवाब होगा ।

क्रमांक-5 : श्री जय प्रकाश यादव, स0वि0स0

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड अन्तर्गत बथनाहा से सोनपुर जानेवाली 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क जो गड्ढे में तब्दील हो गई है का पुनर्निमाण प्रशासनिक स्वीकृति देकर करावे ।"

अध्यक्ष : बैठ जाइए । माननीय मंत्री जी आयेंगे तब अगली बार...

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी उच्च सदन में हैं मंत्री जी आयेंगे, तब आपका जवाब होगा ।

क्रमांक-6 : श्रीमती रेखा देवी, स0वि0स0

अध्यक्ष : रेखा देवी जी, आपका भी जवाब जब माननीय मंत्री जी आयेंगे तब होगा । आने दीजिए ।

क्रमांक-7 : श्री संजीव चौरसिया, स0वि0स0

श्री संजीव चौरसिया : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दीघा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड नं0-07 के बाबा चौक, इन्द्रपुरी, रवि चौक से राजापुर होते हुए आनंदपुरी नाला के किनारे बनी सड़क जर्जर एवं टूटकर नाले में धंस चुकी सड़क जिसे पटना नगर निगम की स्थाई समिति की बैठक में गति प्रदान की गई है, नाला को पाटकर सड़क का निर्माण शुरू करावे ।"

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, बुडको द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुर्जी नाला, इन्द्रपुरी आनंदपुरी नाला फ्रॉम अटल पथ टू कुर्जी नाला, कार्य का प्राक्कलन एवं ड्राइंग योजना के परामर्शी आर0बी0 एसोसिएट को तैयार करायी गई है जिसकी प्राक्कलन राशि 185 करोड़ मात्र है जिसको सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है । जांच के क्रम में प्राक्कलन में पाई गई त्रुटियों के आलोक में माह जून, 2024 में बुडको को आवश्यक संशोधन के लिए निर्देशित किया गया है और योजना को इस वर्ष लेने की विभाग की योजना में है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री संजीव चौरसिया : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-8 : श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार जाति आधारित गणना 2022-23 के आकड़ों का विस्तृत विवरण सार्वजनिक कर लोगों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करें ।"

टर्न-11/आजाद/26.07.2024

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इस गणना के आंकड़े तो 2 अक्टूबर, 2023 को ही सार्वजनिक हो चुके हैं, सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है और वो विस्तृत आंकड़े थे और उसके बाद से विभिन्न जातियों के विभिन्न सम्प्रदायों के जो सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के जो आंकड़े हैं, वह भी 7 नवम्बर को डाल दिये गये हैं, वेबसाईट पर उपलब्ध है । जहां तक आपने सुझाव एवं आपत्तियों की चर्चा

की, ऐसा कोई प्रावधान या प्रचलन प्रथा नहीं रही है क्योंकि आजादी के बाद से ही जनगणना होती रही है । कभी जनगणना के बाद सुझाव, आपत्ति यह सब तो मांगा नहीं जाता है, सब आंकड़े सार्वजनिक है । इसलिए यह सार्वजनिक है तो इसको आप वापस ले लीजिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, सच्चाई है कि पटना सिटी का हो या कहीं का आप चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, मधुबनी का भी नहीं मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : आप मधुबनी की बात कीजिए न, आप पटना सिटी की बात क्यों कर रहे हैं ?

श्री समीर कुमार महासेठ : इसलिए कह रहे हैं कि वह भी मेरा घर है । अध्यक्ष महोदय, व्यापार वहीं से चलता है सबों का । बिहार में जो सच्चाई है, उसको बता देते हैं, बिहार में करायी गयी बिहार जातीय आधारित गणना 2022-23 से संबंधित सी0एल0पी0 केस सं0-16970/23 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 02 जनवरी, 2024 को आदेश पारित किया गया है कि जाति आधारित गणना 2022-23 को पब्लिक डॉमेन में उपलब्ध कराया जाय । बिहार सरकार के प्रतिनिधि ने कह दिया कि पब्लिक डॉमेन में है परन्तु आज तक पब्लिक डॉमेन में उपलब्ध नहीं कराया गया है । इतना ही नहीं जो पुस्तक वितरण हुई है, जो हमलोगों को मिला है, उसमें किसी जिले के या प्रखंड में उसकी संख्या कितनी है, यह स्पष्ट नहीं है । केवल लिख दिया गया है कि फलाने जाति इतनी प्रतिशत है । महोदय, मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार इसमें पब्लिक डॉमेन में उपलब्ध करा दे, लोग देख लें और यदि उनका नाम छूटा हुआ है तो आवेदन करें, इतना ही है ।

अध्यक्ष : फिर से बोल दीजिए । माननीय मंत्री जी ने कहा है । फिर आप दोबारा बोलवा रहे हैं, बोल दीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, फिर मुझे उतनी ही बात दोहरानी पड़ेगी । हमने कहा कि जिलावार, प्रखंडवार, विभिन्न जातियों के, विभिन्न सम्प्रदायों के सामाजिक के साथ-साथ आर्थिक सर्वेक्षण के भी आंकड़े के जो परिणाम आये हैं, वह पहली दफा 2 अक्टूबर, 2023 को और फिर दूसरी दफा जो शुरू में जाति वाला आया था, फिर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के जो पूरे परिणाम आ गये, तब फिर 7 नवम्बर, 2023 को सार्वजनिक कर दिये गये हैं, वह सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है, आप जो चाहिए, ले सकते हैं । आपत्ति या सुझाव की इसमें कोई परम्परा नहीं रही है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है । क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री समीर कुमार महासेठ : निश्चित तौर पर वापस ले लेंगे ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-9 : श्री सुर्यकान्त पासवान, स0वि0स0</u>

श्री सुर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बखरी अनुमंडल में अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण करावे ।''

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि अनुमंडलीय अस्पताल, बखरी के भवन निर्माण राम जानकी ठाकुरबाड़ी, जागीरगाछी, मक्खाचक, बखरी की चिन्हित भूमि पर किया जाना है । इस हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद द्वारा अपने पत्रांक-4125 दिनांक 14.03.2024 द्वारा समाहर्त्ता, बेगूसराय को भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान की गयी है । जिसकी सूचना समाहर्त्ता द्वारा पत्रांक-1264 दिनांक 30.03.2024 के माध्यम से विभाग को दी गयी है । निर्माण एजेंसी बी0एम0एस0आई0सी0एल0 द्वारा वर्तमान दर से उक्त भूमि पर भवन निर्माण हेतु नये पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् निविदा की कार्रवाई शीघ्र प्रस्तावित है । संकल्प स्वीकृत है महोदय ।

अध्यक्ष : अब क्या ? यह तो स्वीकृत हो गया ।

सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय ।

<u>क्रमांक-10 : श्री छत्रपति यादव, स0वि0स0</u>

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया प्रखंड के माडर दक्षिणी में मृत मालती नदी पर पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग से करावे ।''

अध्यक्ष : ग्रामीण कार्य विभाग के जब मंत्री जी आयेंगे, तब उनका जवाब होगा ।

क्रमांक-11 : श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सेना की नियुक्ति में बिहार के युवाओं की भारी संख्या में भागीदारी को देखते हुए बिहार के युवाओं के हित में अग्निपथ योजना को समाप्त करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।"

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, संविधान के दायरे में फेडरल स्ट्रक्चर में हमलोगों का देश है । जो बातें केन्द्र सरकार से संबंधित है, राज्य सरकार का जिसमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, इस तरह के प्रस्ताव को तो आना ही नहीं चाहिए । अग्निवीर योजना सिर्फ एक राज्य से संबंधित मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है । एक राज्य अग्निवीर के संबंध में कैसे सिफारिश करेगा कि इसको खतम किया जाय । यह असंवैधानिक बात है, इसलिए यह प्रश्न ही नहीं आना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार में बेरोजगारी बहुत है .....

अध्यक्ष : यह बिहार का विषय नहीं न है ।

श्री अजीत शर्मा : बिल्कुल है सर, यहां पर जितने सदन में बैठे हुए लोग हैं, सब परेशान हैं । जनता चाहती है इसपर बोलने के लिए । महोदय, इसको सुन लिया जाय, इससे युवाओं को जहां रोजगार मिलता है, वही पूरे देश में सेवा का भी अवसर प्राप्त होता है । आप चले जाईए किसी भी शहर में, किसी भी प्ले ग्राऊन्ड में तो आप देखियेगा कि हजारों बच्चें मेहनत करके तैयारी करते हैं और आप चार वर्ष के लिए नौकरी देते हैं । जब वे वहां से आयेंगे तब ......

अध्यक्ष : यह भारत सरकार का विषय है, अब नहीं ।

श्री अजीत शर्मा : जब वहां से आयेंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा तब वे क्राईम करेंगे क्योंकि उनको तो नौकरी मिलेगी नहीं । सबमें 60 साल तक सरकार में नौकरी मिलता है और इसमें 4 साल तक मिलता है । यह बहुत ही गंभीर विषय है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह भारत सरकार का विषय है न, यहां का विषय नहीं है ।

श्री अजीत शर्मा : हमलोग बिहार के हैं और हमलोगों को बिहार की जनता चुनकर भेजी है तो हमलोग यहां पर ही न आवाज उठायेंगे ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इसको ये लोकसभा में उठावें । यहां राज्य का विषय नहीं है । यह अधिकार भारत सरकार का है । आप माननीय सदस्य हैं, संविधान के

बाहर हमलोग नहीं न जा सकते हैं । यह राज्य का विषय नहीं है, यह पार्लियामेंट में उठना चाहिए ।

श्री अजीत शर्मा : सर, आप लिख सकते हैं, सिफारिश करने के लिए आग्रह है ।

अध्यक्ष : अजीत जी, हो गया । यह संभव नहीं है न ।

श्री अजीत शर्मा : नहीं सर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, सभी लोगों के लिए है ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से आपका प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री अजीत शर्मा : यह प्रस्ताव वापस लेने वाली चीज नहीं है सर, आप वोटिंग करा दीजिए ।

अध्यक्ष : हर बात पर वोटिंग कराना पड़ेगा क्या ?

श्री अजीत शर्मा : सारे सदस्यों की यह मजबूरी है ।

अध्यक्ष : यह मजबूरी का विषय कहां है ?

श्री अजीत शर्मा : सत्ता में हैं, नहीं बोल रहे हैं, ये लोग चुप हैं ।

अध्यक्ष : जब यह हो ही नहीं सकता है, भारत सरकार का मामला है ।

श्री अजीत शर्मा : इसपर वोटिंग कराकर देख लिया जाय न सर ।

अध्यक्ष : इसमें वोटिंग कराने की क्या जरूरत है ?

श्री अजीत शर्मा : कराईए सर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण इशु है सर, सत्ता के लोग भी इसको देख रहे हैं ।

अध्यक्ष : क्रमांक-12, माननीय सदस्या श्रीमती मंजु अग्रवाल, आपका बाद में आयेगा, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जी अभी नहीं हैं ।

क्रमांक-13 : श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, स0वि0स0

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखंड में अंकोढ़ा स्टेशन के बगल में 6 रेलवे लाईन के ऊपर रेलवे ओभर ब्रिज के निर्माण कराने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे । "

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत अंकोढ़ा स्टेशन के बगल में 6 रेलवे लाईन के ऊपर आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक-3318 दिनांक 16.07.2024 द्वारा पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के बाद यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । अब बैठिए न, आपका तो स्वीकृत हो गया ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, धन्यवाद देंगे ?

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : हम धन्यवाद देंगे, लेकिन कब तक यह बन जायेगा, यह तो माननीय मंत्री जी बता दीजिए, क्योंकि एन0टी0पी0सी0 का मामला है, बगल में एन0टी0पी0सी0 है और बहुत ज्यादा हमलोगों को 4-4 घंटा इन्तजार करना पड़ता है।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : यह प्रश्नकाल नहीं है, आपको धन्यवाद देना चाहिए ।

अध्यक्ष : विजय जी, आपका प्रस्ताव है कि प्रस्ताव सरकार भेजे और सरकार ने आपके प्रस्ताव को भेज दिया तो यह स्वीकृत हो गया ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : अब बैठ जाईए ।

क्रमांक-14 : श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स0वि0स0

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि ''वह जहानाबाद जिलान्तर्गत रतनी फरीदपुर प्रखंड का वित्त प्रशासनिक भवन का निर्माण करावे ।''

टर्न-12/शंभु/26.07.24

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड रतनी फरीदपुर में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और भवन हस्तांतरित भी किया जा चुका है । प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु बिहार रैयती लीज नीति, 2014 के तहत सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए भू अर्जन का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध समाहर्त्ता जहानाबाद से किया गया है । भू अर्जन का प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ? काम तो कर रही है सरकार-सरकार तो कर ही रही है न ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : सरकार कर रही है तो प्रस्ताव वापस लेने का क्या मतलब है हुजूर ।

अध्यक्ष : वापस लेना चाहते हैं कि नहीं ?

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : लेना तो चाहते हैं लेकिन ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-15, श्री ललित नारायण मंडल,स0वि0स0

श्री ललित नारायण मंडल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वृद्धजन योजना के अन्तर्गत देय राशि 400/- रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000/- रूपये प्रतिमाह की व्यवस्था करावे ।"

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा दिव्यांग पेंशन में 400 रू0 प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है । 80 वर्ष या उससे अधिक आयुवर्ग के व्यक्ति को 500 रूपया प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है । बिहार राज्य में कुल 1 करोड़ 64 हजार पेंशनधारियों को मासिक पेंशन भुगतान किया जा रहा है जिसमें से 77 लाख 9 हजार वृद्धा पेंशनधारी, 13 लाख 56 हजार विधवा पेंशनधारी तथा 9 लाख 97 हजार दिव्यांग पेंशनधारी है । राज्य में पेंशन भुगतान हेतु वार्षिक लगभग 4 हजार 931 करोड़ 29 लाख रूपये का व्यय किया जाता है । जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष 1 हजार 436 करोड़ 17 लाख रूपये पेंशन भुगतान के लिए प्राप्त होता है । शेष लगभग 3 हजार 495 करोड़ 12 लाख रूपये प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है । वर्तमान में इस दर में वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री ललित नारायण मंडल : जनहित का प्रश्न था, लेकिन हम वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : एक संकल्प और समरूप है महोदय, माननीय अमरजीत कुशवाहा जी का सेम है ।

अध्यक्ष : आप अभी कहीं जा रहे हैं क्या ? नहीं न, तो आने दीजिए ।

क्रमांक-16 : श्री सिद्धार्थ पटेल,स0वि0स0

श्री सिद्धार्थ पटेल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिलान्तर्गत वैशाली प्रखंड एवं पठेढ़ी बेलसर प्रखंड से होकर गुजरने वाली वाया नदी की गाद को उड़ाही कराते हुए तटबंधों का मरम्मत करावे ।"

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, इस नदी के निम्न प्रवाह में नीचे की तरफ तो उड़ाही का काम कराया गया है जिससे इस बरसात में सूचना है कि जल प्रवाह सुगम हुआ है, लेकिन माननीय सदस्य ने जिन स्थानों की चर्चा की है वहां पर भी अब जल जमाव की कम सूचना है, लेकिन हम माननीय सदस्य से बात करके अगर वहां भी आवश्यक होगा तो हमलोग करा देंगे, अभी माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सिद्धार्थ पटेल : बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी को, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-17 : श्री पंकज कुमार मिश्र,स0वि0स0

श्री पंकज कुमार मिश्र : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के रून्नी सैदपुर प्रखंड अन्तर्गत रैणखरका पंचायत के इब्राहिमपुर में बागमती नदी पर पुल निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करावे ।"

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, विभागीय पत्रांक-3246डब्लूइ0 दिनांक 12.07.24 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को हस्तांतरित किया गया है ।

क्रमांक-18 : श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह,स0वि0स0

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह आरा पटना एन0एच0-922 धरहरा से सकड्डी नासीरगंज एस0एच0-51 पथ पर चांदी चौक को जोड़नेवाली पथ पर जमीरा गांव के समीप आर0ओ0बी0 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे ।"

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि आरा पटना एन0एच0 922 धरहरा से सकड्डी नासीरगंज एस0एच0-51 पर चांदी चौक से जोड़नेवाली पथ पर जमीरा गांव के समीप आर0ओ0बी0 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक 3266, दिनांक 15.07.2024 द्वारा पूर्व में मध्य रेलवे से अनुरोध किया गया है । आपका स्वीकार है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के बाद यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-19:श्री मनोज कुमार यादव एवं क्रमांक-20:श्रीमती नीतु कुमारी जी, आप दोनों मंत्री जी आयेंगे तब पढ़ियेगा, अभी मंत्री जी नहीं हैं ।

क्रमांक-21:श्री अजय कुमार सिंह,स0वि0स0

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर विधान सभा में जमालपुर प्रखंड के इटहरी पंचायत के ग्राम पैरूमंडल टोला के सामने गंगा में सरकार पीपा पुल का निर्माण करावे ।"

श्री विजय कुमार सिन्हा,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह ग्रामीण कार्य विभाग को हस्तांतरित है।

अध्यक्ष : वे आते हैं मंत्री जी तब जवाब देंगे ।

श्री अजय कुमार सिंह : जी ।

क्रमांक-22:श्री अवध बिहारी चौधरी,स0वि0स0

श्री अवध बिहारी चौधरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दाहा नदी जो गोपालगंज के सासामूसा से चलकर सीवान होते हुए ताजपुर सीसवन तक गाद भर जाने के कारण बरसात के दिनों में नदी का पानी के फैलाव को रोकने हेतु नदी की सफाई करावे ।"

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अवध बिहारी बाबू ने जो संकल्प दिया है सरकार इसपर पहले से काम कर रही है । हमलोगों ने दाहा नदी के उड़ाही का सर्वेक्षण कार्य करा लिया है, एक डी0पी0आर0 भी बन गया है । जो गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग है गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन उसमें इसका टेक्नीकल एप्रेजल चल रहा है वह हो जाता है तब फिर भारत सरकार इसकी स्वीकृति - वे भी अध्यक्ष रहे हैं, हम भी रहे हैं इसलिए ये उस कुर्सी पर होने की सुविधा मिलती है । अभी जिस कुर्सी से माननीय अध्यक्ष देख रहे हैं माननीय अध्यक्ष के पहले अवध बिहारी बाबू ही थे और इनके पहले जो थे सो मेरे बगल में हैं और इनके पहले जो थे सो खड़े हैं । इसलिए सबलोग यहीं पर हैं । इसलिए मैं यह प्रिविलेज ले रहा हूँ । महोदय, एक अध्यक्ष की बात से दूसरे अध्यक्ष जरूर संतुष्ट होंगे इसलिए वापस लेने का अनुरोध करते हैं ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेंगे ?

श्री अवध बिहारी चौधरी : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ और अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-23:श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव,स0वि0स0

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के मेहसी प्रखंड अन्तर्गत भीमलपुर जंगल में प्रस्तावित बायो डायवर्सिटी पार्क का निर्माण करावे । "

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : महोदय, मोतिहारी वन प्रमंडल के चकिया वन प्रक्षेत्र अन्तर्गत पूर्वी चम्पारण जिला के मेहसी प्रखंड में 82.60 हे0 क्षेत्र सुरक्षित वन भूमि के रूप में अधिसूचित है। इसका नाम भीमलपुर जंगल है । इस भूभाग को बूढ़ी गंडक नदी दो भागों में बांटती है। प्रत्येक वर्ष वर्षाकाल में इस क्षेत्र में कटाव बढ़ जाता है जिसके लिए कटाव निरोधी कार्य कराना आवश्यक है । कटाव निरोधी कार्य के लिए जिलाधिकारी पूर्वी चम्पारण से अनुरोध किया गया है कि सिंचाई विभाग का कार्य करा दिया जाय । इस संबंध में सिंचाई विभाग द्वारा एक योजना भी समर्पित की गयी है । इसके अतिरिक्त एक पहुंच पथ भी विकसित करना आवश्यक है ताकि भीमलपुर जंगल तक आवागमन सुलभ हो सके । इसके उपरांत भीमलपुर जंगल को बायो डायवर्सिटी पार्क का अनुमति दिया जा सकता है । यह उस क्षेत्र के लिए एक मनोरम स्थल ही नहीं होगा बल्कि भविष्य में एक पर्यटक स्थल भी बन सकता है । महोदय, निश्चित तौर पर प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में बने वहां इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के बाद क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेंगे ?

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : हम धन्यवाद देते हैं मंत्री जी को और अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-13/पुलकित/26.07.2024

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप कहते हैं कि हम बोलने नहीं देते ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष जी मुझ पर विशेष ध्यान देने वाले ही हैं क्योंकि ये हमारे ससुराल के हैं इसलिए विशेष ध्यान देना ही है ।

अध्यक्ष : अपना गैर सरकारी संकल्प पढ़िये ।

<u>क्रमांक-24 : श्री भाई वीरेन्द्र, स0वि0स0</u>

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में जीविका दीदियों से सरकारी कार्यों को निष्पादित कराने हेतु परिचय-पत्र निर्गत करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जीविका दीदियां सामुदायिक संगठनों की सदस्य होती हैं जो आपसी सहयोग, स्वयं जिम्मेदारी एवं स्वयं स्वामित्व की अवधारणा पर कार्य करते हुए अपने सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु कार्य करती हैं । परिचय-पत्र संबंधित सामुदायिक संगठनों द्वारा अपने निर्णय के आलोक में दिया जा सकता है जो कि सामुदायिक संगठनों की वित्तीय संसाधन एवं स्थायित्व पर निर्भर है । इस संदर्भ में उनके आंतरिक प्रशासनिक निर्णय भी महत्वपूर्ण हैं ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट की है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, जीविका दीदियों से माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं अपने चुनाव में काफी काम लेते हैं और इनसे वोट भी दिलवाते हैं ।

अध्यक्ष : यह विषय कहां है ?

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, परिचय-पत्र भी नहीं देंगे । जब चुनाव में वह काम करती है तो चुनाव आयोग का पदाधिकारी आकर कहता है कि आप कौन हैं ? जीविका दीदी क्या होता है, हटो यहां से । जब परिचय-पत्र मिलेगा और इनके पास परिचय-पत्र होगा तभी कल काम आयेगा कि ये जीविका दीदी हैं और सरकार के द्वारा यह परिचय-पत्र दिया गया है । इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप हर तरह का जीविका दीदी से काम लेते हैं इसलिए उनको परिचय-पत्र दे दीजिए ।

अध्यक्ष : ठीक है, आपके सुझाव को माननीय मंत्री जी ध्यान में रखेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए ।

अध्यक्ष : सब बात मंत्री जी बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, एक बार बोलने के लिए आदेश दीजिए ।

अध्यक्ष : आपकी बात माननीय मंत्री जी बहुत गौर से सुने हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

(व्यवधान)

श्री प्रहलाद यादव । अपनी बात इधर बोलिये, अपना प्रस्ताव पढ़िये ।

क्रमांक-25 : श्री प्रहलाद यादव, स0वि0स0

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह लखीसराय जिला के पूर्वी खुटहा से मालपुर, डी पिपरिया, कन्हरपुर पथुआ गाँव से साम्हों गांव तक वलीपुर से चौसठ होते हुए पथुआ एवं कन्हरपुर गांव तक पथ निर्माण विभाग से सड़क निर्माण करावे ।''

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ ग्रामीण कार्य के स्वामित्व में है । पथ अधिग्रहण की नई नीति पत्रांक-1548, दिनांक-25.02.2020 के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने स्वामित्व वाले पथों का उन्नयन स्वयं कराया जाना है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट की है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, दियारा के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है और इनका भी क्षेत्र पड़ता है, मेरा भी क्षेत्र पड़ता है । साम्हों का भी क्षेत्र पड़ता है और दो गांव पथुआ, वलीपुर ये दोनों गांव आज भी संपर्क पथ से छूटे हुए है इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप अपने विभाग से इसको लेकर निश्चित रूप से दियारा विकास के नाम पर, दियरा के विकास के लिए, उत्थान के लिए माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का विषय गंभीर है और इनकी गंभीरता को देखते हुए हम एक टीम भेजकर स्थल निरीक्षण कराते हुए तकनीकी संभाव्यता प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे । यह प्रश्न स्वीकार है ।

श्री प्रहलाद यादव : इसके लिए हम माननीय अध्यक्ष महोदय आपको भी और माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-26 : श्री कुमार सर्वजीत, स0वि0स0

अध्यक्ष : सर्वजीत जी, अभी आप रूक जाइये । ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जी आते हैं, उसके बाद अपना संकल्प पढ़ियेगा ।

(व्यवधान)

आप भी चाहें तो उसके लिए उपलब्ध हो सकते हैं ।

क्रमांक-27 : श्रीमती मीना कुमारी, स0वि0स0

श्रीमती मीना कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के बाबूबरही विधान सभा के बाबूबरही प्रखंड अंतर्गत कुल्हड़िया से दिघीया महार होते हुए मरूकिया चौक एवं परसा से मरूकिया चौक वाले रास्ते को लौकहा रेलवे लाईन के निर्माण हेतु बन्द कराये गये रास्ते के स्थान पर गुमटी के निर्माण कराने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत कुल्हड़िया से दिघीया महार होते हुए मरूकिया चौक एवं परसा से मरूकिया चौक वाले रास्ते को लौकहा रेलवे लाईन के निर्माण हेतु बन्द कराये गये रास्ते के स्थान पर गुमटी के निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक-3373एस0, दिनांक-19.07.2024 द्वारा पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के बाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रीमती मीना कुमारी : माननीय मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-28 : श्री कुंदन कुमार, स0वि0स0

श्री कुंदन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र तथा सबसे अधिक राजस्व देने वाला बेगूसराय जिला को प्रमंडल बनावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कोई भी नया प्रमण्डल, जिला या अनुमण्डल बनाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है । यह प्रस्ताव प्रमण्डलीय आयुक्त से प्राप्त होता है फिर यहां मुख्यालय स्तर पर सचिवों की एक समिति है जो इसकी समीक्षा करती है और फिर मंत्रिमंडल से समूह या एक समिति के माध्यम से इसकी स्वीकृति होती है । अभी यह प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । जब प्राप्त हो जाएगा या जब फिर से प्रमण्डलों के पुनर्गठन की बात आयेगी तब इस पर विचार किया जाएगा । अभी माननीय सदस्य कुंदन जी से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेते हैं ?

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला हमारे प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने पूरी स्थिति स्पष्ट की है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं प्रमण्डल नहीं होने के कारण बेगूसराय में न यूनिवर्सिटी नहीं बन रही, न स्टेडियम बन रहा है, कोई काम नहीं हो रहा । हम सबसे ज्यादा राजस्व देते हैं दस हजार करोड़ ।

अध्यक्ष : आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री कुंदन कुमार : महोदय, माननीय मंत्री जी आश्वासन दे दे कि इस पर विचार करेंगे । आपका आदेश है तो मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-29 : मो0 आफाक आलम, स0वि0स0

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग अभी सदन में नहीं है । इसलिए बाद में अपना गैर सरकारी संकल्प पढ़ लीजियेगा ।

क्रमांक-30 : श्री प्रणव कुमार, स0वि0स0

श्री प्रणव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुंगेर जिलान्तर्गत विश्व प्रसिद्ध योग विश्वविद्यालय एवं आनंद मार्ग का वैश्विक मुख्यालय, मल्टीनेशनल कंपनी आई0टी0सी0, रेल कारखाना एवं पर्यटन स्थल को ध्यान

में रखते हुए मुंगेर के बरियारपुर या नौवागड़ी में उपलब्ध जमीन पर हवाई अड्डा स्थापित किये जाने हेतु नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

टर्न-14/हेमन्त/26.07.2024

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अभी मुंगेर हवाई अड्डा का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि बगल में भागलपुर जो इससे बड़ा हवाई अड्डा है, वह भी नहीं हो पाया है और यहां से मात्र 61 किलोमीटर की दूरी पर भागलपुर । इसलिए जब उड़ान कार्यक्रम जो हब एंड स्कोप मॉडल है भारत सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग का, उसका जब विस्तारीकरण हो रहा है । वह जब तृतीय फेज में आयेगा, तब हम लोग इसको प्रपोज करेंगे ।

अभी माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने पूरी स्थिति स्पष्ट की है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए भारत सरकार से सिफारिश कर दी जाय ।

अध्यक्ष : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि अभी तो भागलपुर का ही नहीं बन पाया है । जब इस प्रकार की कोई योजना आयेगी तो जरूर इस पर विचार करेंगे, ऐसा सरकार ने कहा है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री प्रणव कुमार : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-31 : श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला के काको प्रखंड अन्तर्गत बारा पंचायत के पाली गांव में काफी संख्या में विदेश में रहने वालों के परिवारों, इंटर कॉलेज पाली के छात्रों, शिक्षकों तथा पाली में अवस्थित लघु फिल्म सिटी में कार्यरत सैकड़ों लोगों की सुविधा के लिए बैंक का ब्रांच तथा एटीएम स्थापित करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, उप महाप्रबंधक वित्तीय समावेशन राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार का पत्रांक–132, दिनांक– 08.07.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जहानाबाद जिला प्रखंड काको पंचायत बारा के पाली गांव के पांच किलोमीटर की दूरी में कार्यरत बैंक शाखाएं एवं ग्राहक सेवा केंद्र अवस्थित हैं । पंजाब नेशनल बैंक, उत्तर सरयू शाखा 3 किलोमीटर, पंजाब नेशनल बैंक, काको शाखा 4.5 किलोमीटर, एसबीआई, काको शाखा 4.5 किलोमीटर, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, बीबीपुर शाखा 5 किलोमीटर, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ग्राहक सेवा केंद्र पाली में है, स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र, पाली, पाली में ही है ।

उपरोक्त बैंक शाखाओं एवं ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से वहां के निवासियों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं । विदित हो कि पाली गांव से 5 किलोमीटर के दायरे में 4 बैंक शाखाएं और 2 ग्राहक सेवा केंद्र कार्यरत हैं । फिर भी पाली गांव एवं उसके आसपास के ग्रामीणों की बैंकिंग सुविधा के मद्देनजर पंजाब नेशनल बैंक पाली गांव में एक एटीएम स्थापित करने पर विचार कर रहा है । बैंक शाखा खोलने हेतु संबंधित बैंक की सक्षम प्राधिकार मूलतः बैंक शाखा खोलने का निर्णय बैंकों के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों एवं वाणिज्यिक व्यवहारता के आधार पर लिया जाता है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां हमने ये बैंक शाखा और एटीएम खोलने का..

अध्यक्ष : मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर दिया है रामबली बाबू ।

श्री रामबली सिंह यादव : लेकिन उत्तर में तो बताया है कि 3 किलोमीटर पूरब है, 3 किलोमीटर पश्चिम है, सुदूर गांव में बैंक का शाखा है, मानते हैं हम, लेकिन पाली, जहां मैं बता रहा हूं कि लघु फिल्म सिटी है, फिल्म बनती है । सैंकड़ों लोग वहां बाहर से आते हैं, उनको असुविधा होती है और मैंने इसीलिए मांग की है कि वहां एटीएम की व्यवस्था की जाय, बैंक की शाखा खोली जाय, चूंकि वह जगह बहुत महत्वपूर्ण है महोदय । बड़े–बड़े शहरों में कई–कई बैंक की शाखाएं होती हैं । तो हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि...

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, उनकी तो दो डिमांड थी । एक बैंक की शाखा खोली जाय और एक एटीएम खोला जाय । तो एटीएम खोलने पर वहां पर पीएनबी काम कर

रहा है और पाली में दो ग्राहक सेवा केंद्र तो है हीं । दक्षिण बिहार का और स्टेट बैंक का उसी पाली में है, ऑलरेडी है ।

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ? अब तो बात आपकी सकारात्मक हो गयी ।

श्री रामबली सिंह यादव : आधे काम के लिए माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, तो मैं धन्यवाद देता हूं और प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-32 : श्री अरूण सिंह, स0वि0स0</u>

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत बिक्रमगंज तेनदुनी चौक से बसगितिया की ओर जानेवाली केसठ रजवाहा-1 का दोनों किनारे क्षतिग्रस्त एवं गाद से भरा व जर्जर है, की उड़ाही करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जिस केसठ राजवाहा-1 की चर्चा की है उसके पुनर्स्थापन यानी उड़ाही का कार्य हम लोगों ने इसी महीने स्वीकृत कर दिया है । यह खरीफ का पटवन सीजन खत्म होने पर हम लोग उसको क्रियान्वित कर देंगे, क्योंकि यह योजना पारित है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अरूण सिंह : मंत्री जी के जवाब के आलोक में मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-33 : श्री राम चन्द्र प्रसाद, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-34 : श्री पवन कुमार यादव, स0वि0स0</u>

श्री पवन कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत प्रस्तावित कहलगांव-सन्हौला (26 MLD) सतही जल आधारित बहुग्रामीय जलापूर्ति योजनान्तर्गत पेयजलापूर्ति हेतु गंगा नदी में

FLOATING BARGE एवं GANGWAY को कुल 78 गांवों के हित में अधिष्ठापित कराने की अनुमति प्रदान करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह तो जलापूर्ति का है, यह तो पी0एच0ई0डी0 से संबंधित मामला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी अभी नहीं हैं, आयेंगे तो जवाब देंगे ।

<u>क्रमांक-35 : श्री मोहम्मद अनजार नईमी, स0वि0स0</u>

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज बाजार को महाजाम से मुक्ति हेतु बाई-पास सड़क का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज बाजार को महाजाम से मुक्ति हेतु बाई-पास सड़क का निर्माण तकनीकी संभाव्यता, संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है । क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : महोदय, काफी दिनों से चल रहा है । यह स्वीकृति की कगार पर है, इसको अविलंब किया जाता, तो बेहतर होता ।

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : जी, हम अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-36 : श्री कृष्ण कुमार ऋषि, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-37 : श्री छोटे लाल राय, स0वि0स0</u>

श्री छोटे लाल राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत प्रखंड-दरियापुर के दरिहारा+2 हाई स्कूल में 08 वर्ष पूर्व आग लगने के कारण स्कूल के नष्ट भवन का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखण्ड दरियापुर के दरिहारा+2 के हाई स्कूल के भवन निर्माण हेतु तीन करोड़ इक्यावन लाख अठाईस हजार रुपये का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना से प्राप्त है । विभागीय स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : स्वीकृत हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्या है ?

श्री छोटे लाल राय : महोदय, हो गया है, लेकिन उसमें कुछ त्रुटि है ।

अध्यक्ष : अब संकल्प वापस ले लीजिए । सब स्वीकृत हो गया, बनने वाला है । अब क्या करना है ?

श्री छोटे लाल राय : हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-38 : श्री संजय कुमार गुप्ता, स0वि0स0

श्री संजय कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखंड के कोलसो मोतनाजे बागमती नदी में पुल निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि शिवहर जिलान्तर्गत प्रश्नगत स्थल सलेनपुर बेलसंड पथ पर अवस्थित कोलसो मोतनाजे ग्राम के पास बागमती नदी पर उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : सरकार ने सकारात्मक जवाब दिया है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री संजय कुमार गुप्ता : अध्यक्ष जी, वह पुल बहुत जरूरी है । हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-39 : श्री आनन्द शंकर सिंह, स0वि0स0

श्री आनन्द शंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि ''वह अमृत योजना फेज-2 अन्तर्गत औरंगाबाद नगर को सोन नदी से पेय जलापूर्ति योजना पूर्ण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अमृत योजना फेज-2 का कार्य नगर परिषद औरंगाबाद क्षेत्रांतर्गत बुडको द्वारा कराया जा रहा है । परियोजना निदेशक, बुडको, औरंगाबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक-15.03.2024 को आयोजित बिहार मंत्री परिषद की बैठक में मद सं0-104 के रूप में जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत औरंगाबाद शहर के लिए सतही जल का उपयोग करते हुए पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य के क्रियान्वयन के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी है । उक्त कार्य का क्रियान्वयन जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा उनके द्वारा अमृत योजना फेज-2 अंतर्गत निर्माणाधीन जल मीनार/संप हाउस में शोधित सोन नदी का जल उपलब्ध कराया जाएगा तथा निर्माणाधीन जल मीनारों के माध्यम से आमजनों को जलापूर्ति की जाएगी ।

अध्यक्ष : संकल्प वापस लेने का आग्रह तो कीजिए ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का आग्रह करता हूं।

श्री आनन्द शंकर सिंह : महोदय, 2018 से यह पेंडिंग है, औरंगाबाद के लोग पानी के बिना हाहाकार कर रहे हैं...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी इतना सकारात्मक जवाब दिए । क्या आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री आनन्द शंकर सिंह : जल्द से जल्द पूरा करा दें । मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को गंभीरता के साथ इसको पूरा करा दें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-40 : श्री चन्द्रहास चौपाल, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-41 : श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह पूर्वी चम्पारण जिला के चिरैया प्रखंडान्तर्गत चिरैया सेमरा आर0ई0ओ0 रोड से सेमरा शिकारगंज पथ के सुन्दर देवी स्थान पर सिजूआ नदी पर पुल का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : आप बैठिए । मंत्री जी आयेंगे तो जवाब देंगे ।

क्रमांक-42 : श्री अजीत कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह जाति आधारित गणना के उपरांत बिहार में दलित-अतिपिछड़े व पिछड़े समुदाय के लिए बढ़ाए गए 65 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रस्ताव बिहार विधान सभा से पारित कर के केन्द्र सरकार को भेजे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग । ये तो हो गया, इस पर तो विचार पूरा हो गया ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह तो दिया हुआ है । महोदय, ये जो जातीय गणना के आधार पर दलित-अतिपिछड़े, पिछड़ों के लिए जो आरक्षण की सीमा 65 प्रतिशत तक बढ़ायी गई थी, यह उसी समय सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध केंद्र सरकार से भेज दिया है तो यह काम तो सरकार कर चुकी है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब हाई कोर्ट से...

अध्यक्ष : यह तो हो गया है न ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक सेकेंड महोदय, जब हाई कोर्ट से मामला आया कि रद्द हो गया, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं लागू नहीं कर सकते हैं, तो पता चला कि यदि नौवीं अनुसूची में शामिल हो गया होता तो हाई कोर्ट उसको रद्द नहीं करता ...

अध्यक्ष : यह चला गया है, आपका तो प्रस्ताव चला गया है...

(व्यवधान)

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, रद्द नहीं किया गया है न महोदय, जदयू के...

अध्यक्ष : चला गया है...

(व्यवधान)

श्री अजीत कुमार सिंह : जदयू के ही सपोर्ट से सरकार चल रही है केंद्र में महोदय और वहां पर इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है मैं यह जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : आप सुनिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह जो नौवीं अनुसूची में शामिल करने का मतलब ही होता है कि न्यायालीय समीक्षा से बाहर करना । यह तो हमलोगों ने उस समय भेज दिया लेकिन इस बीच में उच्च न्यायालय में जो मामला गया तो उन्होंने इसको निरस्त कर दिया है लेकिन सरकार बड़ी ही मुस्तैदी से तत्क्षण इसको उच्चतम न्यायालय में हमलोगों ने इसको चुनौती दी है और हम उम्मीद करते हैं कि यह कानून बहाल रहेगा क्योंकि बिहार सरकार में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीबों के हित में फैसला किया है इसलिए हमलोग उम्मीद में बैठे हैं, आ जाता है फिर इसको शामिल कराने का अनुरोध किया जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, डबल इंजन की सरकार है...

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ? अब डिस्कशन कितना होगा...

श्री अजीत कुमार सिंह : एक इंजन कह रहा है कि नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए और दूसरा इंजन उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, यह समझ से बाहर है...

अध्यक्ष : डिस्कशन कितना होगा ? विषय तो केवल इतना ही है, हो तो गया ।

(व्यवधान)

श्री अजीत कुमार सिंह : अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और बिहार सरकार ने कहा...

अध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अजीत कुमार सिंह : इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार नहीं कर रही है, बिहार की बात नहीं मान रही है...

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अजीत कुमार सिंह : इसका मतलब तो यही न हुआ महोदय...

अध्यक्ष : कितना डिस्कश करिएगा...

(व्यवधान)

आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, क्यों वापस लें ? यह बिहार की 13 करोड़ की जनता का सवाल है इसको वापस क्यों लिया जाय । महोदय, इस पर मत विभाजन हो, इस पर मत

विभाजन होना चाहिए कि बिहार सरकार के आग्रह के बावजूद केंद्र सरकार ने क्यों नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, हम समझते हैं कि सरकार सिर्फ मौखिक बात कह रही है कोई नोटिफिकेशन नहीं है...

अध्यक्ष : हो गया भाई...

श्री अजीत कुमार सिंह : अगर ऐसा हुआ होता तो वहां पर माना गया होता महोदय, डबल इंजन की सरकार है ये कैसे हो सकता है...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : माननीय सदस्य इस तकनीकी बात को जरा अच्छी तरह समझ लें कि अभी तो वह कानून ही निरस्त है, किसको शामिल करेंगे ? कानून उच्चतम न्यायालय से फिर से बहाल हो जाए तब तो शामिल कराने की बात होगी ।

(व्यवधान)

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, बिहार पहला राज्य नहीं है जिसने 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा रेखा को पार किया । महोदय, इसके पहले भी 10 परसेंट रिजर्वेशन केंद्र की तरफ से दिया गया और दक्षिण भारत के कई सारे राज्यों ने ...

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक बार में दो-दो आदमी क्यों बोल रहे हैं ? एक ही बात को रिपिट करने से क्या लाभ है ?

श्री अजीत कुमार सिंह : 65 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण दिया है तो फिर कौन सी कानूनी बाध्यता है महोदय । हम यह मानते हैं..

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अजीत कुमार सिंह : नहीं, महोदय, मैं यह चाहता हूं कि वोटिंग हो और प्रस्ताव भेजा जाय। महोदय, वोटिंग हो और बिहार विधान सभा से प्रस्ताव भेजा जाय...

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि ''वह जाति आधारित गणना के उपरांत बिहार में दलित-अतिपिछड़े व पिछड़े समुदाय के लिए बढ़ाए गए 65 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रस्ताव बिहार विधान सभा से पारित कर के केन्द्र सरकार को भेजे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

(व्यवधान जारी)

क्रमांक-43 : श्री देवेश कान्त सिंह, स0वि0स0

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग आयेंगे तो जवाब देंगे ।

(व्यवधान जारी)

श्री अरूण कुमार सिन्हा । श्री अरूण कुमार सिन्हा, बोलिए । बोलिए अरूण जी ।

(व्यवधान जारी)

क्रमांक-44 : श्री अरूण कुमार सिन्हा, स0वि0स0

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि ''वह पटना के राजेन्द्र नगर स्थित 125 करोड़ की लागत से बनाये गये अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल के नये भवन में अधिष्ठापित मशीनरियों हेतु टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टॉफ की नियुक्ति करावे ।''

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

(व्यवधान जारी)

बैठिए, बैठिए । गिन लीजिए न, गिन लीजिए । बैठिए ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राजेन्द्र नगर अति विशिष्ट नेत्र विज्ञान केन्द्र, पटना में...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए । वेल से आपलोगों की कोई बात नहीं सुनी जाएगी ।

(व्यवधान जारी)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के स्वीकृत 15 पदों के विरूद्ध 14 तथा जी0एन0एम0 के 5 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 5 कर्मी कार्यरत हैं । उक्त अस्पताल के सुगम संचालन हेतु 11 नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित प्रतिनियुक्त हैं। अतिरिक्त पदों के सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अरूण कुमार सिन्हा : धन्यवाद देते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

(व्यवधान जारी)

श्री आलोक कुमार मेहता । कृपया आपलोग अपने स्थान पर जाइए...

(व्यवधान जारी)

श्री आलोक कुमार मेहता । बोलेंगे आप, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आगे बढ़ता हूं मैं...

(व्यवधान जारी)

आपको बोलना है तो बोलिए, आलोक जी बोलिए, मैं बुला रहा हूं आपको, मैं आपको बुला रहा हूं...

(व्यवधान जारी)

विपक्ष के प्रतिनिधि आप नहीं हैं, नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं आप ?

(व्यवधान जारी)

क्रमांक-45 : श्री आलोक कुमार मेहता, स0वि0स0

(संकल्प नहीं पढ़ा गया)

क्रमांक-46 : श्री अमर कुमार पासवान, स0वि0स0

(संकल्प नहीं पढ़ा गया)

क्रमांक-47 : श्री निरंजन राय, स0वि0स0

(संकल्प नहीं पढ़ा गया)

(व्यवधान जारी)

क्रमांक-48 : श्री विनय कुमार चौधरी, स0वि0स0

श्री विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि ''वह बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संचालित सभी सम्बद्ध महाविद्यालय में परीक्षाफल आधारित अनुदानित राशि सीधे महाविद्यालय को उपलब्ध करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

(व्यवधान जारी)

अपने स्थान पर बैठिए ।

(व्यवधान जारी)

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग बोलिए ।

(व्यवधान जारी)

अरे भाई, गिनती गिन लीजिए न, बैठ जाइए, बैठ जाइए ।

(व्यवधान जारी)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित सभी सम्बद्ध महाविद्यालय में परीक्षाफल आधारित अनुदानित राशि सीधे महाविद्यालय को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव...

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, एक मिनट, एक मिनट महोदय । इसमें है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत अयाची मिथिला महाविद्यालय एक है, जिसमें राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र-2010-13, शैक्षणिक सत्र-2011-14, 2012-15, 2013-16 की राशि भेज चुका है लेकिन विश्वविद्यालय वापस महाविद्यालय को नहीं देती है । अगर इस तरह की व्यवस्था कर दी जाएगी तो वहां पर शिक्षकों का जो शोषण होता है वह बंद हो जाएगा । यह मैं आग्रह करता हूं और इसके साथ ही मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-16/सुरज/26.07.2024

(व्यवधान जारी)

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, एक मिनट, एक मिनट । इसमें है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत एक अयाची मिथिला महाविद्यालय है, जिसमें राज्य सरकार शैक्षणिक सत्र 2010-13, 2011-14, 2012-15, 2013-16 की राशि भेज चुका है लेकिन विश्वविद्यालय वह वापस महाविद्यालय को नहीं देती है । अगर इस तरह की व्यवस्था कर दी जायेगी तो वहां पर शिक्षकों का जो शोषण होता है, वह बंद हो जायेगा । यह मैं आग्रह करता हूं और उसके साथ ही मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-49 : श्रीमती निशा सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-50 : श्री ललन कुमार, स0वि0स0</u>

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह चौकीदार भर्ती नियम 2014 के अनुसार पूर्व से सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त होने वाले दफादारों व चौकीदारों के आश्रितों की बहाली तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आश्रितों की बहाली यथावत जारी रखते हुये नियुक्ति पत्र वितरण करावे ।''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना सं0-1896, दिनांक-05.03.2014 द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2014 अधिसूचित की गयी । उक्त नियमावली द्वारा चौकीदार संवर्ग के कर्मियों को कतिपय शर्तों के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने पर उनके स्थान पर उनके निर्दिष्ट नामित आश्रित को चौकीदार के पद पर नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था । उक्त अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी हुई ।

कालांतर में एल0पी0ए0 संख्या-508/2022 देवमुनी पासवान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक-25.02.2023 को पारित आदेश के द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली-2006, के नियम-5(7) में विभागीय अधिसूचना संख्या-1896, दिनांक-05.03.2014 द्वारा जोड़े गये परन्तुक को निरस्त कर दिया गया है, जिसके कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आधार पर चौकीदार के आश्रितों की नियुक्ति पर रोक लग गयी ।

एल0पी0ए0 संख्या-508/2022 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक-25.02.2023 को पारित आदेश के आलोक में चौकीदारों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आधार पर नामित आश्रितों की नियुक्ति संबंधी मांग विचारणीय नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट की है । इस संदर्भ में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं एक मिनट समय दीजिये कि ये अंग्रेजों के सरकार के जमाने से, सैकड़ों सालों से अवैतनिक सेवा दिया है चौकीदारों और दफादारों ने और अभी हाल के दिनों से जब वेतन स्टार्ट हुआ तो इनकी नौकरी छीन ली गयी । अध्यक्ष महोदय, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि चौकीदार के आश्रित इस कार्य के लिये दक्ष और कुशल हैं । सैकड़ों साल में दिये

गये इनके अवैतनिक सेवा को ध्यान में रखते हुये सरकार इनको पुनः बहाल करने का विचार करे । यह बड़ा गंभीर मामला है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, हाईकोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया है इसलिये सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है ।

अध्यक्ष : हाईकोर्ट के निर्णय के कारण हुआ है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम सरकार से कहना चाहते हैं अगर सदन चाहता है कि संकल्प वापस हो तो सदन से बढ़कर कौन है ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन ।

(व्यवधान जारी)

मैं क्या करूं आपके पार्टी के मेंबर भी हैं, आपके पार्टी के मेंबर भी हैं । अपने स्थान पर जाइये भाई, बैठिये अपने स्थान पर ।

(व्यवधान जारी)

आपको पढ़ना है तो पढ़िये । कुछ लोगों को आदत हो गयी है हर बात में वेल में जाने की, उसका क्या उपाय है ।

<u>क्रमांक-51 : श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, स0वि0स0</u>

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड में ग्राम पंचायत लोहरा के लोहरा रोड से भदकी खुर्द के मिडिल स्कूल तक पथ का निर्माण करावे ।''

श्री अशोक चौधरी : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ के निर्माण हेतु सर्वे के उपरांत प्राक्कलन MMGSY-NDB (AWSESH) अंतर्गत प्राप्त है । समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : महोदय, एकदम गलत बात है ये । दो साल में एक रोड हमारे यहां नहीं बना है ।

अध्यक्ष : अभी सकारात्मक जवाब दिया है मंत्री जी ने । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : नहीं वापस लेंगे । वोटिंग कराइये, वोटिंग होगा, वोटिंग ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड में ग्राम पंचायत लोहरा के लोहरा रोड से भदकी खुर्द के मिडिल स्कूल तक पथ का निर्माण करावे ।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-52 : श्री जितेन्द्र कुमार, स0वि0स0

श्री जितेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत अस्थावां, कतरीसराय एवं बिन्द प्रखंड क्रमशः केलसीन, वादी एवं जमसारी-तालाबों की उड़ाही प्राक्कलन के अनुरूप किये बिना राशि की निकासी कर ली गयी है, दोषी के विरूद्ध कार्रवाई करावे ।"

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : महोदय, यह ट्रांसफर हो गया है ।

अध्यक्ष : किस विभाग में ?

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : जल संसाधन विभाग में ट्रांसफर हो गया है ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, यह लघु सिंचाई का है, जल संसाधन विभाग का नहीं है ।

अध्यक्ष : ठीक है बैठिये ।

क्रमांक-53 : श्री सत्यदेव राम, स0वि0स0

(माननीय सदस्य द्वारा संकल्प नहीं पढ़ा गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये अपने स्थान पर ।

वेल से कही गयी कोई बात नहीं सुनी जायेगी । न वह छपेगी, न दिखाई जायेगी ।

(व्यवधान जारी)

न कोई बात प्रोसिडिंग में जायेगी । बोलिये रामप्रवेश जी ।

क्रमांक-54 : श्री रामप्रवेश राय, स0वि0स0

श्री राम प्रवेश राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य अंतर्गत जन-वितरण प्रणाली विक्रेताओं को उन्हें सम्मानजनक मानदेय दिलावे ।"

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : धमकाइयेगा क्या, धमकाइयेगा ? बैठिये अपने स्थान पर जाइये, बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

नोट करिये तो इनका नाम, नोट करिये ।

(व्यवधान जारी)

क्यों चढ़ायेंगे ? आप माननीय सदस्य हैं । आपका संरक्षण करेंगे हम । आप जाइये अपने स्थान पर बोलने का अवसर देंगे आपको, जाइये ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामप्रेवश राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जमात राज्य के सभी गरीब लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम करते हैं इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रस्ताव को विचाराधीन रखें और उनके पक्ष में निर्णय लें ।

अध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामप्रवेश राय : जी महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-55 : श्री दामोदर रावत, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

क्रमांक-56 : श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-57 : श्री विनोद नारायण झा, स0वि0स0

श्री विनोद नारायण झा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मैथिली भाषा, जो संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित है एवं इस भाषा के महान कवि विद्यापति की आदमकद प्रतिमा पटना में स्थापित करावे ।"

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये । आप तो अपनी पार्टी के नेता हैं ।

टर्न-17/राहुल/26.07.2024

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अभी तो प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है लेकिन विद्यापति जी महान कवि थे इससे सरकार को इनकार नहीं है । भविष्य में इस पर विचार किया जायेगा । अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनोद नारायण झा : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट हम कहना चाहते हैं, कहने दीजिये कि बिहार की एकमात्र भाषा मैथिली है जो अष्ठम अनुसूची में है । इस महान कवि की देशभर में जयन्ती मनायी जाती है, विद्यापति समारोह होता है, बिहार सरकार इस समारोह को राजकीय समारोह मनाती है लेकिन उसके बावजूद पटना में स्टेच्यू नहीं है । श्रीकृष्ण मैमोरिल हॉल में उनकी एक फोटो रखकर करना पड़ता है और बाकी महापुरूषों का तो स्टेच्यू है जिनका समारोह होता है तो सरकार इस पर विचार करे । पुनर्विचार करके इसको करने का निर्णय लें ताकि महा कवि विद्यापति की प्रतिमा भी पटना में स्थापित हो ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी का जवाब सकारात्मक है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय सदस्य को कहां कह रहे हैं कि हमें इनकार है । हम तो इनको यह कह रहे हैं कि हम सब इस पर विचार करेंगे । अभी स्थिति नहीं है । महोदय, महाकवि विद्यापति अगर इनके स्थान पर जन्म लिये हैं लेकिन उनका निर्वाण हमारे क्षेत्र विद्यापति नगर में हुआ है तो इसलिए विद्यापति जी से हमारा तो अपना लगाव है । इनके प्रस्ताव पर जरूर हम आगे विचार करेंगे। अभी प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री विनोद नारायण झा : धन्यवाद । हम वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-58 : श्रीमती शालिनी मिश्रा, स0वि0स0

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत केसरिया प्रखंड के अंतर्गत चंपारण तटबंध पर ढेकहा-मंझरिया में आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।"

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल केसरिया प्रखंड के चंपारण तटबंध से मंझरिया पथ के चयनित 10 मीटर पर अवस्थित है जो क्षतिग्रस्त है । उक्त क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नये पुल के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 प्राप्त हुआ है । पुल की लंबाई 29.64 मीटर है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर इसके निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन साल में लगभग 20 बार हमने विभाग से आग्रह किया है । इस बार माननीय मंत्री जी, माननीय अशोक चौधरी जी से पहली बार आग्रह कर रही हूं और मुझे विश्वास है कि हम लोगों के चुनाव से पहले यह पुल हो जायेगा । हजारों-हजार परिवार इसमें डूब जाते हैं...

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती शालिनी मिश्रा : जी, तीन साल से कोशिश कर रही हूं इस साल हो जायेगा । यह समझते हुए...

अध्यक्ष : संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती शालिनी मिश्रा : जी, बिल्कुल मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-59 : श्री ललित कुमार यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-60 : श्री महानंद सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-61 : श्री जनक सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-62 : श्री विद्या सागर केशरी, स0वि0स0

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलांतर्गत फारबिसगंज विधान सभा क्षेत्र के फारबिसगंज से मुड़बल्ला तक निर्माणाधीन सड़क के घनी आबादी वाले अम्हारा बाजार एवं खवासपुर बाजार में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के तहत दोनों ओर नाले का निर्माण करावे ।"

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : यह नगर विकास एवं आवास विभाग का है, सर ।

अध्यक्ष : पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के तहत है तो नगर विकास कैसे हो सकता है ?

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत है ।

अध्यक्ष : अरे भईया हम भी तो वही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, अभी इस पर कोई योजना नहीं है । मैं आग्रह करता हूं कि संकल्प को वापस ले लें । भविष्य में योजना का निर्माण होगा तो इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : सुन लीजिये न । ये आपकी योजना पर विचार करेंगे । इसलिए आपसे आग्रह है आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, एक जानकारी दे देना चाहते हैं कि आर0डब्लू0डी0, पथ निर्माण और अन्य विभाग एम0एम0जी0एस0वाई0 से जो भी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में सड़क बनाते हैं उसके दोनों किनारे कम से कम नाला का निर्माण जहां घनी बसावट है वहां जरूर हो । ऐसा प्रस्ताव लाया जाय और खासकर के पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अंतर्गत....

अध्यक्ष : नहीं, ठीक है । आपका सुझाव अच्छा है । क्या अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

श्री विद्या सागर केशरी : जी लेंगे । एक मिनट समय दे दिया जाय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-63 : श्री अजय कुमार, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-64 : श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, स0वि0स0</u>

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला के अदापुर प्रखंड से गुजरने वाली पसाह नदी पर तटबंध रोधक कार्य एवं गाद सफाई का कार्य करावे ।"

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, पसाह नदी में जहां-जहां से गाद निकालने की जरूरत है उसको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और अब सरकार की नीति बनी है कि खान विभाग, जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन मिलकर जो गाद निकलता है उसके व्यवसायिक उपयोग के लिए भी, तो ये पसाह नदी जिसकी बात कर रहे हैं हम लोगों ने स्थल चिन्हित कर लिया है और क्लेक्टर को लिखा है वह खान विभाग से संपर्क करके आगे की कार्रवाई करेंगे इसलिए अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी सकारात्मक जवाब दिये हैं । क्या माननीय सदस्य संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : महोदय, मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-65 : श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-66 : श्री विजय कुमार मण्डल, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-67 : श्री मोती लाल प्रसाद, स0वि0स0

श्री मोती लाल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया प्रखंडान्तर्गत जमुआ से मधुछपरा जाने वाली पथ में लाल बकिया नदी पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत अधूरे पुल को पूर्ण करावे।"

यदि वह गुणवत्तापूर्ण नहीं है...

अध्यक्ष : हो गया अब क्या ? माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य ।

श्री मोती लाल प्रसाद : तो उसकी जांच कराकर और ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई करावे...

अध्यक्ष : बैठिये । मोती लाल जी बैठिये । प्रस्ताव से आगे कहां जा रहे हैं ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि यह प्रश्न अभिस्तावित पुल जमुआ से मधुछपरा तट के आरेखन पर पड़ता है । पूर्व में शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत 132 मीटर पुल के साथ-साथ एप्रोच पथ का निर्माण कार्य किया गया था । बाढ़ के समय नदी का जल प्रवाह ज्यादा होने के कारण एप्रोच टूट गया है । वर्तमान

परिस्थिति के आलोक में पूर्व से निर्मित पुल के अलावा 2x16.75 मीटर इस पईन का पुल जमुआ की तरफ से एवं 11x16.75 मीटर इस पईन का पुल मधुछपरा की तरफ से प्रावधान कर पुनर्क्षित प्राक्कलन की स्वीकृति कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । तत्पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा । अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलो में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया है । क्या माननीय सदस्य आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मोती लाल प्रसाद : महोदय, क्या इसी वित्तीय वर्ष में पुल को बनवा देंगे, पूर्ण करा देंगे ?

अध्यक्ष : हां, कह तो रहे हैं कि उसे दिखवा रहे हैं । क्या प्रोसेस वे कर रहे हैं ।

श्री मोती लाल प्रसाद : महोदय, उस पुल की बहुत आवश्यकता है । क्या इसी वित्तीय वर्ष में वे पूर्ण करवा देंगे ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : हम तो कह रहे हैं ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मोती लाल प्रसाद : जी, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-68 : श्री विश्वनाथ राम, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-69 : श्री बागी कुमार वर्मा, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-70 : श्रीमती रश्मि वर्मा, स0वि0स0

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चंपारण जिला अन्तर्गत नरकटियागंज प्रखंड के बनवरिया पंचायत के बनवरिया गांव में अवस्थित प्राचीन शिव मंदिर एवं तालाब का सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार करते हुए पर्यटन रोड मैप में शामिल कर पर्यटन स्थल घोषित करावे ।''

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाता है । पर्यटक स्थल पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण किया जाता है । वर्तमान में नरकटियागंज प्रखंड के बनवरिया पंचायत के बनवरिया गांव में अवस्थित प्राचीन शिव मंदिर एवं तालाब का सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार से संबंधित कोई योजना पर्यटन विभाग के स्तर पर स्वीकृत या

विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे संकल्प को वापस लेने की कृपा की जाय ।

टर्न-18/मुकुल/26.07.2024

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट की है । क्या माननीय सदस्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती रश्मि वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इसमें 5 से 7 लाख प्रतिवर्ष पर्यटक, श्रद्धालु और साथ ही साथ कांवरिया यहां आते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, वह तो हम समझ गये, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं?

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्टिकुलर सुविधा के लिए..

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती रश्मि वर्मा : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक सं0-71 : श्री तारकिशोर प्रसाद, स0वि0स0

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि कटिहार जिलान्तर्गत गोबिन्दपुर-चांपी-हसनगंज 6.2 कि0मी0 कच्ची सड़क का पक्कीकरण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ गोबिन्दपुर-चांपी-हसनगंज पथ का निर्माण संसाधन की उपलब्धता पर प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगे ?

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यह सकारात्मक जवाब नहीं है । महोदय, यह सड़क काफी महत्वपूर्ण है । अध्यक्ष महोदय, 131 राष्ट्रीय उच्च पथ को आप ने ही फोर लेन के लिए रिकमेंड किया था, आप उस दिन को याद कीजिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, कटिहार की तरक्की में आपकी बड़ी भूमिका रही है मंत्री के रूप में । इसलिए इस सड़क का बनना जरूरी है और इस पर 2 करोड़ की लागत से पुल बना हुआ है ।

अध्यक्ष : तारकिशोर जी, हम मतदान करायें या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, यह आपसे भी जुड़ा हुआ प्रश्न है और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मंत्री जी संवेदनशील हैं, ये एक सकारात्मक जवाब देकर....

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक सं0-72 : डॉ0 संजीव कुमार, स0वि0स0

डॉ0 संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिलान्तर्गत अगुवानी सुलतानगंज पुल जो पिछले दस वर्षों से निर्माणाधीन है, इस पुल को 2025 अगस्त तक पूर्ण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि खगड़िया जिलान्तर्गत अगुवानी सुलतानगंज पुल का निरूपण/पुनरीक्षण का कार्य अंतिम चरण में है, स्वीकृति निरूपण के उपरांत युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए 18 माह से कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये अपना संकल्प वापस ले लें ।

डॉ0 संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह 10 साल से निर्माणाधीन है, दो बार बीच में गिर भी चुका है अगुवानी सुलतानगंज पुल और उसके बाद आज तक कारण भी नहीं पता चला है कि किस कारण से गिरा, न टेस्ट में उसका जानकारी हुई, उसमें एस0पी0 सिंघला जो कम्पनी है न उस पर कार्रवाई हुई, न रॉडी कन्स्ट्रक्शन पर कार्रवाई हुई और न ही किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई । हर साल बोला जाता है कि यह अगले साल कम्प्लीट हो जायेगा, वर्ष-2021 में पूछा गया तो कहा गया कि वर्ष-2022 में होगा, वर्ष-2022 में पूछा गया तो कहा गया कि वर्ष-2023 में होगा और वर्ष-2023 में पूछा गया तो कहा गया कि वर्ष-2024 में होगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गया ।

डॉ0 संजीव कुमार : लेकिन अध्यक्ष महोदय चुनाव के बाद कम्प्लीट होगा, थोड़ा मेहनत कर देंगे तो अगस्त तक हो जायेगा ।

अध्यक्ष : संजीव जी, आप भी पूरी स्थिति से अवगत हैं और सरकार भी इस मामले में और पथ निर्माण विभाग दोनों पूरी तरह से मुस्तैद हैं और सरकार लगातार प्रयत्न भी कर रही है। सरकार ने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

डॉ0 संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम तो संकल्प वापस लेंगे ही लेकिन इसको जल्दी से जल्दी करवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक सं0-73 : श्री शाहनवाज, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक सं0-74 : श्री राजेश कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक सं0-75 : श्री गोपाल रविदास, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक सं0-76 : श्री भूदेव चौधरी, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक सं0-77 : श्री भीम कुमार सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक सं0-78 : श्री विनय कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक सं0-79 : श्री प्रमोद कुमार, स0वि0स0

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के मोतिहारी निगम के मिशन चौक पतौरा पथ पर बन्द पड़ी रविन्द्र नाथ मुखर्जी आयुर्वेद महाविद्यालय से महात्मा गाँधी केन्द्रीय विद्यालय को सरकारी सम्पत्ति स्थानान्तरित कर पठन-पाठन हेतु चालू करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री रविन्द्र नाथ मुखर्जी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण निजी प्रक्षेत्र का कॉलेज एवं अस्पताल है एवं निजी प्रक्षेत्र में कॉलेज खोलने हेतु राज्य सरकार द्वारा मात्र अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है । निजी कॉलेज/अस्पताल पर राज्य सरकार का सीधा एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है । वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष निजी कॉलेजों के अधिग्रहण का मामला विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, 25 से 30 एकड़ सरकारी भूमि में बना हुआ है, शासी निकाय राज्य सरकार का है वह प्रॉपर्टी भू-माफियाओं के अधीन चला जा रहा है, अतिक्रमित हो रहा है, पठन-पाठन बंद है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस सरकारी सम्पत्ति का संरक्षण और संवर्धन कराना चाहते हैं या लुटवाना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाइये । माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने साफ बताया है कि यह निजी प्रक्षेत्र का कॉलेज है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने कहा है कि जमीन सरकारी है तो एक बार आप पूरा मामला फिर दिखवा लीजिए ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो गवर्निंग बॉडी है, वह पूरा प्राइवेट है ।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय,....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी बोल रहे हैं, आप उनकी बातों को सुन लीजिए । माननीय सदस्य, आप भी तो मंत्री रहे हैं ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हमारे बहुत वरीय सदस्य हैं, हमारे कैबिनेट के साथी रहे हैं और हमारे बहुत प्रिय भी हैं तो इनके क्षेत्र का यह बहुत ही चिर-परिचित मांग रही है तो मैं निश्चित रूप से विभाग में इस पर सकारात्मक तरीके से विचार करने की कोशिश करूंगा । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि ये अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के सकारात्मक आश्वासन के आधार पर हम अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक सं0-80 : श्री नरेन्द्र कुमार नीरज, स0वि0स0</u>

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के बक्सर से कहलगाँव तक गंगा नदी में गाद की सफाई के लिए केन्द्र सरकार से अनुशंसा करे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रस्ताव बहुत ही प्रासंगिक है, सरकार इस दिशा में कार्रवाई कर चुकी है और मैं सदन को भी बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में भारत सरकार से अनुरोध करके, जो भारत सरकार के मंत्री हैं, माननीय सदस्य जो बता रहे हैं ये तो बक्सर से कहलगांव तक कह रहे हैं, हमलोगों ने बक्सर से कहलगांव होते हुए फरक्का तक जो भारत सरकार के मंत्री हैं उनको हमलोगों ने लॉफ-लाइन करके एरियल सर्वे भी कराया है इसलिए जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह आवश्यक है और हमलोगों ने इसकी अनुशंसा कर दी है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि ये अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका काम तो हो गया है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : अध्यक्ष महोदय, काम तो हो गया है लेकिन मैं तो कहूंगा कि गंगोत्री से गंगा को साफ कराते हुए वह फरक्का ब्रिज तक जाए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक सं0-81 : श्री राणा रणधीर, स0वि0स0</u>

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत 'भारत माला प्रोजेक्ट' के तहत एन0एच0-127 (चोरमा से बैरगनिया) पथ निर्माण में पकड़ीदयाल प्रखंड के किसानों को अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा का भुगतान करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ट्रांसफर हुआ है ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, हमें आपका थोड़ा संरक्षण चाहिए । यह विषय थोड़ा अलग है, इसमें पैसा एन0एच0ए0आई0 ने जिला को उपलब्ध करवा दिया है, डी0एम0 को पैसा देना है किसानों को, यह पूरे जिले का विषय है । पैसा भी उपलब्ध है, वहां पर भू-अर्जन नहीं किया जा रहा है और पैसा भी नहीं दिया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, यह योजना बाधित है इसलिए इसमें हमें आपका संरक्षण भी चाहिए और मंत्री जी की तरफ से अच्छा निर्देश चाहिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसको हम दिखवा लेते हैं, अगर पथ निर्माण विभाग से होगा तो हम इसको दिखवा लेते हैं ।

श्री राणा रणधीर : मंत्री जी, यह आपके विभाग से संबंधित नहीं है, यह पथ निर्माण विभाग का विषय नहीं है । एन0एच0ए0आई0 पैसा दे दिया है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : ठीक है हमलोग इसको दिखवा लेते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

टर्न-19/यानपति/26.07.2024

क्रमांक- 82 : श्री श्रीकान्त यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 83 : श्री संतोष कुमार मिश्र, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 84 : श्री राम विशुन सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 85 : श्री उमाकांत सिंह, स0वि0स0

श्री उमाकांत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत चनपटिया प्रखंड कार्यालय परिसर में आई0टी0 भवन का निर्माण करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत चनपटिया प्रखंड अंचल कार्यालय का भवन पुराना है । राज्य सरकार सभी नव सृजित एवं पुराने वैसे प्रखंड जिनके जीर्णोद्धार, मरम्मती, निर्माण की आवश्यकता है उसके कार्यालय एवं आवासीय भवन तथा परिसर विकास के लिए कृतसंकल्पित है । अब तक 82 प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन का निर्माण कराया जा रहा है साथ ही 101 प्रखंडों में आधारभूत संरचना की उपलब्धता हेतु प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का भी निर्माण किया गया है । नाबार्ड से ऋण प्राप्त कर प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, आई0टी0 भवन का निर्माण कराया जा रहा था । नाबार्ड ऋण का संपोषण वर्ष 2022 में बंद की जा चुकी है । शेष प्रखंडों को चरणात्मक तरीके से प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराने की सरकार की योजना है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं । बहुत विस्तृत रूप से जवाब दिया है माननीय मंत्री जी ने ।

श्री उमाकांत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि चार साल से मैंने 40 बार लिखकर दिया है माननीय मंत्री जी को और विधान सभा का मुख्यालय है और वहां भवन नहीं है, माननीय डी0एम0 साहब भी प्रस्ताव भेजे हुए हैं और प्रस्ताव भी आया है कि वहां भवन बनाना जरूरी है, और विधान सभा का मुख्यालय है तो वहां कहीं पदाधिकारी के बैठने की जगह भी नहीं है, एक भवन बनवाने के लिए इतना मैंने चार साल से.....

अध्यक्ष : मंत्री जी का जवाब सकारात्मक है इस बार तो क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री उमाकांत सिंह : मंत्री जी प्राथमिकता के आधार पर चनपटिया में आई0टी0 भवन बनवाने की कृपा करेंगे । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 86 : श्री मिथिलेश कुमार, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक- 87 : श्री नारायण प्रसाद, स0वि0स0</u>

श्री नारायण प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चम्पारण जिला में चम्पारण तटबंध के सूर्यपुर-सिंगही बांध से लेकर भरवलिया बांध तक (तटबंध के 42 कि0मी0 से 72 कि0मी0 तथा पी0डी0 रिंग बांध के 04 कि0मी0 से 8.5 कि0मी0 तक) तटबंध पर अतिक्रमण किए बाढ़ विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित कराकर तटबंध को अतिक्रमण मुक्त करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से आज ही स्थानांतरित होकर हमारे विभाग में आया है । इस तटबंध पर अतिक्रमण या विस्थापित लोगों को पुनर्वासित करने की बात इसमें कही गई है । यह आज ही आया है लेकिन चूंकि मामला प्रासंगिक लगता है इसलिए हमलोग विभाग की तरफ से जिला प्रशासन से संपर्क करके इस बांध को अतिक्रमण मुक्त कराने की भी कार्रवाई करेंगे और अगर कोई विस्थापित हुए हैं तो उनके पुनर्वासन की व्यवस्था भी जिला प्रशासन के माध्यम से करने की कार्रवाई की जायेगी । इसलिए अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री नारायण प्रसाद : महोदय, यह तो बराबर हम सुनते रहे हैं ।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री नारायण प्रसाद : जी, प्रस्ताव वापस लेंगे ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 88 : श्री मुकेश कुमार यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 89 : श्री मुरारी मोहन झा, स0वि0स0

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के केवटी विधान सभा अंतर्गत सिंहवाड़ा प्रखंड के हरिहरपुर पंचायत में स्टेडियम का निर्माण करावे ।''

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है । दरभंगा जिलांतर्गत सिंहवाड़ा प्रखंड के उच्च विद्यालय सिमरी में आउटडोर स्टेडियम निर्माण की

स्वीकृति, विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-38, दिनांक-26.08.2008 द्वारा दी जा चुकी है ।

अतः हम माननीय सदस्य से कहना चाहेंगे कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : आप मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो जवाब दिए हैं यह प्रधानमंत्रीजी का और आदरणीय नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है । खेलो इंडिया के माध्यम से यहां के खिलाड़ियों को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है भारत में । वह जो जवाब दिए हैं सिमरी में, हम बोलते हैं कि वह जाकर देख लें कि वह स्टेडियम है या पूरा कबाड़ बना हुआ है । कुछ नहीं है, न बाउंड्री वाल है, न कुछ है और वह बोल रहे हैं कि स्टेडियम निर्माण हो चुका है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक बार फिर से दिखवा लीजिए । इसके आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : दिखवा लेता हूं ।

अध्यक्ष : सरकार के जवाब के आलोक में क्या संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मुरारी मोहन झा : उसको एक बार दिखवा लें । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 90 : श्री संजय सरावगी, स0वि0स0

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रेल-ओवर ब्रिज-25 स्पेशल एवं 26 की स्वीकृति कर निर्माण कार्य प्रारंभ करावे ।''

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिलांतर्गत प्रश्नगत स्थल रेलवे समपार संख्या-25 पर आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है, स्वीकारोपरांत अग्रतर कार्रवाई की जायेगी । रेलवे समपार संख्या-26 पर आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु संशोधित डी0पी0आर0 समर्पित करने हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को निर्देशित किया गया है संशोधनोपरांत अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : अब क्या बोलना है, दोनों पर कार्रवाई हो रही है ।

श्री संजय सरावगी : 10 सेकंड अध्यक्ष महोदय, 5 साल से डी0पी0आर0 बन रहा है । 2017 में भारत सरकार इस रेल ओवर ब्रिज की स्वीकृति दी थी 26 नंबर की और अभीतक संशोधित डी0पी0आर0 ही बन रहा है । पूरा शहर जाम रहता है, डोमार ओवरब्रिज और मिल्जियम ओवरब्रिज के कारण पूरे शहर में त्राहिमाम है । इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हुए कि जल्द से जल्द दोनों आर0ओ0बी0 में निर्माण कार्य प्रारंभ करावें, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 91 : श्री राजेश कुमार गुप्ता, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 92 : श्री रणविजय साहू, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 93 : श्री सुनील मणि तिवारी, स0वि0स0

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण के अरेराज सुप्रसिद्ध सामेश्वरनाथ धाम मेला में अत्यधिक भीड़ के कारण लगने वाले जाम के निदान हेतु पी0डब्लू0डी0 अरेराज मुख्य पथ से 01 कि0मी0 उत्तर एवं दक्षिण की सड़क को चौड़ीकरण कराकर डिवाईडर का निर्माण करावे ।''

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह ग्रामीण कार्य विभाग को हस्तांतरित है ।

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, यह पी0डब्लू0डी0 का रोड है । यह मोतिहारी से अरेराज जाता है और वहां से होते हुए बेतिया जाता है, गोविंदगंज जाता है । पी0डब्लू0डी0 का रोड है, ग्रामीण में नहीं जायेगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत अरेराज मुख्य पथ से एक कि0मी0 उत्तर एवं दक्षिण की सड़क का चौड़ीकरण एवं डिवाइडर निर्माण तकनीकी संभाव्यता एवं उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री का जवाब सकारात्मक है क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सुनील मणि तिवारी : महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब है, लेकिन बाबा की नगरी है, धाम है, भीड़ ज्यादा होती है और एक कि0मी0 बाद है । हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं लेकिन माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि यथाशीघ्र उसका निर्माण करावें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-20/अंजली/26.07.2024

क्रमांक-94 : श्री अवधेश सिंह, स0वि0स0

श्री अवधेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत होने वाले सड़क निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि का न्यूनतम सीमा को हटा दिए जाने के कारण बुरी तरह से प्रभावित हो रहे कार्य एवं कार्य की गुणवत्ता हेतु कारगर नीति बनावे ।''

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब लंबा है ।

महोदय, यह ग्रामीण कार्य से है, यह पॉलिसी मैटर है, जवाब लंबा है लेकिन हम माननीय सदस्य को यह बताना चाहते हैं कि पूरी तरह से इसके ऊपर हमलोग काम कर रहे हैं और इसके ऊपर पॉलिसी बन रही है और ऐसे विभाग लंबा जवाब दिया है । अगर आप चाहिएगा तो हम लंबा जवाब भी दे देंगे । इसलिए हम आग्रह करते हैं कि सरकार के कार्यों पर और नीतीश कुमार जी पर विश्वास कीजिए, आने वाले समय में ग्रामीण कार्य विभाग पॉलिसी बनाकर इस पर काम करेगी ।

अध्यक्ष : अवधेश जी, क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अवधेश सिंह : जी महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-95 : डॉ0 रामानुज प्रसाद, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-96 : श्री महबूब आलम, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-97 : श्री ऋषि कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-98 : श्री पवन कुमार जायसवाल, स0वि0स0

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण का पत्रांक-30, दिनांक-24.02.2024 द्वारा अवर सचिव ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित पत्र के आलोक में बेहद जर्जर ढाका एवं घोड़ासहन प्रखंड में ''प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन'' का निर्माण वित्तीय वर्ष 2024-25 में करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत ढाका एवं घोड़ासहन प्रखंड सह अंचल कार्यालय का भवन पुराना है । राज्य सरकार सभी नवसृजित एवं पुराने वैसे प्रखंड जिनके जीर्णोद्धार, मरम्मती, नवनिर्माण की आवश्यकता है उनके कार्यालय एवं आवासीय भवन का परिसर विकास के लिए कृतसंकल्पित है । अब तक 82 प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन का निर्माण किया जा रहा है । साथ ही, 101 प्रखंडों में आधारभूत संरचना की उपलब्धता हेतु प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का भी निर्माण कराया गया है । शेष जीर्ण-शीर्ण एवं जर्जर नवसृजित प्रखंड सह अंचल एवं आवासीय परिसर को चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराने की सरकार की योजना है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है और मंत्री जी से भी आग्रह है कि डी0एम0 का प्रतिवेदन है, कभी हादसा हो जाएगा भवन गिरेगा तब, मंत्री जी 2022 में बनाने जा रहे थे, गठबंधन टूट गया, हमलोग का हक लेकर महागठबंधन के लोग चले गए, अब हमारी सरकार है, आप पर हमलोग का हक है । हम आग्रह करेंगे कि 2024-2025 में ढाका और घोड़ासहन के अंचल सह प्रखंड भवन का निर्माण

कृपया करा दिये जाएं, नहीं तो हादसा हो जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं उनसे भी आग्रह होगा ।

अध्यक्ष : जल्द से जल्द हो जाय । क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, आपका आदेश है, मंत्री जी की सहमति है, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-99 : श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के पूर्व 14 अगस्त मध्य रात्रि को 12 बजकर 1 मिनट पर पूर्णिया के भट्टा बाजार झंडा चौक पर प्रतिवर्ष झंडोत्तोलन कार्यक्रम को राजकीय महोत्सव के रूप में सरकार मनावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन इसलिए नहीं है कि यह 14 और 15 अगस्त के बीच की रात को 12 बजकर 1 मिनट पर जो कार्यक्रम होता है उसको राजकीय महोत्सव जो स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता दिवस से ही जुड़ा कार्यक्रम होता है, उसके लिए राजकीय समारोह की बात कह रहे हैं और उसके कुछ ही घंटे बाद, 7-8 घंटे बाद ही, वहीं पूर्णिया में ही पूरे मान और समारोह के साथ राजकीय समारोह से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है जिसमें सभी माननीय सदस्य, ये भी शामिल होते हैं, यह वहां के नागरिकों के द्वारा किया जाता है, एक ऐतिहासिक घटना जो स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में घटी थी उसकी याद में, तो सरकार उसका सम्मान करती है लेकिन कुछ ही घंटे पर स्वतंत्रता दिवस से अलग-अलग आयोजन राजकीय समारोह के रूप में हो यह उचित नहीं होगा । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार का जवाब बड़ा साफ है और ठीक भी है । इसलिए क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेंगे ? पूर्णिया के लोगों का सम्मान है जो कार्यक्रम ऐसे करते हैं उसके प्रति पूरा आदर है सरकार को ।

श्री विजय कुमार खेमका : जी-जी । एक सेकेंड महोदय । अध्यक्ष महोदय, जो झंडोत्तोलन होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां पर हैं, मैंने पत्र देकर उनसे भी आग्रह किया था, पूरे देश में पंजाब के वाघा बॉर्डर पर सिर्फ एक जगह होता है और उसके बाद पूरे

देश में, बिहार में, मात्र पूर्णिया में स्वतंत्रता के बाद ठीक एक मिनट के बाद यह झंडोत्तोलन होता है, इसलिए यह पूरे देश में बिहार का भी सम्मान है और राष्ट्रीय तिरंगा का भी सम्मान है, इसलिए हम पुनः आग्रह करेंगे कि राजकीय महोत्सव अगर नहीं दें तो एक समारोह के रूप में वहां के प्रशासन के अधिकारी के द्वारा इसको समारोह के रूप में मनाया जाय तो इसका वाघा की तरफ बिहार का भी नाम पूरे देश में होगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने आपकी बात गंभीरता से सुना है । क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विजय कुमार खेमका : आसन का आदेश है तो मैं अपना प्रस्ताव लेता हूं । लेकिन हम आग्रह करेंगे इस पर विचार करें ।

<u>क्रमांक-100 : श्री शम्भू नाथ यादव, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-101 : श्री विनय बिहारी, स0वि0स0</u>

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के 4 लाख संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सरकार की स्पष्ट नीति है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं यानी नियमित सरकारी सेवक होते हैं और जो संविदा कर्मी होते हैं, दोनों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा सेवा शर्तें अलग-अलग होती हैं, इसलिए सीधे एक बार में 4 लाख संविदा कर्मी को सरकारी सेवक या सरकारी कर्मी नहीं माना जा सकता है, वैसे जो संविदा कर्मी भी हैं उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर उनकी सुविधाएं बढ़ायी हैं कि जैसे उनकी पहले कुछ ही दिनों के लिए होती थीं, कुछ ही वर्षों के लिए संविदा होती थीं, अब उनकी सेवा निवृत्ति की आयु तक वे इस संविदा पर रह सकते हैं और भी इनको ई0पी0एफ0 ये सब की सुविधा अलग-अलग समय पर अनेक सुविधाएं दी गई हैं खासकर जो महिला कर्मी है उनको मातृत्व अवकाश से लेकर सारी सुविधा दी जा रही है लेकिन एक साथ 4 लाख संविदा कर्मी को सरकारी कर्मी बनाने में सरकार को असुविधा है, इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के विस्तृत जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनय बिहारी : महोदय, मुझे सिर्फ चार पंक्ति बोलने का अवसर दिया जाय ।

अध्यक्ष : कविता में बोलिए ।

श्री विनय बिहारी : जी महोदय ।

''हम उम्र गुजारेंगे कब तक,
इस आस में कि तुम आओगी,
जब हो जायेंगे हम बूढ़े,
तब किसका दिल बहलाओगी ।''

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनय बिहारी : महोदय, दो पंक्ति आपके लिए ।

अध्यक्ष : हो गया न ।

श्री विनय बिहारी : '' यही आरजू है आपसे,
कुछ और न कहने वाले हैं,
उम्मीद उन्हीं से होती है,
जो दर्द समझने वाले हैं ।''

मैं अपना संकल्प इस उम्मीद के साथ कि कभी इन चार लाख कर्मियों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे क्योंकि हम आपके हैं, आप ही से प्यार करते हैं, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप ही विचार करते हैं और आप ही विचार करायेंगे, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री अनिल कुमार । पढ़िये, अनिल जी ।

क्रमांक-102 : श्री अनिल कुमार, स0वि0स0

श्री अनिल कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बथनाहा प्रखंड के बदुरी गांव में लखनदेई नदी पर निर्मित पुल की स्थिति कार्फी जर्जर होने के कारण पुराने पुल की जगह नई पुल का निर्माण करावे ।''

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल NH-70 सिंघरिया, बहादुरी, अमघट्टा पथ के आरेखण पर अवस्थित है । पुल निर्माण के

संबंध में सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह माननीय विधायक एवं माननीय सांसद महोदय से अति आवश्यक पुलों के निर्माण हेतु प्राथमिकता सूची प्राप्त करे एवं इस सूची में शामिल किये जाने वाले पुलों का ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता से विहित प्रपत्र में तकनीकी संभाव्यता प्रतिवेदन टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं सार प्रतिवेदन तैयार कराकर प्राथमिकता के क्रम में उपलब्ध करावें । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने के फलस्वरूप तकनीकी समीक्षोपरांत एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो पाएगा ।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

टर्न-21/आजाद/26.07.2024

अध्यक्ष : सरकार ने सकारात्मक जवाब दिया है, प्रोसेस शुरू हो गया है, आप संबंधित जगह पर बात कह दीजिए और आप लिखकर दे दीजिए ।

श्री अनिल कुमार : बिल्कुल माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दो प्रखंडों के लिए एक लाईफ लाईन का काम करती है ......

अध्यक्ष : इसीलिए तो कर रही है सरकार ।

श्री अनिल कुमार : माननीय मंत्री जी का सकारात्मक जवाब है, हमने 5 पूलों का लिस्ट जिलाधिकारी जी को भी सौंप दिया है और माननीय मंत्री जी को भी सौंप दिया है।

अध्यक्ष : क्या आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अनिल कुमार : बिल्कुल सर । माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-103 : श्री आबिदुर रहमान, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-104 : श्री अमरजीत कुशवाहा, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-105 : श्री अरूण शंकर प्रसाद, स0वि0स0

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि ''वह मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड के नया टोला बलाट से बासोपट्टी एवं कारी यादव के घर के पास वैरा (जयनगर) से बासोपट्टी भगवती गवहर चौक तक की जर्जर ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क को चौड़ीकरण के साथ पुनर्निर्माण करावे ।''

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है, पहला टी-02 बासोपट्टी से नया टोला तक पथ, दूसरा बासोपट्टी मेन रोड से वैरा कारी यादव हाऊस तक पथ । उक्त दोनों पथों की मरम्मति हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । तत्पश्चात् प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

अध्यक्ष : अब तो आपका काम हो रहा है, सब काम आपका हो जाता है । क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहते हैं ?

अध्यक्ष : संरक्षण तो हमेशा है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, यह दो प्रखंडों को जोड़ने वाली दोनों सड़कें हैं, 7-7, 8-8 कि0मी0 की सड़कें हैं महोदय और हमारे विधान सभा के बीचों-बीच दोनों सड़कें हैं । इन दोनों सड़कें क्षतिग्रस्त रहने के कारण इस हालात में है कि वहां के लोग कई जगह वोट बहिष्कार कर दिये इस बार, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना अनुरोध करता हूँ कि आप निधि की उपलब्धता में इस सड़क को प्राथमिकता देने का विचार करते हैं ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने तो कहा है- प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य, आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-106 : श्री राकेश कुमार रौशन, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक–107 : श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक–108 : श्री राम सिंह, स0वि0स0</u>

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि ''वह पश्चिम चम्पारण जिला के बगहा पुलिस जिला को राजस्व जिला बनावे । ''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैंने अन्य प्रस्तावों के सिलसिले में भी बताया है कि प्रमंडल, जिला, अनुमंडल बनाने के लिए प्रक्रिया अभी स्थगित है क्योंकि इसके लिए जो निर्धारित प्रक्रिया है कि प्रमंडलीय आयुक्त से प्रस्ताव प्राप्त होता है, फिर यहां पर सचिवों की समिति होती है, फिर मंत्रियों के समिति में समीक्षा होने के बाद सरकार निर्णय लेती है । अभी यह कार्रवाई तत्काल स्थगित है । जब बगहा को तो पुलिस जिला बना ही दिया गया है । जब जिला बनाने की बात आयेगी तो विचार किया जायेगा । अभी माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने बहुत सकारात्मक जवाब दिया है, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राम सिंह : वापस तो लेंगे ही, लेकिन हमारी बात सुन ली जाय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–109 : श्री आलोक रंजन, स0वि0स0</u>

श्री आलोक रंजन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि ''वह सहरसा में फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडिंग (VENDING) जोन का निर्माण कराकर उनके रोजगार और व्यवस्थित व्यवसाय का व्यवस्था करे ।''

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : महोदय, जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा कला भवन, सुपर मार्केट, सहरसा के पास एक वेंडिंग जोन के निर्माण हेतु भूमि का हस्तांतरण किया गया है । सहरसा नगर निगम में वेंडिंग जोन के निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक–1727 दिनांक 06.04.2022 एवं पत्रांक–4882 दिनांक 19.07.2024 द्वारा सभी वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । नगर निगम, सहरसा से वेंडिंग जोन निर्माण संबंधी उपर्युक्त भूमि प्राप्त होने के उपरान्त वेंडिंग जोन निर्माण की कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इसको वापस ले लें ।

अध्यक्ष : सरकार का जवाब सकारात्मक है, क्या माननीय सदस्य, सरकार के सकारात्मक जवाब के आलोक में अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री आलोक रंजन : महोदय, थोड़ा संरक्षण दे दीजिए । यह गरीब से जुड़ा हुआ विषय है और फुटपाथ दुकानदार को .....

अध्यक्ष : सरकार गरीबों के प्रति पूर्ण संवेदनशील है ।

श्री आलोक रंजन : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी फुटपाथ दुकानदारों के लिए अलग से योजना है ।

अध्यक्ष : इसलिए माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है ।

श्री आलोक रंजन : महोदय, 2022 में भी पत्र गया है और अभी क्वेश्चन गिराने के बाद फिर गया है जुलाई माह में तो नगर निगम कितना संवेदनशील है, आप समझ सकते हैं महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री आलोक रंजन : इस बार जो गया है, इसमें हो जाय, इतना मंत्री जी आश्वासन दे दें महोदय, इतना आपको कह रहे हैं महोदय ।

अध्यक्ष : बोलिए माननीय मंत्री जी ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तो कहा है कि जो नगर निगम, सहरसा के उपर्युक्त भूमि का सब कागज मांगे हैं, जैसे ही कागज उपलब्ध हो जाता है, निर्माण के लिए इस साल कार्रवाई करेंगे ।

श्री आलोक रंजन : जल्दी से हो जाय । मैं इसे वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-110 : श्री लखेंद्र कुमार रौशन, स0वि0स0

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि ''वह वैशाली जिला के पातेपुर विधान सभा के प्रखंड जन्दाहा, नारी खुर्द पंचायत के श्रीराम चौक खेल मैदान में स्टेडियम निर्माण करावे । ''

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, वैशाली से विभागीय पत्रांक-975 दिनांक 18.07.2024 द्वारा वैशाली जिला के जन्दाहा प्रखंड में स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव की मांग की गई है । प्रस्ताव प्राप्त होते ही नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : सरकार का जवाब सकारात्मक है । क्या माननीय सदस्य, अपना प्रस्ताव वापस लेंगे?

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जन्दाहा प्रखंड दो विधान सभा से है, उसमें जन्दाहा प्रखंड 23 पंचायत में 12 पंचायत हमारे विधान सभा में है और 11 पंचायत महनार विधान सभा में है । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जहां से प्रस्ताव आया है, जहां से नहीं आया है । एन0ओ0सी0 बिहार सरकार यहां से भेज न दे, हमारे यहां से आ जायेगा, जमीन उपलब्ध है ।

अध्यक्ष : रिपोर्ट मांगा गया है, क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेंगे ?

श्री लखेंद्र कुमार : महोदय, मांगा गया है ....

अध्यक्ष : वापस ले लीजिए माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने इतना बढ़िया जवाब दिया है।

श्री लखेंद्र कुमार : हम अपना प्रस्ताव वापस लेत हैं इस आशा के साथ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, हरेक पंचायत में स्टेडियम का निर्माण हो, कम से कम प्रखंड स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन हेतु सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्रमांक-111 : श्री युसुफ सलाहउद्दीन, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-112 : श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-113 : श्री विजय शंकर दूबे, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-114 : श्री हरिभूषण ठाकुर ''बचौल'', स0वि0स0

श्री हरिभूषण ठाकुर ''बचौल'' : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि ''वह मधुबनी जिलान्तर्गत विस्फी प्रखंड के धौस नदी पर रथौसा घाट में पुल का निर्माण करावे।''

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नाधीन पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित चौरिया बसावट को एम0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत निर्मित बारादाहा कब्रिस्तान टू चौरिया माना दलित टोला तक पथ से सम्पर्कता प्राप्त है एवं दूसरी तरफ अवस्थित रथौस

बसावट को एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित कटैया मुख्य सड़क टू रथौस घाट सहनी टोला तक पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । पुल निर्माण के संबंध में सभी जिला पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि माननीय विधायक एवं माननीय सांसद महोदय से अत्यावश्यक पुलों के निर्माण हेतु प्राथमिकता सूची प्राप्त करें और उस सूची में शामिल किये जाने वाले पुलों का ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता से विहित प्रपत्र में तकनीकी संभाव्यता प्रतिवेदन, टेक्नोफिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं सार प्रतिवेदन तैयार कराकर प्राथमिकता क्रम में उपलब्ध करावें । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने के फलस्वरूप तकनीकी समीक्षा उपरान्त एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

अध्यक्ष : सरकार ने अच्छा पहल किया है, क्या माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी के विस्तृत जवाब के आलोक में अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री हरिभूषण ठाकुर ''बचौल'' : अध्यक्ष महोदय, संकल्प तो वापस ले लेंगे लेकिन बन जाय पुल, बहुत जरूरी है सर ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-115 : श्री चन्द्रशेखर, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न-22/शंभु/26.07.24

<u>क्रमांक-116:श्री अनिल कुमार,स0वि0स0</u>

श्री अनिल कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला के टिकारी अनुमंडल अन्तर्गत टिकारी में महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल भगवान महादेव का कोंचेश्वर मंदिर, धरहरा मठ, कॉवरगढ़, केसपा स्थित मॉ तारा देवी मंदिर का पर्यटकीय विकास करावे ।''

श्री नितिन नवीन,मंत्री : महोदय, जिला पदाधिकारी गया ने अपने पत्रांक-682, दिनांक 17.12.2023 के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि गया जिला के टिकारी अनुमंडल अन्तर्गत कोंच प्रखंड के अन्तर्गत कोंचेश्वर महादेव मंदिर केन्द्रीय सुरक्षित घोषित स्मारक है जिसके निषिद्ध एवं प्रतिबंधित क्षेत्र के विकास कार्य हेतु राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण

ने नयी दिल्ली के प्रावधानों के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है । अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन एन0एम0ए0 नेशनल मोनुमेंट ऑथोरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया है । विभागीय पत्रांक 1383, 10.07.2024 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निदेशक, पुरातत्व निदेशक, निदेशालय कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार को भी कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है । अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त है । केसपा स्थित माँ तारा देवी मंदिर आदि के विकास हेतु विभागीय पत्रांक 1496, 24.07.2024 को विभागीय विहित प्रपत्र के प्रतिवेदन की मांग की गयी है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के विस्तृत जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अनिल कुमार : वापस तो माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब पर लेंगे ही लेकिन माननीय मंत्री जी से आग्रह है ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-117,श्री अख्तरूल ईमान,स0वि0स0

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

‘‘यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिलान्तर्गत अमौर प्रखंड के गेरिया टू मनवारे टू रहरिया धत्ता टोला जानेवाली सड़क जो वर्षों से लंबित है जिस कारण तीन पंचायत झौआरी, अधाग, तियरपारा के लोगों को प्रखंड एवं जिला मुख्यालय का सुलभ आवागमन हेतु सड़क का निर्माण प्रारंभ करावे ।’’

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पथ की लंबाई 0.915 कि0मी0 है जिसके निर्माण हेतु शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाइ0 एन0डी0बी0 अन्तर्गत प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में अपना संकल्प वापस लेंगे ?

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, हमारा इरादा भी है और आपका हिदायत भी है वापस लेना होगा लेकिन मैं सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

हो गया, आपकी बात को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं ।

क्रमांक-118:श्रीमती अरूणा देवी, स0वि0स0

श्रीमती अरूणा देवी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूॅं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सभी मानकों को पूरा करनेवाली नवादा जिले के पकरीबरावॉं (पुलिस अनुमंडल) को नगर पंचायत का दर्जा दिलावे । "

श्री केदार प्रसाद गुप्ता,मंत्री : महोदय, नगर विकास विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी सकारात्मक विचार रखते हैं क्या उनके विचार के आलोक में अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती अरूणा देवी : मंत्री जी ध्यान देकर इसको करवा दें और हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-119,श्री शिव प्रकाश रंजन-अनुपस्थित

क्रमांक-120,श्री इजहारूल हुसैन-अनुपस्थित

क्रमांक-121,श्री मुहम्मद इजहार असफी-अनुपस्थित

क्रमांक-122,श्री मिश्री लाल यादव,स0वि0स0

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के तारडीह प्रखंड अन्तर्गत ग्राम भेरियाराही के कमला नदी में पुल का निर्माण करावे ।"

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल देवना मुशहरी से बरियारी पथ के आरेखन पर अवस्थित है । इस पथ सहित पुल के निर्माण हेतु कुछ छूटे हुए बसावट के तहत मोबाइल ऐप द्वारा सर्वे करा लिया गया है । जिसका सर्वे आइ0डी0 नंबर 20773 है । तद्नुसार समीक्षोपरान्त प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर अभिस्तावित पुल सहित पथ का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, भेरियाराही पुल के......

अध्यक्ष : नाम आपका मिश्री लाल है तो एकदम मीठा-मीठा बोलिये और माननीय मंत्री ने विस्तार से जवाब दिया है उस जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं?

श्री मिश्री लाल यादव : चार साल हो गया सर, बराबर सदन में आश्वासन मिलता है कि वह पुल बनेगा लेकिन आज तक बन नहीं पाया है । मैं मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि जनहित में भेरियाराही पुल बहुत आवश्यक है । वह पुल क्यों नहीं बन सका इतने दिनों में जबकि सरकार पुल का जाल बिछाया, सड़क का जाल बिछाया और वह भेरियाराही पुल तारडीह में वंचित है इसीलिए मैं आग्रह करूँगा कि उस पुल का निर्माण सरकार करावे । यह आश्वासन आपके माध्यम से हो जाना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने आपका आग्रह बड़े गौर से सुना है क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मिश्री लाल यादव : एक बार आश्वासन हो जाय कि उसको बनावायेंगे।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक सभा चुनाव के बाद बहुत से ऐसे जगहों पर वोट का बहिष्कार हुआ जहां सड़क नहीं था, जहां पुल नहीं था । इसीलिए सरकार ने निर्णय किया है कि हम पुलों का निर्माण करायेंगे और इसीलिए माननीय सदस्यों को और माननीय सांसदों को पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी के माध्यम से कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र के पुलों की प्राथमिकता दें और जैसे ही सदस्यों से प्राथमिकता मिलेगी उस हिसाब से आपका भी होगा ।

श्री मिश्री लाल यादव : मैं भेरियाराही के बारे में कह रहा हूँ ।

अध्यक्ष : जवाब बहुत विस्तार से दिया गया है क्या आप संकल्प वापास लेना चाहते हैं ?

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, भेरियाराही पुल ही एक वंचित है सब जगह पुल बन गया है । लोग चचरी पर पार करते हैं बीमारी में, बरसात में ।

अध्यक्ष : संकल्प वापस लीजिए मिश्री लाल जी, मीठा-मीठा बोलिये । संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मिश्री लाल यादव : वापस तो लेना चाहते हैं लेकिन पुल बनवा दें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-123,श्री जिवेश कुमार,स0वि0स0</u>

(श्री अनिल कुमार, स0वि0स0 अधिकृत)

श्री अनिल कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के दरभंगा जिला स्थित जाले प्रखंड के ऐतिहासिक अहिल्या स्थान स्थित लगभग 300 वर्ष पुरानी राम दरबार मंदिर का पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराकर जीर्णोद्धार करावे।''

श्री विजय कुमार सिन्हा,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला के जाले प्रखंड अवस्थित अहिल्या स्थान के संरक्षण कार्य की आवश्यकता के आलोक में वास्तुविद एजेंसी स्पेस एस से पत्रांक 143, दिनांक 09.05.2024 एवं पत्रांक 194, दिनांक 20.06.2024 द्वारा प्रस्ताव मांगा गया है, प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में अपना संकल्प वापस लेंगे ?

श्री अनिल कुमार : मैं माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-124:श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद,स0वि0स0-अनुपस्थित

माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य नहीं थे उस समय तो उन सबके संकल्प पेंडिंग हैं, मैं उनको एक-एक करके लेता हूँ ।

क्रमांक-4:श्री अचमित ऋषिदेव,स0वि0स0

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के गुणवंती पंचायत के वार्ड नं0-11 डहरा महादलित टोला में रजवैली माइनर वि0द0-8 वीरवान बनकट्टा पर सी0डी0 (क्रॉस ड्रेनेज) का निर्माण करावे । ''

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल एम0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत निर्मित पथ विजय चौक गुणवंती से एल-027 भाया डहरा मुशहरी लंबाई 2.136 कि0मी0 चयनित 950 मीटर पर अवस्थित है । पुल निर्माण हेतु चेकलिस्ट प्राप्त हुआ है, समीक्षोपरान्त निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पुल निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के जवाब के आलोक में अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अचमित ऋषिदेव : जी, वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-23/पुलकित/26.07.2024

क्रमांक-5 : श्री जय प्रकाश यादव, स0वि0स0

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत बथनाहा से सोनपुर जाने वाली 7.5 कि0मी0 लंबी सड़क जो गढ्डे में तब्दी हो गयी है का पुनर्निर्माण प्रशासनिक स्वीकृति देकर करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लंबाई 7.5 कि0मी0 जिसकी मरम्मती बथनाहा से सोनपुर तक पथ के नाम से एम0आर0 3054 योजना अंतर्गत दिनांक- 05.04.2018 को पूर्ण किया गया था । पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पथ के उन्नयन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना गैर सरकारी संकल्प वापस लें।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेते हैं ?

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, एक मिनट कहना चाहेंगे कि यही सड़क है जिसके बारे में माननीय मंत्री जी आपने कहा है और आप चिन्हि्त कर दिये हैं, बना देंगे । आप एक बार कह तो दीजिए कि सड़क बना देंगे क्योंकि इसी पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन में धान रोपना शुरू कर दिया है, वहां हमलोगों को जाना मुश्किल है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने बढ़िया जवाब दिया है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय मंत्री जी ने कहा है निधि की उपलब्धता ।

अध्यक्ष : बिना पैसे के कोई चीज बनती है क्या ?

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी कर दिये हैं, सिर्फ एक आश्वासन दे दें कि बना देंगे । ठीक है, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-6 : श्रीमती रेखा देवी, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रमांक-10 : श्री छत्रपति यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-12 : श्रीमती मंजु अग्रवाल, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रमांक-17 : श्री पंकज कुमार मिश्र, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-19 : श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-20 : श्रीमती नीतु कुमारी, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रमांक-21 : श्री अजय कुमार सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-26 : श्री कुमार सर्वजीत, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-29 : मो0 आफाक आलम, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-34 : श्री पवन कुमार यादव, स0वि0स0

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत प्रस्तावित कहलगाँव-सन्हौला (26 एम0एल0डी0) सतही जल आधारित बहुग्रामीय जलापूर्ति योजनान्तर्गत पेय जलापूर्ति हेतु गंगा नदी में FLOATING BARGE एवं GANGWAY को कुल 78 गाँवों के हित में अधिष्ठापित कराने की अनुमति प्रदान करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित है । माननीय मंत्री जी तो अभी नहीं है लेकिन माननीय सदस्य ने जो कहा है सरकार उसकी समीक्षा करके निदान की व्यवस्था करेगी । फिलहाल माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री पवन कुमार यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-41 : श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-43 : श्री देवेश कान्त सिंह, स0वि0स0

अध्यक्ष : आप क्यों घबराये रहते हैं ?

श्री देवेश कान्त सिंह : माननीय मंत्री जी उस समय आ गये थे तो मुझे लगा कि मुझे अपना संकल्प पढ़ना है ।

अध्यक्ष : ठीक है, अब अपना संकल्प पढ़िये ।

श्री देवेश कान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सिवान जिला के महाराजगंज कार्य प्रमंडल के अधीन एल061 हरदिया बिट्टी रोड से इमिलिया मोड़ अवशेष पार्ट (TRACK31) 6.3 कि0मी0 क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लंबाई 6.3 कि0मी0 है जिसका निर्माण कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत 05.04.2019 को पूर्ण हुआ था । वर्तमान में पथ क्षतिग्रस्त है तथा पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पथ की मरम्मति एवं उन्नयन हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी । क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री देवेश कान्त सिंह : महोदय, एक मिनट बोलने दिया जाए । एक विषय मैं माननीय मंत्री जी को बता दूं क्योंकि विभाग पूरी जानकारी नहीं देता है । इसके ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया है और उसके अनुक्षरण के समय का पूरा पैसा विभाग के पास पड़ा है । गढ्डों की वजह से वह सड़क बंद हो गयी है इसलिए सरकार उस पैसे से सड़क को चालू करावें, बस इतना ही मेरा आग्रह है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री देवेश कान्त सिंह : जी, मंत्री जी के सकारात्मक प्रस्ताव को देखते हुए मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-45 : श्री आलोक कुमार मेहता, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-46 : श्री अमर कुमार पासवान, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-47 : श्री निरंजन राय, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-61 : श्री जनक सिंह, स0वि0स0</u>

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत ईसुआपुर एवं तरैया प्रखंडों को जोड़ने वाली एस0एच0-90 (ईसुआपुर) से एस0एच0-73 नेवारी (तरैया) तक ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल छपरा-2 का एम0एम0जी0एस0वाई0 मुख्य पथ जर्जर अवस्था में है तथा पंचवर्षीय अनुरक्षण विहीन अवधि के बाहर है । उक्त पथ का चौड़ीकरण, ऊँचीकरण एवं पक्कीकरण कार्य उन्नयन एम0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ईसुआपुर से गोविंदपुर पथ के नाम से चयन की प्रक्रिया में है । चयन के उपरांत पथ का ट्रैफिक सर्वे कराकर, सर्वे के अनुसार प्राक्कलन में मद का प्रावधान किया जाएगा । तदोपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : जनक जी, जवाब तो सकारात्मक है ।

श्री जनक सिंह : महोदय, यह पथ बहुत महत्वपूर्ण है और आप अभियंताओं के द्वारा इसकी जांच कराकर रिपोर्ट मंगा लीजिए क्योंकि यह पथ दो एस0एच0 को जोड़ता है और हमारी दो विधान सभा का यह मुख्य पथ है । महोदय, यह पथ मात्र 09 कि0मी0 है उसका कारण है बाढ़ के कारण वह पथ नीचे आ गया है और उसका जब तक चौड़ीकरण नहीं कराया जाएगा, ऊँचीकरण नहीं कराया जाएगा तब तक उसका कोई महत्व नहीं ।

अध्यक्ष : आपकी पूरी बात माननीय मंत्री जी ने सुनी है । आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री जनक सिंह : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-36 : श्री कृष्ण कुमार ऋषि, स0वि0स0

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिलान्तर्गत वनमनखी अनुमंडल के जानकीनगर चोपड़ा बाजार को नया प्रखंड सृजित करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी पूर्णिया से वनमनखी अनुमंडल के जानकीनगर चोपड़ा बाजार को नये प्रखण्ड का दर्जा दिये जाने के संबंध में प्रखण्ड सृजन के औचित्य सहित स्पष्ट मंतव्य के साथ विहित प्रपत्र में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । प्रमण्डलीय आयुक्त से अनुशंसित प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक अग्रतर कार्रवाई की जाएगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : महोदय, थोड़ा सा समय और दिया जाए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने इतना बढ़िया जवाब दिया है ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : महोदय, इससे पहले भी प्रस्ताव आया था । कई बार यह प्रस्ताव आया है।

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री जितेंद्र कुमार ।

श्री जितेंद्र कुमार : महोदय, मेरा प्रस्ताव पढ़ा हुआ है ।

अध्यक्ष : एक बार फिर से अपना प्रस्ताव पढ़ दीजिए ।

क्रमांक-52 : श्री जितेंद्र कुमार, स0वि0स0

श्री जितेंद्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत अस्थावां, कतरी सराय एवं बिन्द प्रखंड क्रमशः केलसीन, वादी एवं जमसारी-तालाबों की उड़ाही प्राक्कलन के अनुरूप किए बिना राशि की निकासी कर ली गयी है, दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करावे ।"

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य श्री जितेंद्र जी ने जो कहा है यह सरकार के लघु जल संसाधन विभाग का विषय है, विभाग उसकी समीक्षा कर, उसके निदान की व्यवस्था करेगा । अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री जितेंद्र कुमार : महोदय, अनुरोध है कि कार्य पूर्ण हो जनहित में, किसान हित में हो । संवेदक पर उचित कार्रवाई हो, जो कार्य नहीं किये हैं और बिना कार्य किये हुए रूपये की निकासी हो गयी है । इसलिए कार्य पूर्ण कराने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसको दिखवायेंगे । क्या आप माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के आलोक में अपना संकल्प वापस लेते हैं ?

श्री जितेंद्र कुमार : जी । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

अब गैर सरकारी संकल्प समाप्त हुए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार विधान परिषद् की पर्यावरण एवं प्रदूषण संरक्षण समिति की ओर से आप सभी माननीय सदस्यों को एक-एक पौधा भेंट स्वरूप दिये जाने का अनुरोध किया गया है । ये पौधा बाहर वितरण पटल पर जहाँ आप सब अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, वहाँ उपलब्ध है, कृपया उसे प्राप्त करने का कष्ट करेंगे ।

माननीय सदस्यगण, सदन में किसी माननीय सदस्य का चश्मा छूट गया है वह मार्शल के पास सुरक्षित रखा हुआ है । जिन माननीय सदस्य का चश्मा हो वे वहाँ से प्राप्त कर लेंगे ।

शोक-प्रकाश

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि सत्र का समापन करूँ, इस सत्रावधि में कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके प्रति शोक प्रकट करना हमारा कर्त्तव्य है :-

स्वर्गीय हीराराम तूफानी

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री हीराराम तूफानी का निधन दिनांक 21 जुलाई, 2024 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 74 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय तूफानी संयुक्त बिहार के कांके विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दु:खी है ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

टर्न-24/हेमन्त/26.07.2024

स्वर्गीय राजीव रंजन

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राजीव रंजन का असामयिक निधन दिनांक 25 जुलाई, 2024 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 73 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय रंजन नालंदा जिला के इस्लामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2010 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे । समाज सेवा में उनकी विशेष रूचि रहती थी । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज कारगिल विजय की पच्चीसवीं वर्षगांठ है । यह हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है । आज के दिन देश के कई वीर सपूत इस ऑपरेशन विजय को सफल बनाने में शहीद हुए थे । इस जीत में बिहार रेजीमेंट के अठारह सैनिकों ने भी अपनी जान देकर देश की शान की रक्षा की थी । ऐसे वीर सैनिकों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करना हमारा दायित्व है ।

अपने देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के प्रति हम सदन की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनके परिजनों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं ।

अब हम लोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भिजवा दूंगा ।

समापन भाषण

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधान सभा का द्वादश सत्र दिनांक 22 जुलाई, 2024 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 26 जुलाई, 2024 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल पांच बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 22 जुलाई, 2024 को बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-60, रूपौली के उप-निर्वाचन से निर्वाचित सदस्य श्री शंकर सिंह का शपथ-ग्रहण कराया गया और सप्तदश बिहार विधान सभा के चार माननीय सदस्यों यथा- श्री सुदामा प्रसाद, श्री सुधाकर सिंह, श्री जीतन राम मांझी एवं श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन से अपने स्थान का त्याग कर दिया गया है, की सूचना से सदन को अवगत कराया गया । उसी दिन सप्तदश बिहार विधान सभा के एकादश सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित 12 विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया तथा प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया । कुल 12 जननायकों के निधन के प्रति शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 25 जुलाई, 2024 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के ''अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन'' एवं स्थानीय सरकार पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के ''राज्य के वित्त प्रतिवेदन'' की प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा प्रतिवेदनों को बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य होने का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हुआ। उसी दिन वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शिक्षा विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के

उत्तर के बाद मांग स्वीकृत हुई एवं शेष मांगें गिलोटिन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई । तत्पश्चात् संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 26 अप्रैल, 2024 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की प्रति सदन पटल पर रखी गयी । इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली:-

1. बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 ।
2. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन), विधेयक, 2024 ।
3. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2024 ।
4. बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024 ।
5. बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 ।
6. बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक, 2024 ।
7. बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024 ।

सत्र के दौरान कुल-1109 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 870 स्वीकृत हुए। इन स्वीकृत 870 प्रश्नों में 17 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 16 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए । कुल 744 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 672 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए । साथ ही, 109 प्रश्न अतारांकित हुए ।

इस सत्र में कुल 106 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, 95 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजी गयी तथा 03 अमान्य हुई ।

इस सत्र में कुल 180 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 178 हुए एवं 02 अस्वीकृत हुए । कुल 145 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें 135 स्वीकृत एवं 10 अस्वीकृत हुई । इस सत्र में कुल 124 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई ।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

माननीय सदस्यगण, सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, सभी दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं ।

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूं ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

माननीय सदस्यगण, अब बिहार राज्य गीत होगा । कृपया, अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ।

(बिहार राज्य गीत)

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।